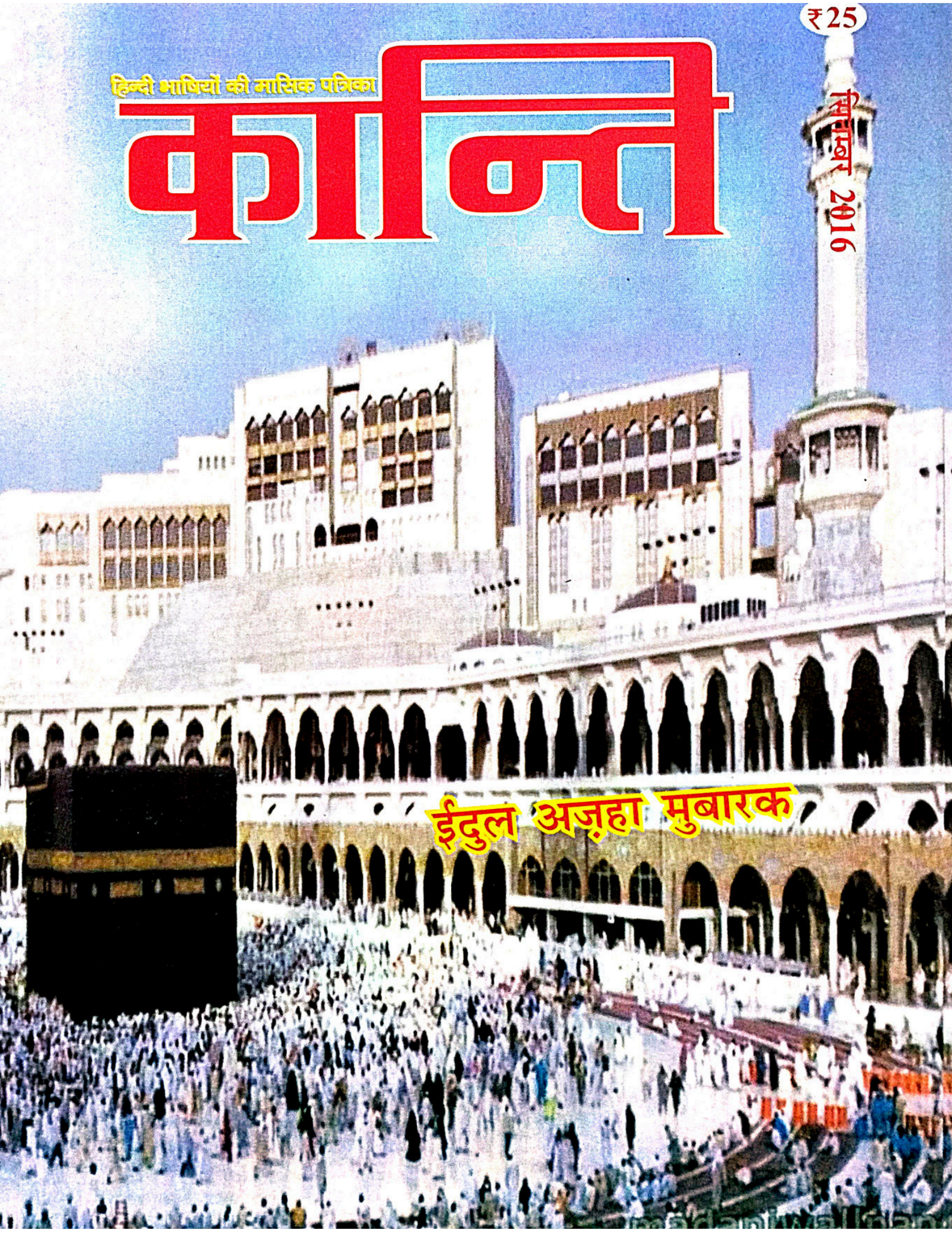
₹25
हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका
क्रान्ति
सितम्बर 2016
ईदुल अज़हा मुबारक

MASJID - ISLAMIC CENTER

7-TOMBS ROAD | TOLICHOWKI | HYDERABAD

The proposed multifaceted Islamic Center at Tolichowki is committed in providing a service to the community in accordance to the teachings and strict adherence to the Quran and authentic Sunnah.



We aim to make ISLAMIC CENTER the focal point within our community. We envision beyond the tradition Masajid that only offer Salat, as we have a dedicated team of workers beholding a vision of several Social Spiritual activities:

جماعت اسلامی ہند

JAMA'AT-E-ISLAMI HIND
Greater Hyderabad

HIGHLIGHTS

Dawah Center
- Dawah Counseling Center
- Dawah Library
- Audio Visual Library
- Dawah Training Center

Women and Children Welfare Centre
- Basic Learning Center
- Women Welfare Centre
- Facilities for Sisters

Social Service Center
- Widows Support Center
- Career Guidance Center
- Interest free Micro Finance Centre
- Medical Aid and Medical Equipment Bank

Other Facilities
- Markazi Maktaba Publishres (MMI) Depot
- SIO , GIO and JIH Offices
- Reading Rooms and Lecture Hall

The Masjid and Islamic Center will be a rewarding source. Please reserve your eternal rewards by contributing as much as you can.

Account Name : JIH Toli Chowki | Account No.: 3459101006336 | IFSC Code:: CNRB0003459 | Bank: Canara Bank | Branch: Toli Chowki.

TANVEER UL HAQ : 9989036632 | ABDUL RAZZACK : 9440014127

www.islamiccentertolichowki.com

info@islamiccentertolichowki.com

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 26 अंक 3 सितम्बर 2016

हमनें इबराहीम के लिए अल्लाह के घर को ठिकाना बनाया, इस आदेश के साथ कि "मेरे साथ किसी चीज़ को साझी न ठहराना और मेरे घर को तवाफ़ (परिक्रमा) करने वालों और खड़े होने और झुकने और सजदा करने वालों के लिए पाक-साफ़ रखना।" –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'मासिक कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ग़ज़ल

ये बात निराली दिले-ख़ुद्दार[1] करे है
तड़पे है मगर दर्द से इन्कार करे है

दुनिया का ये अन्दाज़ समझ में नहीं आता
देखे है हिक़ारत[2] से कभी प्यार करे है

तस्लीम[3] उसे कोई भी दिल से नहीं करता
वो फ़ैसला जो जब्र[4] की तलवार करे है

उस दुश्मने-ईमां[5] ने किया शैख़ पे जादू
काफ़िर[6] जो कहे है वही दींनदार[7] करे है

अब अपने भी साये का भरोसा नहीं यारो!
नज़दीक जो आए है वही वार करे है

तक़रीर[8] से मुमकिन है न तहरीर[9] से मुमकिन
वो काम जो इन्सान का किरदार[10] करे है

शर्माता हूं फ़नकार समझते हुए ख़ुद को
जब झूठी ख़ुशामद कोई फ़नकार करे है

ये नाचती-गाती हुई इस दौर की तहज़ीब[11]
क्या जानिए किस कर्ब[12] का इज़हार करे है

मांगे है 'हफ़ीज़' और ही कुछ शेअर का बाज़ार
कुछ और तलब[13] शेअर का मेअयार[14] करे है।

● **हफ़ीज़ मेरठी**

1.ख़ुद्दार दिल, स्वाभिमानी हृदय 2. तिरस्कार 3. स्वीकार 4. ज़बरदस्ती 5. ईमान के दुश्मन 6. इन्कारी 7. धार्मिक, आस्तिक 8. भाषण 9. लेखन 10. चरित्र 11. सभ्यता 12. दुःख, पीड़ा, बेचैनी 13. मांग 14. स्तर



कहां क्या है ?

ग़ज़ल	–हफ़ीज़ मेरठी	3
क़ुरआन ज्योति		5
भले लोगों की संगति (हदीस मंजरी)		6
ईशभक्ति का अनुपम प्रदर्शन (संपादकीय)		7
शिक्षा का अधिकार (आपके पत्र)		8
समान सिविल कोड संभव नहीं (दृष्टिकोण)	–जस्टिस अब्दुर्रहीम अंसारी	11
गाय के नाम पर जनतंत्र वध (उद्‌गार)	–सुभाष गाताडे	15
दोहे	–रसूल अहमद 'सागर'	16
भूगोल के मूल सिद्धांत और इस्लाम (ज्ञान-विज्ञान और मुसलमान)	–अबरार अहमद	17
मंगली बहू (कहानी)	–विद्या प्रकाश	21
आयात पर निर्भर दाल (सामयिकी)	–भारत डोगरा	23
गांव और ग़रीब अब कहां जाएं ? (विचारणीय)	–वेद व्यास	25
हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) की क़ुरबानियां (विशेष आयोजन)	–मौलाना जलालुद्दीन उमरी	26-27
क़ुरबानी की वास्तविकता (विशेष आयोजन)	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	29
हज़रत इबराहीम की अनुकरणीय शिक्षा	–विद्या प्रकाश	30
नाम (कविता)	–ओम प्रकाश बजाज	31
बाल श्रमिकों की मौजूदगी (ज्वलंत सामयिक)		32
क्या अब दूसरा शाहिद नहीं आएगा ? (खेल-खिलाड़ी)	–ए॰ एन॰ शिब्ली	35
साफ़्ट ड्रिंक के ख़तरे (स्वास्थ्य चर्चा)		36
वेदों में एकेश्वरवाद (इकं दूजे को जानें)	–स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य	39
दो गाड़ियों की कहानी (दृष्टिकोण)	–राम पुनियानी	41
बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ? (पुस्तक समीक्षा)	–मुहम्मद इलियास हुसैन	43
मिलावट करने वालों पर कार्रवाई करें (अर्थ-उपभोक्ता)	–सी॰ के॰ रहमानी	45
गैस की चोरी और कालाबाज़ारी	–शबाना अली	47
बाल कविताएं		48
बालवीथी		49

कुरआन ज्योति

(4) उसी की ओर तुम सबको पलटकर जाना है ।[8] यह अल्लाह का पक्का वादा है । निस्सन्देह पैदाइश की शुरुआत वही करता है, फिर वही दोबारा पैदा करेगा[9], ताकि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कार्य किए उनको न्यायपूर्वक बदला दे और जिन्होंने इन्कार का तरीक़ा अपनाया, वे खौलता हुआ पानी पिएं और दर्दनाक सज़ा भुगतें सत्य के उस इन्कार के बदले में जो वे करते रहे ।[10]

(5) वही है जिसने सूरज को उजियाला बनाया और चांद को चमक दी और चांद के घटने-बढ़ने की मंज़िलें ठीक-ठीक निश्चित कर दीं ताकि तुम उससे वर्षों और तारीख़ों के हिसाब मालूम करो । अल्लाह ने यह सब कुछ सत्यानुकूल ही पैदा किया है । वह अपनी निशानियों को खोल-खोलकर पेश कर रहा है उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते हैं ।

–क़ुरआन, 10 : 4,5

8: यह नबी की शिक्षा का दूसरा बुनियादी सिद्धांत है । पहला सिद्धांत यह कि तुम्हारा रब केवल अल्लाह है, इसलिए उसी की इबादत करो । और दूसरा सिद्धांत यह कि तुम्हें इस दुनिया से वापस जाकर अपने रब को हिसाब देना है ।

9. यह वाक्य दावे और प्रमाण दोनों का योग है । दावा यह है कि अल्लाह दोबारा इन्सान को पैदा करेगा और उस पर प्रमाण यह दिया गया है कि उसी ने पहली बार इन्सान को पैदा किया । जो आदमी यह स्वीकार करता हो कि अल्लाह ने दुनिया की शुरुआत की है, वह इस बात को असंभव या समझ से परे नहीं कह सकता कि वही अल्लाह इस सृष्टि की पुनरावृति करेगा ।

10. यह वह आवश्यकता है जिसके कारण अल्लाह इन्सान को दोबारा पैदा करेगा । ऊपर जो तर्क दिया गया है वह यह बात सिद्ध करने के लिए काफ़ी था कि सृष्टि की पुनरावृति संभव है और उसे असंभव समझना सही नहीं है ।

अब यह बताया जा रहा है कि सृष्टि की यह पुनरावृति बुद्धि और न्याय की दृष्टि से आवश्यक है । (ईमान और आज्ञापालन और बन्दगी का रवैया अपनाने वाले और इन्कार और अवज्ञा की राह चलने वाले दोनों इसके हक़दार हैं कि उन्हें अपने-अपने रवैये का पूरा-पूरा बदला मिले ।) यह आवश्यकता अगर वर्तमान सांसारिक जीवन में पूरी नहीं हो रही है (और हर आदमी जो हठधर्म नहीं है, जानता है कि नहीं हो रही है) तो उसे पूरा करने के लिए निश्चित रूप से दोबारा जीवन अनिवार्य है ।

(अधिक व्याख्या के लिए देखिये सूरा-7, आराफ़, टिप्पणी 30 व सूरा 11, हूद, टिप्पणी 105)



भले लोगों की संगति

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "स्त्री से चार कारणों से विवाह किया जाता है : उसके माल के कारण या उसकी कुलीनता के कारण या उसकी सुन्दरता के कारण या दीन (धर्म) के कारण-तेरे हाथ धूल-धूसरित हों-तू ऐसी स्त्री प्राप्त करने की कोशिश कर जो दीनदार (धर्म-प्रवृत्ति वाली) हो।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "आदमी अपने मित्र के धर्म पर होता है। अतः तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वह किसके साथ मित्रता का संबंध जोड़ रहा है।"

–अबू दाऊद, तिरमिज़ी। दोनों ने सहीह सनदों के साथ रिवायत किया है और कहा है कि यह हदीस 'हसन' है।

● हज़रत अबू मूसा अल-अशअरी (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसको प्रेम है।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

एक रिवायत में आया है कि नबी (सल्ल॰) से कहा गया कि एक व्यक्ति कुछ (अच्छे) लोगों से प्रेम करता है। किन्तु वह उनसे मिल नहीं सका ? आपने कहा : "आदमी उन्हीं के साथ होगा जिनसे उसे प्रेम है।"

● हज़रत अनस (रज़ि॰) से रिवायत है कि एक ग्रामीण ने अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) से कहा कि क़ियामत की घड़ी कब आएगी ? अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है ?" उसने कहा : "अल्लाह और उसके रसूल से प्रेम। आपने कहा : "तू उसी के साथ होगा जिससे तुझे प्रेम है।"

–बुख़ारी, मुस्लिम। ये शब्द मुस्लिम के हैं।

बुख़ारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है : मैंने न तो उसके लिए अधिक रोज़ों की दृष्टि से कोई तैयारी कर रखी है और न नमाज़ की दृष्टि से और न सदक़े की दृष्टि से, किन्तु अल्लाह और उसके रसूल से मुझे प्रेम है।

● हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "लोग खानें हैं जैसे सोने और चांदी की खानें होती हैं, जो उनमें से इस्लाम के पूर्व अच्छे थे वे इस्लाम में भी अच्छे हैं अगर वे समझ रखते हैं। और आत्माएं एकत्र सेनाएं हैं, जिन्होंने एक-दूसरे को पहचान लिया, तो वे एक-दूसरे से हिल-मिल जाती हैं और जो एक-दूसरे को न पहचान सकीं, वे एक-दूसरे के प्रतिकूल हो जाती हैं।"

–मुस्लिम

बुख़ारी ने 'आत्माएं' से अन्त तक हज़रत आइशा (रज़ि॰) से रिवायत किया है।

('रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

संपादकीय

ईशभक्ति का अनुपम प्रदर्शन

इन्सान की ज़िन्दगी में ईशभक्ति को अत्यधिक महत्व प्राप्त है । इसके बिना ज़िन्दगी का कोई मूल्य नहीं है । अत: इसके अभाव में न तो ज़िन्दगी का उद्देश्य ही प्राप्त हो सकता है और न ही इन्सान के अन्दर के गुण पनप सकते हैं, जो वास्तविक ज़िन्दगी में होने चाहिए । कहने का तात्पर्य यह कि मानवीय व नैतिक गुणों और आचारों का आधार भी ईशभक्ति ही है । वास्तव में ईशभक्ति और दास्यभाव इन्सान की स्वाभाविक चीज़ें हैं । यही वह भाव है जो हमारे मन में तरंगित होने वाले विभिन्न भावों और प्रेरणाओं को अर्थमय एवं आशययुक्त बनाता है । उन्हें अनुकूलता और एकात्मकता प्रदान करता है । भावनाओं और अंत:-प्रेरणाओं की अनेकता में एकता की विशेषता पैदा करता है । ईशभक्ति और दास्यभाव के वास्तविक अर्थ और इनकी मांगों का पूर्ण परिचय केवल अल्लाह के रसूलों और पैग़म्बरों द्वारा प्राप्त होता है । ईशभक्ति और दास्यभाव की अनुभूति वह शांति एवं आनन्द-निधि है जिससे दिलों को परितोष और दिव्य सुख प्राप्त होता है । यही वह मार्ग है जो बन्दे को उसके पैदा करने वाले की प्रसन्नता और सामीप्य प्राप्त कराता है । कुरआन में है–"सजदा करो और क़रीब हो जाओ" (अल-अलक़ : 19)। इस्लाम को अपेक्षित है कि इन्सान अपने पैदा करने वाले ही की भक्ति करे और उसकी ही दासता स्वीकार करे । उसके ही हुक्म पर चले और उसी से आशाएं बांधे । उसी के प्रति अपने को समर्पित कर दे और उसके लिए हर प्रकार का त्याग करने और क़ुरबानी देने पर तत्पर रहे । हज इन सब भावनाओं को परिपूर्ण और ताज़ा करता है । हज को इस्लाम में मौलिक महत्व प्राप्त है । यह भी मुसलमानों की फ़र्ज़ इबादत है । हर सामर्थ्यवान मुस्लिम स्त्री और पुरुष के लिए पूरे जीवन में कम से कम एक बार हज करना अनिवार्य है ।

क़ुरआन में है–"लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है कि जो व्यक्ति इस घर (काबा) तक पहुंच सकता हो वह इसका हज करे और जिस किसी ने कुफ़्र की नीति अपनायी तो (वह जान ले कि) अल्लाह सारे संसार से बेपरवाह है" (आले-इमरान : 97)। हज करना वास्तव में अल्लाह की पुकार पर दौड़ना है । अल्लाह के आमंत्रण पर उसकी सेवा में हाज़िरी देना है । अल्लाह ने काबा को सर्वथा भलाई, बरकत और सारे संसार के लिए मार्गदर्शन का उद्गम बनाया है । यह एकेश्वरवाद (तौहीद) का केन्द्र है । हज से संबंधित जितने कार्य हैं उन सबसे इन्सान के दिल पर एकेश्वरवाद ही की छाप पड़ती है । हज एक पहलू से सबसे बड़ी इबादत है । अल्लाह के प्रेम और उसकी भक्ति में इन्सान अपना कारोबार और घर-परिवार एवं मित्रों को छोड़कर यात्रा पर निकलता है । फिर उसकी यह यात्रा साधारण यात्रा की तरह नहीं होती । इस यात्रा में उसका लौ अल्लाह ही की ओर लगा रहता है । जैसे-जैसे अल्लाह का घर क़रीब आता जाता है उत्सुकता और प्रेम की अग्नि और भड़कती जाती है । वह अपने गुनाहों पर लज्जित होता है । सच्चे दिल से तौबा करता और अल्लाह से प्रार्थनाएं करता है कि उसे अच्छे कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो । वास्तव में हज इन्सानी ज़िन्दगी के सुधार का भी हर वर्ष होने वाला विश्व स्तरीय आयोजन है । यह इस्लाम के समानता के सिद्धांत का विश्व स्तर पर व्यावहारिक प्रदर्शन भी है और विश्व बंधुत्व एवं भ्रातृत्व का भी । इस मौक़े पर अल्लाह के मार्ग में जानवर क़ुरबान करना अपने-आपको क़ुरबान करने के प्रतिनिधित्व का अर्थ रखता है । यह वास्तव में इस बात का इक़रार है कि हमारे प्राण अल्लाह की नज़्र (भेंट) हैं । जब वह मांगेगा हम दे देंगे । जब भी अल्लाह के मार्ग में ख़ून बहाने की आवश्यकता होगी, अपना ख़ून बहाएंगे । क़ुरबानी के पीछे यही पवित्र भावना काम करती है । अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपने हुक्मों पर चलने की तौफ़ीक़ (दैवयोग) प्रदान करे ।

शिक्षा के अधिकार से वंचित करता शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009

यह अत्यन्त ही दुर्भाग्य की बात है कि देश की शैक्षिक व्यवस्था के लिए बनाया गया ऐतिहासिक क़ानून-शिक्षा का अधिकार (आर०टी०ई०) अधिनियम 2009 अपने नाम के पूर्णतया विपरीत बच्चों से उनके शिक्षा के अधिकार को छीन रहा है ।

इस ख़तरनाक स्थिति को समझना आवश्यक है कि जहां एक ओर देश में बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वहीं दूसरी ओर निजी और सरकारी, दोनों स्कूल लगातार बंद होते जा रहे हैं । सरकारी स्कूल जहां बच्चों के अपर्याप्त नामांकन और ख़ाली होते स्कूलों के कारण बंद होते जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल 'आर०टी०ई० अधिनियम' में दिये गये कठोर मापदंडों एवं मानकों को पूरा न कर पाने के कारण लगातार बंद कराये जा रहे हैं ।

नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स एलायंस के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भौतिक सुविधाओं की अनिवार्यता की शर्तों एवं निजी स्कूलों की मान्यता के निर्धारित अन्य मापदंडों एवं मानकों को पूरा न कर पाने के कारण मार्च, 2014 तक जहां देश भर के 4,400 निजी स्कूल बंद कराये जा चुके हैं, वहीं 15,083 स्कूलों को बंद करने की राज्य सरकारों द्वारा नोटिस दी जा चुकी है । मान्यता के संबंध में इन कठिन मापदंडों एवं मानकों को पूरा करना, उन कम फीस वाले निजी स्कूलों, जो कि देश में काफ़ी अधिक संख्या में हैं, के लिए अत्यंत ही मुश्किल है ।

उत्तर प्रदेश सरकार के 8 मई 2013 के शासनादेश ने मान्यता के लिए 40 से अधिक विभिन्न शर्तें निर्धारित की हैं जिन्हें अधिकतर प्राइवेट स्कूलों के लिए पूरा कर पाना कठिन है । यहां तक कि सरकारी स्कूल-जिनके पीछे सरकार का प्रबल आर्थिक सहयोग है–वे भी मान्यता के इन मानकों को 80 प्रतिशत तक नहीं पूरा करते हैं । उदाहरण के लिए शर्तें हैं : जैसे विद्यालय का निजी भवन या भवन की कम से कम 10 साल की लीज़, प्रधानाचार्या, स्टॉफ व कक्षाओं के लिए अलग-अलग कमरे, 3 सालों तक फ़ीस में बढ़ोत्तरी न करना और उसके पश्चात भी अधिकतम 10 प्रतिशत तक फ़ीस बढ़ाना आदि । इस प्रकार के प्रतिबंध, यदि कठोरता से लागू किये जाएं, तो प्राइवेट स्कूल या तो सीधे बंद हो जाएंगे या शर्तों को न पूर्ण कर पाने की अनदेखी हेतु अधिकारियों में उत्कोच को बढ़ावा देंगे । क़ानून जब भी बनाए जाए वे व्यावहारिक और ज़मीनी हक़ीक़त पर आधारित होने चाहिए ।

स्कूलों के बन्द होने की बात काल्पनिक नहीं है बल्कि आज हमारे समक्ष है । अगस्त 2015 में बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ ने 108 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया जबकि डिस्ट्रिक्ट इनफारमेशन सिस्टम ऑन एजूकेशन के सरकारी डाटा के अनुसार लखनऊ जनपद में पहले ही 2010-11 में 407 से घट कर 2013-14 में सिर्फ़ 289 स्कूल बचे थे । ठीक उसी समय बच्चों की जनसंख्या 4 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ी थी (सेंसेस के अनुसार) और जहां सरकार शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत 300 की जनसंख्या वाले आबादी के 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक विद्यालय स्थापित करने के अपने स्वयं के दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रही है । इस प्रकार नये स्कूल खोलना तो दूर की बात है, कई राज्यों ने हज़ारों ऐसे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया है जहां 20 से कम छात्र हैं और जिनको चलाते रखना आर्थिक रूप से कठिन है । जब सरकारी स्कूल की कमी होती जा रही है तो उस एक्ट के नाम पर जो स्वयं बच्चों के शिक्षा के अधिकार का बीड़ा उठाए हैं, प्राइवेट स्कूलों को बंद करना वास्तव में बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करना होगा ।

शिक्षा अधिकार अधिनियम ख़ासतौर पर ग़रीब बच्चों में शिक्षा के विकल्प के अधिकार को नष्ट कर रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत मुख्यत: कम फ़ीस वाले प्राइवेट स्कूलों को लक्ष्य बनाया जा रहा है जो कि मान्यता की सख़्त शर्तों को

पूरा करने में असमर्थ होंगे । यह हास्यस्पद है कि बच्चों को स्वयं चुने हुए उन प्राइवेट स्कूलों को छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है जो कि प्राय: सीखने के बेहतर परिणाम दे रहे हैं और उन्हें उन निकटम सरकारी स्कूलों में दाख़िला लेना पड़ रहा है जिनके सीखने के स्तर अत्यन्त न्यून हैं और जो खुद भी उन मानकों पर खरे नहीं उतरते जिनकी वजह से प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया था । यह तो बच्चों से उनके शिक्षा सीखने के अधिकार को छीनने के समान है जो बच्चों को निम्न स्तरीय शिक्षा की ओर जाने को विवश करता है । जबकि शासकीय अधिकारी यह मानने को कभी तैयार नहीं होते कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर ख़राब है । ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 अगस्त 2015 के फ़ैसले ने अधिकारियों के इस सच के अनवरत इन्कार की पोल खोल दी है । यह निर्णय इस बात की ओर साफ़ इशारा करता है कि सरकारी स्कूल तुच्छ क्वालिटी की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं । चंद भौतिक सुविधाओं से संबंधित मानकों के नाम पर उन स्कूलों को बंद करने, जो बच्चों के जीवन को सुधार रहे हैं और बच्चों को कम गुणवत्ता की शिक्षा देने वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर करने, का मतलब है कि हम अभिभावकों की बुद्धिमत्ता की अनदेखी कर रहे हैं जो सीखने व गुणवत्ता को महत्व देती है ।

निस्संदेह, कम फ़ीस लेने वाले प्राइवेट स्कूलों की मूलभूत भौतिक सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है । सरकार को चाहिए कि वो कम फ़ीस वाले प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने में मदद करे, क्योंकि यह कई गुना कम बजट वाले प्राइवेट स्कूल भारत के करोड़ों बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग कर रहे हैं । यदि ये स्कूल नहीं होंगे तो सरकार को इन स्कूलों से विस्थापित बच्चों के लिए स्कूल तत्काल खोलने पड़ेंगे जहां प्रति छात्र ख़र्च प्राइवेट स्कूलों से 20 से 25 गुना अधिक होगा ।

डॉ॰ मधुसूदन दीक्षित
अधिवक्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष
इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया
मोबाइल : 9415337469, 9889259902

ऐसी दावते इफ़्तार से क्या फ़ायदा ?

रोज़ों का पवित्र महीना रमज़ान मुबारक गुज़र गया । ईदुल फ़ित्र भी मना ली गयी । रमज़ानुल मुबारक के मौक़े पर वैसे तो पूरे माह दावते इफ़्तार का कार्यक्रम कहीं न कहीं चलता रहा मगर उसके आख़िरी अशरे में दावते इफ़्तार की जैसे बाढ़-सी आ गयी ।

रमज़ानुल मुबारक में दावते इफ़्तार का आयोजन सोद्देश्य, पवित्र, मानवीय तथा महत्वपूर्ण है । इसका अस्ली मक़सद यह है कि दावते इफ़्तार के बहाने समाज के उन बेसहारा मोहताजों, मुफ़लिसों, यतीमों, अपाहिजों और साधन सुविधा वंचित लोगों को भोजन कराया जाए जिसके वे सच्चे हक़दार हैं और दावते इफ़्तार में एक साथ एक स्थान पर बैठकर खाने-पीने से परस्पर भाईचारा और मुहब्बत का जज़्बा हमारे दिलों में पैदा हो तथा ऊंच-नीच और छोटे-बड़े का संकीर्ण अलगाववादी भाव समाप्त हो । यह काम नि:स्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए ।

पिछले कुछ सालों से यह अमूमन देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों द्वारा माहे रमज़ान के दौरान दावते इफ़्तार का कार्यक्रम अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने तथा सियासी नफ़ा के नज़रिये से किया जाने लगा है । किसी न किसी सियासी पार्टी से जुड़े खुदग़र्ज़ सियासतबाज़ फ़ितरत के अनेक लोग ऐसे कार्यक्रम करते हैं । दावते इफ़्तार का निमंत्रण पत्र छपवाकर हर वर्ग संप्रदाय के लोगों में बंटवा दिया जाता है । इसके पीछे उनका आत्म प्रदर्शन व मक़सद राजनीतिक होता है । इसी बहाने वे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा व राजनीतिक प्रभाव में वृद्धि के ख़्वाहिशमंद होते हैं । उनके कार्यक्रम में उच्चाधिकारी, धनाढ्य व्यवसायी तथा अमीरज़ादे शामिल रहते हैं । ग़रीब मुफ़लिसों का कहीं नामोनिशान नहीं रहता ।

सियासी फ़ायदे तथा आत्म प्रदर्शन की भावना से किये जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों का क्या औचित्य है ? हमें ऐसे आयोजनों में शिरकत से परहेज़ करना चाहिए ।

विद्या प्रकाश
अचला घाट मार्ग, सिपाह,
जौनपुर (यू॰पी॰)

इन्साफ़ की पुकार

पिछले एक साल में ही यू॰पी॰ में और वह भी वेस्ट यू॰पी॰ की तहसीलों की मुंसिफ़ कोर्टों से लेकर ज़िला कोर्ट तक और यहां तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक में कोर्ट परिसर में वकीलों और अपराधियों के बीच खुलेआम मार पिटाई हुई । यहां तक कि जज के सामने भी कई हत्याओं

की वारदातें हुई हैं लेकिन इनमें से किसी एक मामले में भी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया । न ही एन०एच०आर०सी० ने पुलिस को नोटिस जारी किया, लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कन्हैया कुमार की पिटाई से एन०एच०आर०सी० से लेकर कोर्ट और आप, कांग्रेस, जदयू, राजद, सी०पी०एम०, सी०पी०आई० जैसे सभी राजनीतिक दल इतने परेशान हो गये कि रिजर्वेशन के नाम पर हरियाणा दंगों में कांग्रेस की संदिग्ध लिप्तता की ख़बरें भी फीकी पड़ गयीं और पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरे दिन कन्हैया कुमार की पिटाई का स्टिंग ही दिखाता रहा ।

हरियाणा राजस्थान में हज़ारों करोड़ रुपयों की सम्पत्ति दंगाइयों ने बर्बाद कर दी, लोगों की दुकानें लूट लीं और कई हत्याएं तक कर दीं लेकिन यहां मीडिया और एन०एच०आर०सी० के लोगों ने कोई रात नहीं गुज़ारी ? हिन्दुस्तान की अदालतों में जिन-जिन लोगों के साथ मार पिटाई या हत्या की घटनाएं घटी हैं अगर कोर्ट उन सबका भी संज्ञान लेता तो शायद लोगों को मुल्क के क़ानून और राजनीतिक दलों पर विश्वास टिकता ? लेकिन इन्साफ़ के तराज़ू पर कतिपय वकीलों और राजनीतिक दलालों का क़ब्ज़ा हो गया है ।

सईदा ख़ातून

प्राइमरी टीचर, किरतपुर,

ज़िला बिजनौर, यू०पी०

कॉमन सिविल कोड

देशवासियों को कॉमन सिविल कोड के संबंध में जानकारी नहीं है, इसलिए उसकी रूपरेखा को विस्तारपूर्वक देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि सभी जन पढ़-समझकर अर्थात गहन अध्ययन के पश्चात ही सहृदय उसका पालन करने के लिए तैयार हो सकें । ऐसा करना जनता के लिए बेहतरी भी रहेगा । ऐसा नहीं किये जाने पर उसके पीछे कोई कुटिल भावनाएं या कोई उद्देश्य कार्य तो नहीं कर रहे हैं ?

इस तरह की बहुत सी शंकाएं पैदा होती हैं, इन्हें दूर किया जाना चाहिए । रही बात मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार और अंधेरी गलियों में उन्हें कूपमंडूप बनाये रखने की तो मात्र घोषणा कर देने से यह उद्देश्य पूरा नहीं होता कि यह कुछ मुस्लिम पर्सनल लॉ में मौजूद है । अतः मुस्लिम पर्सनल लॉ की इन धारणाओं के परिप्रेक्ष्य में खुद उस धर्म की बुनियादी पुस्तकें कुरआन और हदीस के संदर्भ से सामने लाया जाना चाहिए तक ही पूर्ण न्याय होगा, वरना असहमति की धारणाएं दोनों पक्षों में खटकती रहेंगी ।

डॉ० एम० ए० रशीद

नागपुर, महाराष्ट्र

उर्दू साहित्य के मनीषी

'कान्ति' पत्रिका का अगस्त अंक प्राप्त हुआ । हमेशा की तरह संग्रहणीय व प्रभावशाली । सबसे पहले बात करूं इस अंक के विशेष आयोजन के तहत उर्दू साहित्य के मनीषियों पर । मीर तक़ी मीर की दो लाइनें याद आ रही है–

"पो आये बज़्म में इतना तो मीर ने देखा
फिर उसके बाद चिराग़ों में रोशनी न रही ।"

क्या ग़ज़ब लिखा है । हर शब्द जैसे खुद को बयां कर रहा हो । नज़ीर अकबराबादी, ज़ौक़, आतिश, ग़ालिब, मोमिन ज़फ़र आदि ग्रेट महानुभावों को जानना बहुत अच्छा कहा । संक्षिप्त में जानकारी मिली, कभी विस्तार से भी इनके बारे में बताएंगे । ये महान लोग हर काल में याद किये जाएंगे ।

संस्मरण में व्यंग्य के पुरोधा 'दादा' के बारे में कहा । मौत के ऊपर जो टिप्पणी की गयी है बेमिसाल है । हम भूल जाते हैं कि मौत एक दिन सुनिश्चित है, फिर डर कैसा ? जीना सब चाहते हैं, मरना कोई नहीं ।

पत्रिका बहुत अच्छी है । इसकी तारीफ़ में जितना लिखा जाए कम है ।

माला वर्मा

हाजी नगर (प० बंगाल)

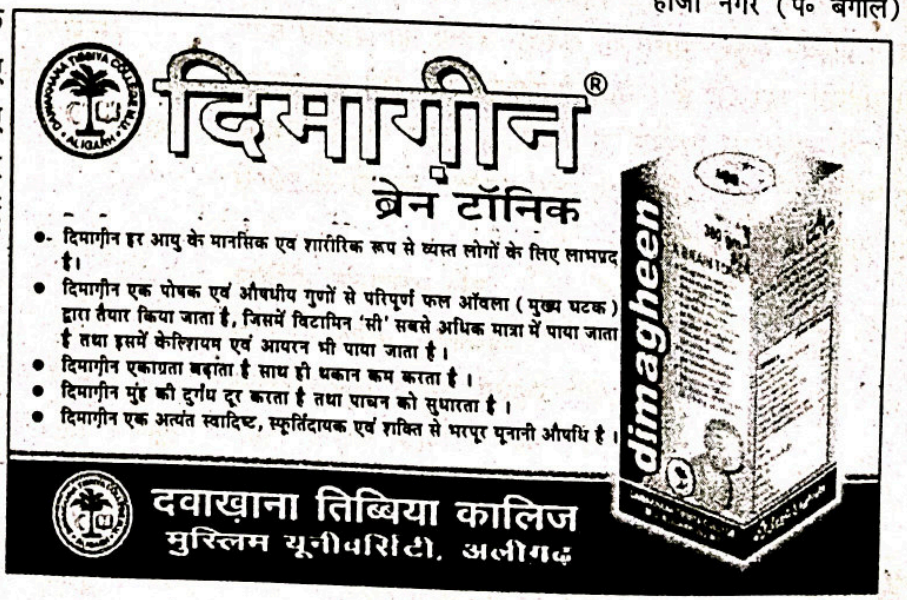

समान सिविल कोड संभव नहीं

■ जस्टिस अब्दुर्रहीम अंसारी
(पूर्व सी०जे०एम०, हाजीपुर, बिहार)

मानव गतिविधयों तथा क्रिया कलापों को निर्धारित एवं नियंत्रित किये जाने के लिए विधि, संहिता अथवा क़ानून की स्थापना हुई । ये मुख्यत: तीन प्रकार के हैं–

1. प्राकतिक क़ानून (Naliual Law),
2. संसदीय क़ानून (Parliamrntary Law) वो
3. रीति-रिवाज क़ानून (Customary Law).

प्राकृतिक क़ानून : ईश्वर सारी सृष्टि का एक मात्र रचयिता है । उसी ने सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी आदि को आवश्यक तथा उपयुक्त स्थानों पर स्थापित किया । उसी ने हवा, पानी तथा अन्य वस्तुओं को बना कर पर्यावरण को सजाया । आवश्यकतानुसार नदी-नाले, जंगल-पहाड़ बनाया । उसी ने सारी सृष्टि को मानव के लिए तथा मानव को अपनी इबादत के लिए बनाया । उसी ने मानव जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए गति का क़ानून (Law of Mofion) गुरुत्वाकर्षण का क़ानून (Law of gravitation) आदि वनाया तथा मानव मार्गदर्शन के लिए धर्मग्रन्थ, अर्थात् वेद, कुरआन, बाइबल आदि दिया ।

इन धर्म ग्रंधों में प्रतिपादित क़ानून को शरीअत अथवा व्यवक्तिगत क़ानून (Personal Law) कहते हैं । अर्थात् हर धर्म के अनुयायियों के लिए पृथक शरीअत दी गई । इनमें से किसी प्रकार का संशोधन मानव के बस में नहीं ।

संसदीय क़ानून : किसी राष्ट्र की संसद अथवा राज्य के विधान मंडल द्वारा नागरिकों के हित में नियम तथा अधि नियम संविधान के अनुकूल बनाये जाते हैं । ये विधि मानव निर्मित हैं । इनमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोध न संभव है ।

रीति-रिवाज़ क़ानून : किसी मानव समूह, जाति अथवा सम्प्रदाय में विशेष रीति-रिवाज और परंपराओं का चलन हो जाता है जो अरसा बीत जाने पर क़ानून का रूप धारण कर लेता है जिसे मनुष्य अपने आधार विचार में परिवर्तन कर संशोधित कर सकता है ।

अतएव सभी धर्मावलम्बियों को ईश्वर ने अलग-अलग धर्मग्रन्थ अर्थात् शरीअत देकर उनके जीवन का मार्ग अलग-अलग कर दिया जिनमें से एक शरीअत वाले दूसरे शरीअत में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । इस्लामी शरीअत जो मुख्यत: कुरआन और हदीस पर आधारित है, में कुछ विशेषाधिकार हैं जैसे एक मर्द चार शादियां कर सकता हैं जबकि दूसरों के लिए एक से अधिक शादी दण्डनीय हैं, तीन तलाक़ देकर बंधन को समाप्त कर दिया जाना, महिलाओं की विरासत में असमानता तथा परदादारी आदि जिससे समानता और स्वतन्त्रता के सिद्धान्त प्रभावित होते हैं । परंतु ग़ौर तलब है कि मुसलमानों को शरीअत के अनुरूप ढलना पड़ता है, न कि अपने अनुरूप शरीअत को ढालना । यहां अल्लाह आदमी पैदा करता है, आदमी अल्लाह को नहीं । जबकि दूसरों के यहां आदमी ही अल्लाह को पैदा करता है । कोई भी मुसलमान अपनी शरीअत में राई बराबर परिवर्तन सहन नहीं कर सकता तो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कोड का निर्माण अनुचित, असंगत और असंभव लगता है ।

भारत में 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू है । इसमें हैं "अनु० 44 राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा ।"

यह प्रावधान संविधान के भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है जिसके संदर्भ में स्पष्टीकरण है कि "अनु० 37 इस भाग में अर्तर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रिवर्तनीय नहीं होंगे, किन्तु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तथ्यों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा ।" अत: राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को लागू करने की बाध्यता नहीं है । हां समान सिविल कोड प्राप्त किये जाने की संभावना तलाश करने का दायित्व राज्य पर अवश्य है । इन्हें दृष्टि में रखकर शासन होना है और विधि

बनाया जाना है ।

इसके विपरीत संविधान के भाग तीन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत अंत:करण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है जो निम्न प्रकार हैं–

अनु॰ 25 लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी व्यक्तियों को अतंकरण की स्वतंत्रता को और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक़ होगा ।

अनु॰ 26 लोक व्यवस्था के अधीन रहते हुए, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को–

(क) धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का,

(ख) अपने धर्म विशेष कार्य के प्रबंध करने का,

(ग) जंगम और स्थावर (Moveable & immoveable) संपति के अर्जन और स्वामित्व का, और

(घ) ऐसी संपति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा ।

अनु॰ 29 : भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हैं, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा ।

अत: अपने संविधान के अनुसार हर नागरिक को अंत:करण और धर्म को मानने, आचरण को प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । यदि समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जाता है तो वह मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन होगा ।

इतना ही नहीं संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल (असगंत) कोई विधि बनाई भी नहीं जा सकती । और बनती है तो वह शून्य होगी ।

अनु॰ 13 (2) राज्य ऐसी कोई विधि, अध्यादेश, आदेश, उपविधि नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी और प्रथा सहित नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और उस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।

अत: स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों जिन्हें वैधानिक हैसियत प्राप्त है को नज़रअंदाज़ करके राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है के आधार पर भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का निर्माण नहीं किया जा सकता । यह भी उल्लेखनीय है कि यह निर्देश किसी नई विधि के निर्माण की हिदायत नहीं करता, बल्कि उपलब्ध विधियों में से समान नागरिक संहिता प्राप्त करने को कहता है ।

इस्लामी शरीअत अल्लाह के द्वारा बनाया हुआ क़ानून है, जिसमें किसी मानव को किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है । यह समस्या कोई नई नहीं है । राजाओं, महाराजाओं, मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेज़ों ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत क़ानूनों में छोड़-छाड़ नहीं की ।

इस्लामी शरीअत अल्लाह के द्वारा बनाया हुआ क़ानून है, जिसमें किसी मानव को किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है । यह समस्या कोई नई नहीं है । राजाओं, महाराजाओं, मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेज़ों ने देश के नागरिकों के व्यक्तिगत क़ानूनों में छोड़-छाड़ नहीं की । The Lax Loci Rafsort of 1840 पेश कर समान अधिनियम बनाने का प्रयास किया गया जिसमें केवल भा॰द॰वि॰, सी॰पी॰सी॰, द॰प्र॰सं॰, भा॰शा॰अ॰, टी॰पी॰ए॰ और संविदा अधिनियम इत्यादि ही बनाया जा सका और कठिनाइयों को देखते हुए मुस्लिम व्यक्तिगत क़ानून व हिन्दु व्यवक्तिगत क़ानून को अक्षुण्ण रखा गया और Queens – 1859 Proclamation इस संदर्भ में जारी किया गया । स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के बीच स्वतंत्रता और समानता के अधिकार की जमानत दिया परन्तु व्यक्तिगत क़ानून के कुछ अंश असंगत होने के बावजूद फिर कभी के लिए छोड़ दिया ।

समान सिविल कोड का मुद्दा रह-रह कर उठता रहा । माननीय न्यायालयों ने भी ए॰ आई॰ आर॰ 1952Bom84, Air.1960 S.C, 1363, Air, 1965 Raj 239, S.c.c. 555, 1995 eb

S.c.c. 635, और 1996 E5 S.c.c.125 में इस संदर्भ में अनावश्यक टिप्पणीयां कीं । बहुर्चिचत शाहबानों केस के बाद The Protection of Muslim Women Rights on Divora 1986 बनाकर व्यक्तिगत क़ानून की रक्षा की गई । अहमदाबाद वीमेंस ऐक्सन ग्रुप AWAG की ओर से आवेदन किया गया–

(क) मुस्लिम पर्सनल लॉ के चार सादियों को अनु॰ 14 से 15 के तहत अवैध घोषित किया जाये,

(ख) एक तरफ़ा तलाक़ वो अनु॰ 13,14,15 तहत अवैध घोषित किया जाये,

(ग) एक से अधिक पत्नी रखने के अधिकार को 1939 एक्ट की धारा 8(2) के तहत विवाह विच्छेद क़रार दिया जाये तथा (घ) 1986 के एक्ट को अवैध क़रार दिया जाये, तो 1997 में मुख्य न्यायाधीश श्री ए॰ए॰अहमदी की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधाशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि चूंकि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है । परंतु इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय द्वारा 2001 (7) S.c.c.740, 2002 (7) S.c.c.518, क्रि॰ अपिल नं॰ 2309-09 और सिविल अपील नं॰ 7217/2013 में समान सिविल कोड से संबंधित अनावश्यक टिंप्पणी की गई ।

ब्रिटिश भारत ने The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1937 बनाकर शरीअत क़ानून को आंशिक रूप से मान्यता प्रदान की, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत सातवें सिहुल की सूंचि के आइटम न॰ 5 में अंकित कर वैध ठहराया गया जो निम्न प्रकार है–

5. विवाह और विवाह विच्छेद, शिशु और अवयस्क, दत्तक ग्रहण, विल, निर्वसीयता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुम्ब और विभाजन के सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों के पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले स्वीप विधि के अधीन थे । अतएव कुछ अज्ञानी लोगों का यह आरोप कि शरीअत संविधान से ऊपर है निराधार हो जाता है ।

मुस्लिम शरीअत पर आपत्ति करने वाले दो प्रकार के हैं । एक तो तंगनज़र लोग हैं, जिनके बारे में कुछ कहना ही बेकार है, दूसरे जिनकी चिंता वास्तविक है । इसमें कोई दो राय नहीं कि नागरिकों के बीच स्वतंत्रता और समानता सर्वोपरी है । परंतु दोनों शब्द भ्रामक हैं । यदि घास को बढ़ने की स्वतंत्रता है, तो घोड़े को घास खाने की ।

मुस्लिम शरीअत में व्याप्त चार विवाह, तीन तलाक़, लड़कियों की विरासत तथा परदारी का विरोध किया जाता है । मगर यह भी उचित नहीं लगता ।

चार विवाह की अनुमति क्यों ? इस्लाम में एक से अधिक विवाह भी अनुमति सशर्त दी गई है । यदि शर्त पूरा नहीं करता तो उसे एक ही विवाह करना है । परंतु कुछ परिस्थितियों में बहु विवाह आवश्यमभावी हो जाता है । पत्नी की बाझपन, निरंतर बीमारी अथवा सम्भोग के लिए अनुपयुक्त होने की स्थिति में पत्नी को तलाक़ देने, उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करने या संतान और सम्भोग की इच्छा का परित्याग करने के बजाए अपने को प्रताड़ित करने या असहाय पत्नी को छोड़ देने से बहु विवाह बेहतर है । कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी यौन क्रीड़ा की भावना दूसरों की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है । उनके लिए अडलट्री, कंकुवाइनेज़, प्रोस्टीट्यूशन तथा दूसरे यौन अपराधों से रोकने के लिए बहु विवाह आवश्यक है । बहु विवाह लागू कर तथा समय से विवाह अनिवार्य कर सोना गाछी, चतुर्भुज स्थान, रेड लाइट एरियाज़ जैसे स्थलों की स्थापना सेक्स रैकेट तथा रेप जैसे गंभीर अपराधों से समाज को निजात दिलाया जा सकता है ।

तीन तलाक़ : आज तलाक़ हमारे जीवन की अभिन्न संस्था बन चुकी है जिसे वैधानिक मान्यता प्राप्त है । इस्लाम में तलाक़ विधि अत्यंत ही सरल और सुगम बनाया गया है । परंतु अल्लाह का आदेश स्पष्ट है कि तलाक़ में जल्दबाज़ी न हो ।

हदीस में है, "अल्लाह के नज़दीक हलाल (वैध) चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा चीज़ तलाक़ है ।" तलाक़ के प्रावधान को अंतिम और अपरिहार्य समाधान के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है ।

सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाया जाना संभव भी नहीं है । समान सिविल संहिता बनाया जाना संविधान का खुला उल्लंघन होगा । कुछ लोगों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता से एकता आएगी । ऐसी बात नहीं है । अनेकता में एकता ही हमारी विशेषता है, हमारी पहचान है । जब तक धर्म है भारत-भारत है । धर्मविहीन भारत-भारत न रहकर कुछ और हो जाएगा । हमख़्याल देश विश्व को दो विश्वयुद्धों से बचा नहीं पाये । समान नागरिक संहिता का साफ़ अर्थ धर्म का परित्याग है । अधर्मी भारत कभी जीवित नहीं रह सकता । सभी को साथ लेकर चलने के लिए धर्म का होना आवश्यक है, आस्था ज़रूरी है ।

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL

INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL

INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)

Chairman
Janab Imammuddin Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

गाय के नाम पर जनतंत्र वध

हिंगोनिया गोशाला, जयपुर के प्रभारी मोहिउद्दीन चिंतित हैं । जयपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस गोशाला में नौ हज़ार से अधिक गायें रखी गयी हैं । इनमें 30 से 40 गायें लगभग हर रोज़ मर रही हैं, मगर कोई देखने वाला नहीं है । वहां न इनके खाने-पीने का सही साधन है, न ही बीमार गायों के इलाज का कोई उपाय । लिहाज़ा, 200 से अधिक कर्मचारियों वाली इस गोशाला में गायों की मौत पर क़ाबू नहीं हो पा रहा है । वैसे, एक अख़बार के अनुसार अप्रैल में अकेले जयपुर शहर में हर रोज़ 90 गायों की मृत्यु हुई, जिनकी लाशें हिंगोनिया भेज दी गयीं ।

याद रहे, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां स्वतंत्र गोपालन मंत्रालय की स्थापना की गयी है । लेकिन जयपुर में प्रति माह 2700 गायों की मौत के बावजूद इस मसले पर मंत्री महोदय कुछ भी कर नहीं पाये । दरअस्ल अस्ली मामला बजट का है । मोदी सरकार ने सामाजिक क्षेत्रों की सब्सीडी में जबरदस्त कटौती की है, जिसका असर पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्यपालन विभाग पर भी पड़ा है । पिछले साल की तुलना में इस साल 30 फ़ीसदी की कटौती की गयी है ।

गायों की दुर्दशा

अध्ययन बताते हैं कि गायों की असामयिक मौत का मुख्य कारण उनका प्लास्टिक खाना है । यह बात दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा ने लगभग बीस साल पहले बतायी थी और यह कहने के लिए उन्हें 'परिवारजनों' की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी । पिछले दिनों जयपुर में आयोजित कला प्रदर्शनी में एक प्रतिभाशाली कलाकार ने इसी बात को अपने इंस्टालेशन के ज़रिए उजागर करना चाहा और प्लास्टिक की गाय वहीं परिसर में लटका दी । प्रदर्शनी में शामिल तमाम लोग अन्य कलाकृतियों की तरह उसे भी निहार रहे थे, मगर प्लास्टिक की गाय को लटका देख शहर के स्वयंभू गोभक्तों की भावनाएं आहत हो गयीं । उन्होंने न केवल प्रदर्शनी में हंगामा किया बल्कि पुलिस बुलवा ली, जिसने कलाकार एवं प्रदर्शनी के आयोजक दोनों को थाने ले जाकर प्रताड़ित किया । जब इस मसले को लेकर मीडिया में हंगामा हुआ, देश-विदेश के कला प्रेमियों ने आक्रोश व्यक्त किया तो राज्य सरकार को कुछ दिखावटी कार्रवाई करनी पड़ी ।

राज्य में कहीं भी छापा मार कर गायों को ज़ब्त करने वाले इन गोभक्तों को इस बात से कोई मतलब नहीं कि हिंगोनिया में रोज़ दसियों गायें दम तोड़ रही हैं । उनके दिमाग़ में यह बात नहीं आती कि गोशालाओं के लिए संसाधन जुटा दें । हां, समय-समय पर 'ज़ब्त' गायों को वे उसी ख़स्ताहाल गोशाला में ज़रूर पहुंचा देते हैं । क़ानून के राज को ठेंगा दिखाकर की जा रही ऐसी वारदातों ने देशव्यापी शक्ल ले ली है । आप बीफ़ का हौवा खड़ा करके या गोवंश को अवैध ढंग से ले जाने का आरोप लगाकर किसी वाहन पर हमला कर सकते हैं, गाड़ी के चालक और मालिक को पीट सकते हैं ।

ज़्यादा दिन नहीं हुए जब हरियाणा के पलवल में मांस ले जा रहे एक ट्रक पर स्वयंभू गोभक्तों की ऐसी ही संगठित भीड़ ने हमला कर दिया । अफ़वाह फैला दी गयी कि उसमें गोमांस ले जाया जा रहा है । पूरे क़स्बे में दंगे जैसी स्थिति

UNITED ELECTRONIC SPARES

Deals :
Electronic Spare Parts,
TV, DVD, DTH & All Types of Remote,
CFL Glass & CFL Kit, USB Set, Fan,
Iron, Mixer, Mobile Accessories,
0-25 KVA To 10 KVA Stabiliser &
Inverter, CFL Inverter &
12 V 7.2AH Battery

Shop No-8, Hotel Ashoka Complex,
L.T. Road, Ramgarh Cantt, Jharkhand

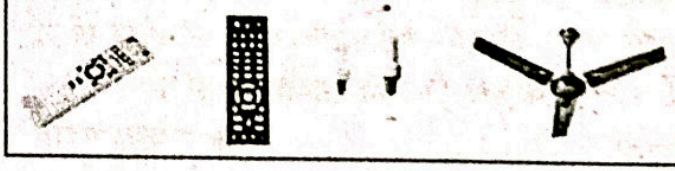

बन गयी । पुलिस पहुंची और उसने चालक और मालिक पर कार्रवाई की । ऐसी कार्रवाइयों को ऊपर से किस तरह शह मिलती है, इसका सबूत दूसरे दिन ही मिला, जब सरकारी स्तर पर ऐलान हुआ कि गोभक्तों के नाम पर पहले से दर्ज मुक़दमे वापस होंगे । दिलचस्प बात है कि गोभक्ति की कोई परिभाषा नहीं है । देश में जैसा माहौल बना है उसमें बिसाहड़ा (दादरी) में अख़्लाक़ के घर पर पहुंचा आततायियों का गिरोह भी गोभक्त है और उधमपुर में किसी ट्रक में पेट्रोल बम फेंक कर किसी निरपराध को ज़िंदा जलाने वाले भी । मई में राजस्थान के ही नागौर ज़िले के बिरलोका गांव में अब्दुल ग़फ़्फ़ार कुरैशी नामक मीट विक्रेता को पीट-पीटकर मार देने वाले हत्यारे भी गोभक्त ही हैं, जिन्होंने उसे इसी आशंका में मार दिया था कि वह भविष्य में बीफ़ बेच सकता है ।

मनुष्य की तुलना में एक चौपाये जानवर को महिमामंडित करने में दक्षिणपंथी संगठनों के मुखपत्रों को कोई गुरेज नहीं है । याद करें कि झज्जर में 2003 में जब मरी हुई गायों को ले जा रहे पांच दलितों को जब पीट-पीट कर ऐसी ही गोरक्षा समूहों की पहल पर मारा गया था, तब इन्सानियत को शर्मसार करने वाले इस वाक़िये को लेकर इन्हीं संगठनों के एक शीर्षस्थ नेता का बयान था कि पुराणों में इन्सान से ज़्यादा असमियत गाय को दी गयी है । पिछले दिनों दादरी की घटना के बाद भी इनके मुखपत्र में उसी क़िस्म के आलेख प्रकाशित किये गये ।

फिसलन भरा रास्ता

गाय के नाम पर जनतंत्र के तमाम मूल्यों को ताक पर रखकर फैलायी जा रही यह हिंसा पाकिस्तान में ईशनिंदा के नाम पर फैलायी जा रही संगठित हिंसा की याद ताज़ा करती है । जिस तरह पाकिस्तान में ईशनिंदा का महज आरोप लगाना ही काफ़ी होता है, बाक़ी जलाने-फूंकने, मारने का काम आहत भावनाओं की भरपाई के नाम पर उग्र इस्लामिस्ट समूह खुद करते हैं या करवाते हैं । वही हाल भारत में अब गाय को लेकर देखा जा रहा है । यहां भी महज हंगामा करना काफ़ी है । उन सबको, जो गोरक्षा या गोभक्ति के नाम पर की जा रही हिंसा को सही ठहरा रहे हैं या उसकी तरफ़ अपनी आंखें मूंदे हुए हैं, याद रखना चाहिए कि यह फिसलन भरा रास्ता भारत को दूसरा पाकिस्तान बनने की तरफ़ ले जा रहा है । पर क्या पता, वे यही चाहते भी हों !

● सुभाष गताडे

दोहे

● रसूल अहमद 'सागर'

फूंक-फूंककर धर रही, हवा आजकल पांव ।
मौसम देता घुड़कियां, चल नफ़रत के दांव ।।

मेरी फटी कमीज़ औ', धोती देख मलीन ।
मन में मुस्काते रहे, महलों के कालीन ।।

जब से राम-रहीम की छूटी दुआ-सलाम ।
प्रश्न-चिह्न ढाड़े भये, यकज़हती के नाम ।।

लिए फिरे हम उम्र भर, एक नदी की आस ।
दो-दो बूंदों से बुझी, कब मरुथल की प्यास ।।

निर्धन को धनवान ने, समझा सदा हक़ीर ।
मुस्कानों ने कब पढ़ी, आंसू की तहरीर ।।

शोषण के घर क़ैद है, अब सारा मकरंद ।
सोनजुही देती नहीं, पहले जैसी गंध ।।

भूखे बच्चे सो गये, होकर बहुत अधीर ।
चूल्हे पर पकती रही, आश्वासन की खीर ।।

शुभ-चिंतक अब दे रहे, क्या सुंदर सौग़ात ।
स्वयं गुरुजी पी रहे, सुरा शिष्य के साथ ।।

कौन सुने इस दौर में, अपनी चीख़-पुकार ।
मछुआरों के गांव हैं, बगुले पहरेदार ।।

अब दिल्ली दरबार भी, है कितना बलहीन ।
जहां सपेरे नाचते, सांप बजाते बीन ।।

आज़ादी पाकर हुए, हम तो और अधीर ।
मुट्ठी भर खुशियां मिलीं, पर्वत जैसी पीर ।।

धूमिल छवि के लोग भी, कितने ललित-ललाम।
चंदन के हर पेड़ पर, वीरप्पन का नाम ।।

पत्थर बांधे पेट से, सही भूख की पीर ।
हमने रोटी के लिए, बेचा नहीं ज़मीर ।।

भूगोल के मूल सिद्धांत और इस्लाम

■ अबरार अहमद
(लाखेरीवाले)

भूगोल शब्द दो मूल ग्रीक शब्दों Geo (पृथ्वी) एवं graphos (वर्णन) से मिलकर बना है । दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है–पृथ्वी का वर्णन । भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं, प्राकृतिक विज्ञान की अंतरापृष्ठ हैं । परंपरागत भौतिक भूगोल, भौमिकी, मौसम विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान से संबंधित है ।

कुरआन कोई विज्ञान की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह एक उत्कृष्ट धार्मिक पुस्तक है । विज्ञान ने अभी इतनी तरक़्क़ी नहीं की है कि कुरआन की समस्त आयतों को समझ लिया जाए । जबकि जिस ज़माने में कुरआन अवतरित हुआ, उस ज़माने में तो मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ था । कुरआन के अवतरित होने के बाद ही विज्ञान तरक़्क़ी कर पाया ।

इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को धरती में बसाया और धरती व आकाशों की हर चीज़ को उसके लिए वशीभूत कर दिया । दरअस्ल ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर अपना उत्तराधिकारी चुना । इसके लिए यह आवश्यक था कि मनुष्य को वे सभी सुविधाएं हासिल हों, जिनसे वह अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सके । अत: कुरआन में है–

"हमने तुम्हें ज़मीन में अधिकारों के साथ बसाया और तुम्हारे लिए यहां जीवन-सामग्री जुटाई, मगर तुम लोग कृतज्ञता थोड़े ही दिखाते हो ।" (कुरआन, 7:10)

आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत-बिग बैंग सिद्धांत है । इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है–

(1) आरंभ में वे सभी पदार्थ, जिनसे ब्रह्मांड बना है, अति छोटे गोलक (एकाकी परमाणु) के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था ।

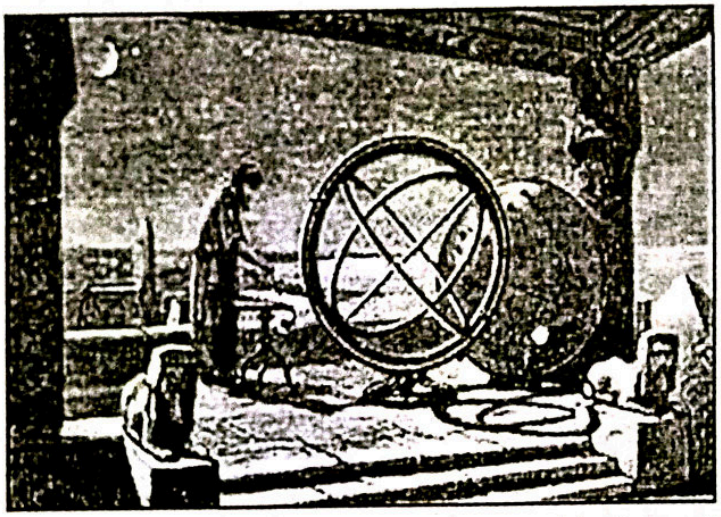

(2) बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ । इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहत विस्तार हुआ । विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गयी । विस्फोट के बाद एक सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ । इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गयी । बिग बैंग होने के आरंभिक तीन मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ ।

(3) बिग बैंग से तीन लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाण्वीय पदार्थ का निर्माण हुआ । ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया ।

(1) पृथ्वी : प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था । यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था । अत: कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, गर्म और वीरान पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत-सा ग्रानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ ।

ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं । बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने । पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है ।

जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था, तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया । इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई । इससे उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने लगा । ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ । अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गयी और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गये । इसी अलगाव से भारी पदार्थ (जैसे-लोहा), पृथ्वी के केन्द्र में चले गये और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ़ आ गये । समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गये । अंतत: ये पृथ्वी की भूपर्पटी के रूप में विकसित हो गये ।

जहां तक इस्लाम का सवाल है, तो इस्लाम का अक़ीदा यह है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति अल्लाह के 'कुन' (हो जा) से हुई । पृथ्वी का निर्माता भी वही है–

"वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को वशीभूत कर रखा है, चलो उसकी छाती पर और खाओ अल्लाह की रोज़ी, उसी के यहां तुम्हें पुन: जीवित होकर जाना है ।"

(कुरआन, 67:15)

(2) पर्वत : पर्वत मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं–

(1) वलित पर्वत : इनका निर्माण तलहटी शैलों के वलित स्तरों से होता है, जब इन स्तरों पर दोनों तरफ़ से दबाव पड़ता है, तो इनमें मोड़ पड़ने लगते हैं ।

(2) भ्रंशोत्थ पहाड़ : पृथ्वी की भीतरी हलचल के कारण पपड़ी में पड़ी किन्हीं दो समांतर दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाने से पहाड़ बन जाता है ।

(3) ज्वालामुखी पर्वत : कई बार पृथ्वी की पपड़ी के नीचे का गरम लावा और ऊपर से रिसकर आये हुए पानी की भाप आवरण को फोड़ कर बड़े बेग से बाहर फूट निकलती है । यह लावा छिद्र के इर्द-गिर्द एकत्रित होता रहता है और कुछ समय में शंकु के आकार का पहाड़ बन जाता है ।

जब हम पहाड़ों के संबंध में इस्लाम का अध्ययन करते हैं, तो हमें मालूम चलता है कि अल्लाह ने पहाड़ों को धरती पर इसलिए बनाया कि ये पृथ्वी को संभाले रखें ।

"उसने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें (खूंटे) गाड़ दीं ताकि ज़मीन तुम को लेकर लुढ़क न जाए ।"

(कुरआन, 16:15)

(3) हवाएं : हम प्रत्येक क्षण श्वास लेते हैं । इन्सान बिना भोजन और पानी लिए कुछ समय तक जीवित रह सकता है, परन्तु श्वास लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं होता ।

वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है । इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैस-ऑक्सीजन तथा पौधों के जीवन के लिए कार्बन डाईऑक्साइड पायी जाती है । वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन (हवा) की तरह बहती है, तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं । जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है ।

वायुमंडल में छोटे-छोटे कणों को भी रखने की क्षमता होती है । धूलकरण प्राय: वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फ़िर भी संवहनीय वायु प्रवाह इन्हें काफ़ी ऊंचाई तक ले जा सकता है । धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केन्द्र की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करती हैं ।

(4) बादल और वर्षा : बादल पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के छोटे रवों की संहति होता है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघन्न के कारण बनते हैं ।

वर्षा करने वाले मेघ (बादल) काले या गहरे स्लेटी रंग के होते हैं । ये पृथ्वी की सतह के काफ़ी नज़दीक बनते हैं । ये सूर्य की किरणों के लिए बहुत ही अपारदर्शी होते हैं ।

स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है । जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है तब ये पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं । इसलिए जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के युक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं । यह द्रव या ठोस अवस्था में हो सकता है । वर्षण जब पानी के रूप में होता है, उसे वर्षा कहा जाता है । कभी-कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद बर्फ़ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़ों में परिवर्तित होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, इसे ओलावृष्टि कहते हैं ।

(5) जल : क्या आप जल के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं ? कहा जाता है कि जल ही जीवन है । जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है । जल हमारे सौरमंडल का दुर्लभ पदार्थ है । सूर्य अथवा सौरमंडल में अंयत्र कहीं भी जल नहीं है । लेकिन पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है । अत: हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है ।

जल एक चक्रीय संसाधन है, जिसका प्रयोग एवं पुन: प्रयोग किया जा सकता है । जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है । हवा के बाद पानी पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है ।

पृथ्वी पर पाये जाने वाले जल का लगभग 71 प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है । शेष जल ताज़े जल के रूप में हिमानियों, हिमटोपी, भूमिगत जल, झीलों, मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिताओं और जीवों में संग्रहित है ।

धरातल पर गिरने वाले जल का लगभग 59 प्रतिशत भाग महासागरों एवं अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है । शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिम नदी का रूप लेता है ।

महासागर एक-दूसरे में इतने स्वाभाविक ढंग से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है ।

इस्लामी दृष्टिकोण : इस्लाम की धारणा यह है कि अल्लाह ने इन्सान को धरती पर अपना उत्तराधिकारी बनाकर भेजा । इसके लिए धरती पर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उसने इन्सान को उपलब्ध करायीं । अल्लाह ने धरती, चांद, सूरज, तारे, बादल, वायु आदि को इन्सान की सेवा में लगा दिया । साथ ही अल्लाह ने इन सब चीज़ों को अपनी निशानियां भी घोषित किया ।

जिस इन्सान ने इन निशानियों पर सोच-विचार किया, उसने मानो सही रास्ता पा लिया ।

अल्लाह ने जो निशानियां उतारी हैं, उनसे विमुख होकर जिसने ज़िन्दगी गुज़ारी वह लोक-परलोक में असफ़ल रहा ।

अल्लाह इन निशानियों के द्वारा इन्सान की परीक्षा लेना चाहता है तथा अंत में इन्सान को अल्लाह ही के पास लौटकर जाना है ।

कुरआन यह स्पष्ट करता है कि बुद्धिमानों के लिए इन सब चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं ।

अत: अब हम कुरआन की कुछ आयतें प्रस्तुत करेंगे जो ये बताती हैं कि धरती, हवा, पानी आदि में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो सोच-विचार से काम लेते हैं ।

"और वह अल्लाह ही है जो हवाओं को अपनी दयालुता के आगे-आगे खुशख़बरी लिए हुए भेजता है, फिर जब वे पानी से लदे हुए बादल उठा लेती हैं तो उन्हें किसी निर्जीव भू-भाग की ओर चला देता है और वहां मेंह बरसाकर (उसी मरी हुई भूमि से) तरह-तरह के फल निकाल लाता है । देखो, इस तरह हम मुर्दों को मौत की हालत से निकालते हैं, शायद कि तुम इस निरीक्षण से शिक्षा ग्रहण करो ।" (कुरआन, 7:57)

"और वही है जिसने यह ज़मीन फैला रखी है, इसमें पहाड़ों के खूंटे गाड़ रखे हैं और नदियां बहा दी हैं । उसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किये हैं और वही दिन को रात से छिपाता है । इन सारी चीज़ों में बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच-विचार से काम लेते हैं ।" (कुरआन, 13:3)

"हमने ज़मीन को फैलाया, उसमें पहाड़ जमाए, उसमें हर तरह की वनस्पति ठीक-ठीक नपी-तुली मात्रा के साथ उगाई और उसमें आजीविका के साधन जुटाये, तुम्हारे लिए भी और सृष्टि के उन बहुत से प्राणियों के लिए भी जिनके आधारदाता तुम नहीं हो ।" (कुरआन, 15:19-20)

M/s. ABBAS SOAP FACTORY

77/2, Topsia Road (South)
KOLKATA - 700 046

अगर कोई अपने ब्रांड के नाम से माल बनवाना चाहते हैं तो भी राबिता क़ायम करें।

PRODUCTS

- ✓ WASHING POWDER
- ✓ TOILET SOAP
- ✓ WASHING SOAP
- ✓ DETERGENT POWDER
- ✓ BATH SOAP

Contact For Business
For
Agency & Distributor Ship

M : 08100226137 (Mohd. Abbas)
M : 09831496237 (Mohd. Khalid)
M : 08981605834 (Mohd. Khalid)

"वही (अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का बिछौना बिछाया, और उसमें तुम्हारे चलने को रास्ते बनाए और ऊपर से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की उपज निकाली । खाओ और अपने जानवरों को भी चराओ । यक़ीनन इसमें बहुत-सी निशानियां हैं बुद्धि रखने वालों के लिए ।" (कुरआन, 20:53-54)

"और आसमान से हमने ठीक हिसाब के अनुसार एक निश्चित मात्रा में पानी उतारा और उसको ज़मीन में ठहरा दिया, हम उसे जिस तरह चाहें ग़ायब कर सकते हैं ।"
(कुरआन, 23:18)

"क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह बादल को धीरे-धीरे चलाता है, फिर उसके टुकड़ों को परस्पर जोड़ता है, फिर उसे समेटकर एक घना बादल बना देता है, फिर तुम देखते हो कि उसके खोल में से वर्षा की बूंदें टपकती चली आती हैं । और वह आसमान से, उन पहाड़ों की बदौलत जो उसमें ऊंचे उठे हुए हैं, ओले बरसाता है, फिर जिसे चाहता है उसको हानि पहुंचाता है और जिसे चाहता है उनसे बचा लेता है । उसकी बिजली की चमक निगाहों को चौंधियाई हुई किये देती है ।" (कुरआन, 24:43)

"और वही है जिसने दो समुद्रों को मिला रखा है । एक स्वादिष्ट और मीठा, दूसरा कड़ुआ और खारा । और दोनों के बीच एक परदा पड़ा है । एक रुकावट है जो उन्हें गड्ड-मड्ड होने से रोके हुए है ।" (कुरआन, 25:53)

"और वह कौन है जिसने ज़मीन को ठहरने का स्थान बनाया और उसके अन्दर नदियां प्रवाहित कीं और उसमें (पहाड़ों की) मेखें गाड़ दीं और पानी के दो भंडारों के बीच परदे डाल दिये ? क्या अल्लाह के साथ कोई और पूज्य-प्रभु भी (इन कामों में सहभागी) है ? नहीं, बल्कि इनमें से ज़्यादातर लोग नादान हैं ।" (कुरआन, 27:61)

"वही है जो लोगों के निराश हो जाने के बाद मेंह बरसाता है और अपनी दयालुता फैला देता है, और वही प्रशंसा योग्य संरक्षक है ।" (कुरआन, 42:28)

"वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस ज़मीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रास्ते बना दिये ताकि तुम अपनी अभीष्ट मंज़िल की राह पा सको । जिसने एक विशेष मात्रा में आसमान से पानी उतारा और उसके द्वारा मुर्दा ज़मीन को जिला उठाया, इसी तरह एक दिन तुम ज़मीन से निकालकर बाहर किये जाओगे ।" (कुरआन, 43:10-11)

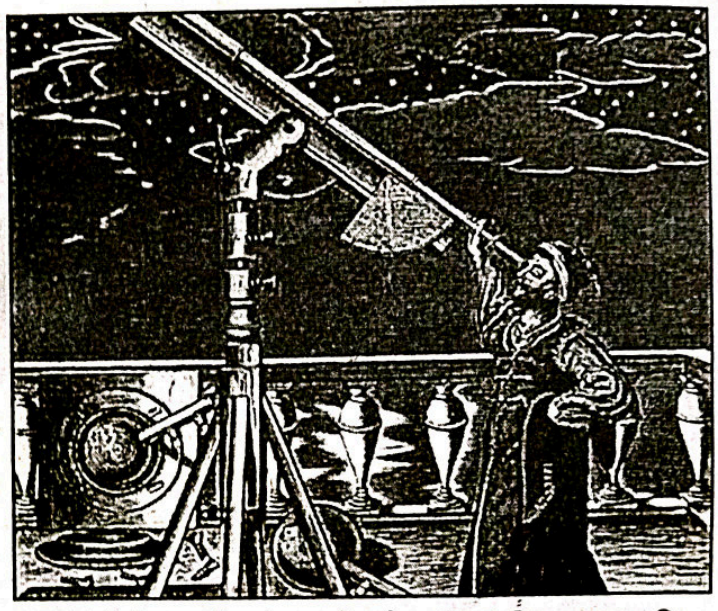

"दोनों समुद्रों को उसने छोड़ दिया कि परस्पर मिल जाएं, फिर भी उनके बीच एक परदा पड़ा है जिसको वे पार नहीं करते ।" (कुरआन, 55:19)

"कभी तुमने आंखें खोलकर देखा, यह पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं ? हम चाहें तो इसे अत्यंत खारा बनाकर रख दें, फिर क्यों तुम कृतज्ञता नहीं दिखाते ?"
(कुरआन, 56:68-70)

"क्या हमने ज़मीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया, ज़िंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी और उसमें ऊंचे-ऊंचे पहाड़ जमाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया ?"
(कुरआन, 77:25-27)

"तुम्हारा पूज्य-प्रभु एक ही पूज्य प्रभु है, उस करुणामय और दयावान के सिवा कोई और पूज्य-प्रभु नहीं है । (इस सत्य को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और लक्षण अपेक्षित है तो) जो लोग अक़्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की संरचना में, रात और दिन के निरंतर एक-दूसरे के बाद आने में, उन नौकाओं में जो इन्सान के लिए लाभ की चीज़ें लिए हुए नदियों और समुद्रों में चलती-फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है फिर उसके द्वारा मुर्दा ज़मीन को जीवन प्रदान करता है, और (अपनी इसी व्यवस्था के कारण) धरती में हर तरह के जीवधारियों को फैलाता है, हवाओं की गर्दिश में, और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के बीच आज्ञा के वशीभूत बनाकर रखे गये हैं, अनगिनत निशानियां हैं ।" (कुरआन, 2:163-164)

मंगली बहू

■ विद्या प्रकाश

विनोद मेरे नगर स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज में मनोविज्ञान का प्रवक्ता था । उम्र यही 30-32 साल के आसपास होगी । स्वस्थ सुन्दर क़द-काठी । आचार-विचार में विनम्र, व्यवहार कुशल और शिष्ट । अविवाहित था । प्रतिदिन सूर्योदय काल में नियमित रूप से प्रात:कालीन भ्रमण मेरी दिनचर्या में सम्मिलित है । शहरी आबादी से कुछ फ़ासले पर गोमती नदी पर नवनिर्मित सेतु की तरफ़ का परिवेश मनोरम और प्राकृतिक है ।

सुबह ताज़ा स्फूर्तिदायिनी हवा मिलती है । विनोद का निवास स्थान मेरे मुहल्ले से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर था । वह भी रोज़ाना प्रात:कालीन सैर पर निकलता था और रास्ते में आते-जाते उससे जो परिचय हुआ, वह धीरे-धीरे घनिष्ठ से घनिष्ठतर होता चला गया । घर-परिवार संबंधी तमाम बातें भी खुलकर बेतकल्लुफ़ होने लगी । वह इतना घुल मिल गया था कि जिस दिन किसी कारण से प्रात:कालीन भ्रमण पर वह न आ पाता था और नहीं दिखलायी पड़ता था, मन उससे मिलने को व्याकुल और अधीर हो उठता था । उस दिन ख़ाली-ख़ाली सा लगता था ।

हमारे समाज में शादी-विवाह के मामले में कुंवारे लड़कों का रेट उनकी स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है । यदि लड़का बेरोज़गार है तो उसके दहेज का रेट सबसे कम होता है और यदि पढ़ लिखकर सामान्य नौकरी में आ गया तो दहेज में दस पन्द्रह लाख की मांग आम बात है । यदि लड़का डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बन गया तो पूछिये मत । सब्ज़ी मंडी में आलू-कुम्हड़ा, नेनुवां, तरोई तथा टिंडे-बंडे की भाँति मोलभाव और सौदेबाज़ी होती है । इंटर कॉलेज में मास्टरी पाने के बाद विनोद का भाव बढ़ गया था, मगर एक समस्या थी मंगला की ।

जन्म कुंडली देखकर किसी पंडित ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर गणनोपरांत बता दिया था—वह मंगला है । इस स्थिति में मंगली लड़की से ही वह विवाह करे । दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा अन्यथा अनिष्ट-अमंगल का योग है । जीवन कष्टमय और नारकीय हो जाएगा । एक से एक उत्तम रिश्ता आता था, मगर उसने सिर्फ़ इस नाते नामंजूर कर दिया था ।

इसी दौरान एक ऐसी तालीमयाफ़्ता लड़की का रिश्ता आया, जो हाईस्कूल से लेकर एम०ए० तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण थी तथा बी०एड० करने के पश्चात शहर स्थित इंग्लिश मीडियम के एक कान्वेंट स्कूल में सहायक अध्यापिका थी । सुन्दर और गृहकार्य कुशल थी, मगर यह रिश्ता इसलिए कट गया कि वह मंगली नहीं थी । यद्यपि मंगला दोष के निवारण का शास्त्र सम्मत विधान है, मगर विनोद के दिमाग़ में मंगला का कीड़ा इस हद तक गहराई से घुस गया था कि वह हठ किये बैठा था कि वह जब भी विवाह करेगा, मंगली से ही करेगा भले चार साल बाद हो ।

एक दिन वह छुट्टी के रोज़ मेरे घर पर आया । कहने लगा, 'बिरादरी में कोई मंगली लड़की हो, तो बताइएगा' मैंने जवाब दिया, 'मंगला मंगली से कुछ नहीं होता । यह सब दिमाग़ी वहम है । दिल से निकाल दो । अस्ली चीज़ है व्यक्ति का चरित्र । इतने पढ़े-लिखे तथा विचारशील होकर भी इन अवैज्ञानिक अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ना निहायत बेवक़ूफ़ी है । इस चक्कर में अच्छे से अच्छे रिश्ते को इन्कारना कहां की अक़लमंदी है ।' मगर वह अपनी ज़िद के आगे किसी भी तरह हरगिज़ दूसरे की मानने को तैयार न था । मेरी बात उसके गले के नीचे नहीं उतर रही थी । वह एक कान से सुनता तथा दूसरे कान से निकाल देता ।

एक-एक कर दिन गुज़रने लगे । एक रोज़ सायंकाल मैं रोज़ाना की तरह दफ़्तर से घर लौटा । श्रीमती जी कहने लगी, विनोद की शादी तय हो गयी है । आज आपके

आफ़िस जाने के बाद उसका भतीजा निमंत्रण-पत्र लेकर आया था । अगले हफ़्ते सोमवार को विवाह है । बता रहा था–लड़की इंटरमीडिएट पास है । मगर मंगली होने के नाते शादी कर रहा है । लड़की जैसी चाहते थे, वैसी है ।

अगले सप्ताह विनोद की शादी हर्षोल्लासपूर्वक संपन्न हो गयी । चार-छह दिनों तक घर में मेहमानों की आमदोरफ़्त से व्यस्तता रही । दुल्हन के आने के बाद मुहल्ले की महिलाएं आती तथा नवागता बहू को मुंह दिखाई तथा शुभाशीर्वाद देती । मगर भवितव्यता को कौन टाल सकता है । विधि का लिखा को मेटनिहारा । वही होता है, जो मंज़ूरे ख़ुदा होता है ।

विवाहोपरांत हंसी-ख़ुशी के साथ एक-एक कर दिन व्यतीत होने लगे । विवाह के चौथे दिन बहू के मायके से चौथिहार चौथी लेकर आये । उनके आवभगत में कोई कमी नहीं बाक़ी रखी गयी ।

अगले दिन वे घर वापस चले गये । मायके से बहू को दहेज में अन्य सामग्रियों के साथ मोबाइल फ़ोन भी मिला था । मोबाइल पर जब काल आता, वह अपने कक्ष में सत्वर चली जाती और देर तक धीमी आवाज़ में पता नहीं किससे क्या-क्या बतियाती रहती ।

दरवाज़े पर वह सास-ननद या अन्य किसी के आगमन की आहट सुनती, तत्काल स्विच ऑफ़ कर देती । उनके चली जाने के बाद फिर फ़ोन से वार्तालाप का सिलसिला शुरू हो जाता और मोबाइल शीघ्र छोड़ने का मन न करता । ससुराल वालों ने सोचा बहू को आये अभी कितना दिन हुआ ही है । पीहर के जिस घर में महिला की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था बीती है, उससे माया-ममता स्वाभाविक है । महतारी, बहन और भौजाई से बहू बतियाती होगी । एक दिन कुंवारी ननद बहू के कक्ष के बगल से गुज़र रही थी । उसने यह कहते सुन लिया–

'तुम बार-बार फ़ोन कर परेशान मत किया करो । यहां किसी को शक हो गया तो ? दस-पांच दिनों में विदाई की साइत है । जैसा होगा, दिन तारीख़ के बारे में ख़बर करूंगी । इधर फ़ोन मत करना । इसी तरह फिर एक दिन देवर ने फ़ोन पर यह फुसफुसाते हुए सुन लिया, 'फ़ोन बन्द करो । कोई है ।' फिर मोबाइल कट गया । घर वालों को दाल में काला लगा ।

पहले विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है । संभव है मन का वहम हो । फिर अपने तरीक़े से पुष्टि और तहक़ीक़ात करने के बाद यक़ीन हो गया कि बहू का किसी से अवैध संबंध है । कोई आशिक़ है जो यहां बारंबार फ़ोन करता है । मायके वालों को बहू के इस संबंध के बारे में पहले से पता था । उन्होंने यह सोचकर लड़की के हाथ पीले कर दिये कि विवाह के उपरांत ससुराल जाने पर लड़की पिछली बातों को भूल जाएगी तथा सब दुरुस्त हो जाएगा ।

ससुराल वालों को काटो तो ख़ून नहीं । क्या सोचकर हंसी-ख़ुशी, शौक़ और बड़े अरमान से विनोद की शादी की थी । सब किया कराया चौपट हो गया । ऐसी कुलक्षिणी चरित्र भ्रष्ट बहू को घर में रखने से कुल-ख़ानदान की मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी । बिरादरी में नाक कट जाएगी । रिश्तेदारी और गांव में पता चल गया तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे । हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी । हमारे घर-परिवार में चार जवान लड़कियां हैं । बदनामी होने पर कौन उनसे विवाह करेगा ? ऐसी बहू को घर में रखकर हम क्या करेंगे ?

घर के चार बड़े बुज़ुर्ग एक दिन बहू के मायके गये । महतारी-बाप से बोले, 'क्या कहें । कहते हुए लाज आती है । हक़ीक़त और लड़की के चाल चलन के बारे में जानते हुए भी आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है । अपनी बला हमारे सिर पर डाल दी । हमें नहीं रखना ऐसी उपलक्षिणी को । छुट्टी-छुट्टा कर लो । ऐसी लड़की अपने घर में जीवन भर रखे रहो । समाज में हमारी भी कोई मान-मर्यादा और इज़्ज़त आबरू है । उसे अपने यहां रखकर हमें जगहंसाई नहीं करानी । बात तोपी ढांकी रहने दो । इसी में हमारी आपकी भलाई है ।

मायके वालों का कन्या के हाथ पीले करने में सात-आठ लाख से अधिक ख़र्च नहीं हुआ था । उनका मन कुटिल और लालची हो गया । पहले तो समझाया-बुझाया । फिर बात न बनने पर बोल उठे, 'अगर ऐसी बात है और छुट्टी-छुट्टा के लिए मन पक्का कर लिये हो, तो लड़की की शादी में हमारा तिलक बरक्षा से लेकर अब तक कुल मिलाकर बीस लाख रुपया व्यय हुआ है । लौटा दो । फिर हम आपके घर झांकने नहीं जाएंगे तथा आपका हमारा रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा ।'

(शेष पृष्ठ 48 पर)

आयात पर निर्भर दाल

■ भारत डोगरा

हाल में सरकार ने विभिन्न दालों के बड़े पैमाने पर आयात का निर्णय लिया है । इससे पहले भी व्यापारी काफ़ी बड़ी मात्रा में दालों का आयात कर रहे थे । अब इसके अतिरिक्त दालों का और आयात किया जाएगा । सरकार ने यह निर्णय इस कारण लिया है कि विभिन्न दालों की क़ीमतें हाल के समय में तेज़ी से बढ़ी है । क़ीमत वृद्धि के इस दौर में पहले भी दाल की क़ीमत काफ़ी महंगी ही चल रही थी । इस तरह पहले से महंगी दालें और महंगी हुई हैं जिसने सरकार को चिंतित किया और उसने अपने स्तर पर अतिरिक्त आयात का निर्णय लिया ।

इस आयात के लिए कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूक्रेन व म्यांमार जैसे अनेक देशों में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं । पर ज़रूरी नहीं है कि इन देशों के बाज़ार में उचित गुणवत्ता की वे दालें मिल जाएंगी जिनकी हमारे देश में अधिक खपत है । इस स्थिति में जो भी मिल जाए वह ख़रीदना पड़ता है । जैसे चने के स्थान पर पीली मटर ख़रीदनी पड़ती है । इतना ही नहीं, जब भारतीय सरकार बाज़ार जैसा बड़ा ख़रीदार विश्व बाज़ार में पहुंचता है तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में क़ीमतें अपने आप बढ़ने लगती हैं । बाहर से ट्रांसपोर्ट करने और देश के विभिन्न भागों में इसे पहुंचाने का ख़र्च मिला दें तो महंगाई कम करने का उद्देश्य कैसे पूरा होगा ? सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार द्वारा सब्सीडी देकर दाल बेचने से ज़रूर यह सस्ती मिल सकती है, पर ऐसा कोई निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर नहीं लिया गया है ।

दालों की गिरती उपलब्धि हमारे देश में पोषण और स्वास्थ्य के लिए ख़तरे की घंटी है । निम्न और यहां तक कि मध्यम आय के लोगों के लिए, जिन्हें दूध, पनीर, मछली, अंडा आदि प्रोटीन के अपेक्षाकृत महंगे स्रोत उपलब्ध नहीं हैं या कम से कम नियमित तौर पर उपलब्ध नहीं है, दाल ही प्रोटीन प्राप्त करने का एक सस्ता स्रोत हुआ करती थी । दाल की उपलब्धि कम होने तथा इसकी क़ीमतें बहुत बढ़ने के कारण प्रोटीन की कमी से जुड़े कुपोषण के बढ़ने की पूरी संभावना है । इसके साथ ही अनेक स्वास्थ्य समस्याएं भी जुड़ी हैं । दलहन की फ़सलों का एक अन्य महत्व भी है । इनमें नाईट्रोजन स्थिर करने का बैक्टीरिया होने के कारण वे वायुमंडल से निशुल्क नाईट्रोजन प्राप्त करती हैं और भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाती हैं । अत: जब अनाज की फ़सलों के साथ इन्हें उगाया जाता था तो कृत्रिम खाद की आवश्यकता भी कम पड़ती थी । दूसरी ओर दलहन की फ़सलों का क्षेत्रफल कम होने के कारण भूमि की उर्वरता का तेज़ी से ह्रास हो रहा है । चारे का संकट बढ़ रहा है सो अलग ।

विभिन्न दालों के, उनकी पत्तियों के उनके अंकुरित रूप के तरह-तरह के औषधि गुण भी बहुत समय से जाने पहचाने रहे हैं । अलग-अलग दलहनों की फसलों के अपने कितने ही विशेष उपयोग अलग से हैं । किसी की बड़ी बनती है तो किसी का पापड़, किसी का बड़ा बनता है तो किसी का डोसा, किसी का पौधा मिट्टी का कटाव रोकने में विशेष सहायक है तो किसी के अवशेष टोकरी बनाने में या झोंपड़ी का छप्पर डालने में उपयुक्त होते हैं । इतने विविध और महत्वपूर्ण उपयोगों को देखते हुए दालों की घटती हुई उपलब्धि वास्तव में दुख की बात है । दालों के महत्व को हमारे पूर्वजनों ने भली-भांति समझा था ।

इन्हें मिश्रित खेती पद्धतियों व फ़सल-चक्रों में मुख्य अनाज की फसलों के उत्पादन से इस तरह जोड़ दिया गया था जिससे इन दोनों का उत्पादन साथ-साथ बढ़े व साथ-साथ मिट्टी का प्राकृतिक उपजाऊपन बना रहे । पर हरित क्रांति में जिस तरह मोनोकल्चर को बढ़ाया गया या केवल गेहूं व चावल का उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी गयी, उससे मिश्रित उत्पादन विधियां व फ़सल चक्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए ।

यदि हाल के आयातों को जोड़ कर देखा जाए तो भी हरित क्रांति से पहले की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दाल की उपलब्धि 63 ग्राम प्रति व्यक्ति से कम होकर 41 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गयी है । (विविधा फ़ीचर्स)

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

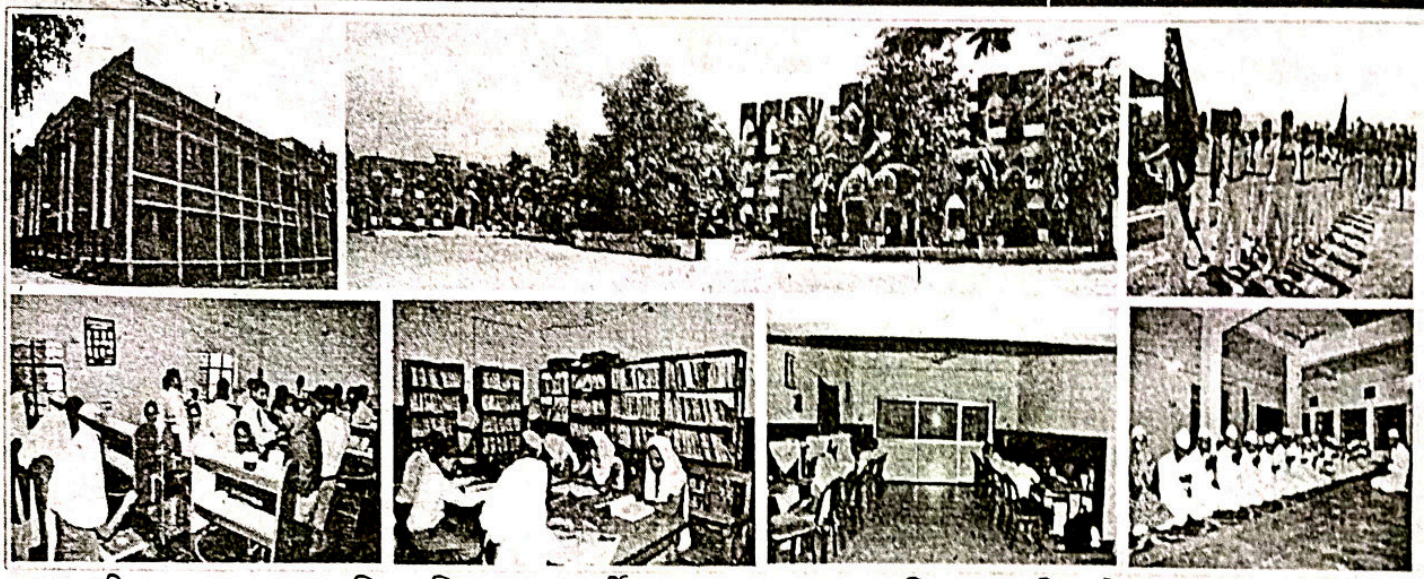

इस्लामी नहज़ पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम.ए., बी.एड.ए (अलीगं.)	फ़ाज़िल, नदवा, लखनऊ	एम.एस.सी., बी.एड.
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई॰मेल : hmpt.mission@gmail.com

गांव और ग़रीब अब कहां जाए ?

■ वेदव्यास

भारत में हज़ारों साल की गुलामी और जनसंघर्ष के बाद मिली स्वतंत्रता और आज़ादी ने हमें लोकतंत्र का एक ऐसा वरदान दिया है कि 1952 के बाद हुए सभी स्तर के चुनावों में हम भारत के लोग दिनोंदिन अनुभव की पाठशाला में नित नये प्रयोग और नवाचार कर रहे हैं । हर बार जनता अपनी समझ-बूझ से एक नयी सरकार बनाती है और सुख-दुख के अनुभव से फिर एक नयी सरकार चुनती है । क्योंकि लोकतंत्र हमारे लोकतंत्र हमारे विकास और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की निरंतरता को बनाता है । इसलिए हमें हर बार लगता है कि शायद ! इस बार कुछ चमत्कार हो जाए ? लेकिन आज़ादी के 70 सांल बाद चमत्कार हो जाए ? लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी कोई ज्योतिषी हमें आज तक यह नहीं बता पाया है कि भारत में सामाजिक, आर्थिक समानता कब तक और कैसे आएगी ?

दुनिया में लोकतंत्र का इतिहास भी बताता है कि भारत में जनता ने देश सेवा और राष्ट्र निर्माण का सबसे अधिक कार्यकाल (कोई 50 साल) अकेले कांग्रेस पार्टी को ही दिया है । अब आप सोचिए कि 2014 में ऐसा अचानक क्या हो गया कि हम भारत के लोग, कांग्रेस का साथ छोड़कर एकदम इसके उलट, भाजपा के साथ चल पड़े और अच्छे दिन आने वाले हैं, का गीत गाने लगे और परिवर्तन की यह जीत इधर-उधर दोहराने भी लगे ? अत: इस लोकतंत्र की संपूर्ण यात्रा ही हमें बताती है कि भारत में हर सरकार ने जनता के विकास में लगातार कुछ न कुछ किया है लेकिन फिर भी हम भारत के लोग आज यही अनुभव करते हैं कि विकास और सामाजिक न्याय की इस मृग मरीचिका में भारत का 80 प्रतिशत किसान और मज़दूर दिन दूने और रात चौगुने अधिक बदहाल हुआ है तथा खुशहाली पर समाज के मुट्ठीभर लोगों का एकाधिकार अधिक प्रबल हुआ है । भारत के 33 करोड़ देवी-देवता भी आज 132 करोड़ देशवासी बन गये हैं तो संविधान और आज़ाद भारत के सपनों को केन्द्र विन्दु ही समाजवाद से हटकर पूंजीवाद की तरफ़ चला गया है ।

1990 के बाद वैश्विक खुली अर्थव्यवस्था ने पूंजीवाद विकास का मॉडल को अपना लिया है और सरकार की पूरी ताक़त मानव संसाधन विकास की जगह औद्योगिक और टेक्नॉलोजी केन्द्रीय पूंजी निवेशकों पर अधिक मेहरबान हो गयी है । और यही अजूबा है कि देश में दो साल से सूखा पड़ रहा है लेकिन भारत की विकास दर उछलकर कोई 8 प्रतिशत पर आ गयी है । इसी आश्चर्य का ही परिणाम है कि देश भूख प्यास की चपेट में है । क़र्ज़ में डूबे किसान, आत्महत्या की चपेट में है । पढ़ा-लिखा युवा बेरोज़गारी की चपेट में है । सामाजिक व्यवस्था भ्रष्टाचार की चपेट में है । आर्थिक व्यवस्था कालेधन की चपेट में है । नमक-तेल-लकड़ी की महंगाई की चपेट में है । भारत के बच्चे कुपोषण और बंधुआ मज़दूरी की चपेट में है । मेक इन इंडिया अभियान विदेशी पूंजी निवेश के अभाव की चपेट में है । जल-जंगल और ज़मीन-बड़े उद्योगपतियों की चपेंट में है । प्रंकृति और वन जलवायु परिवर्तन की चपेट में है । महिलाएं (भारत माता) चारों तरफ़ से बाज़ार और परंपराओं के अत्याचार की चपेट में है । न्यायपालिका करोड़ों फ़रियादियों की चपेट में है । तो इसी तरह पुलिस और प्रशासन-अपारदर्शिता, संवेदनहीनता और ग़ैर-जवाबदेही की चपेट में है । और भारत की अभागी जनता सरकार की 700 योजनाओं के इंद्रधनुषी जश्न की चपेट में है । देशवासी धर्म-कर्म की चपेट में है । और तो और महात्मा गांधी तक हिंसा और प्रति हिंसा की चपेट में है ।

क़लम के सिपाही भी भय और आशंकाओं की चपेट में है । ऐसे मौसम में आप बताए कि ऐसे लोकतंत्र में अब हमें क्या करना चाहिए । प्रश्न फिर यही है कि यदि सच में देश बदल रहा है ? तो फिर 70 सांल पुराना कश्मीर का पृथकवाद, आदिवासियों का नक्सलवाद, पूर्वोत्तर राज्यों का उग्रवाद, राजनीति का अपराध जगत, मतदाता का जाति-धर्म जागरण, अल्पसंख्यकों का असुरक्षित मन क्यों नहीं बदल रहा है ? क्या कारण है कि किसानों का भाग्य नहीं बदल रहा है । आख़िर भारत का स्वदेशी और स्वावलंबन का सपना विदेशी कंपनियों की चपेट में क्यों जा रहा है ? आख़िर हमारा निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है ?

(विविधा फ़ीचर्स)

हज़रत इबराहीम (अलै॰) की क़ुरबानियां

■ मौलाना सैयद ज़लालुद्दीन उमरी

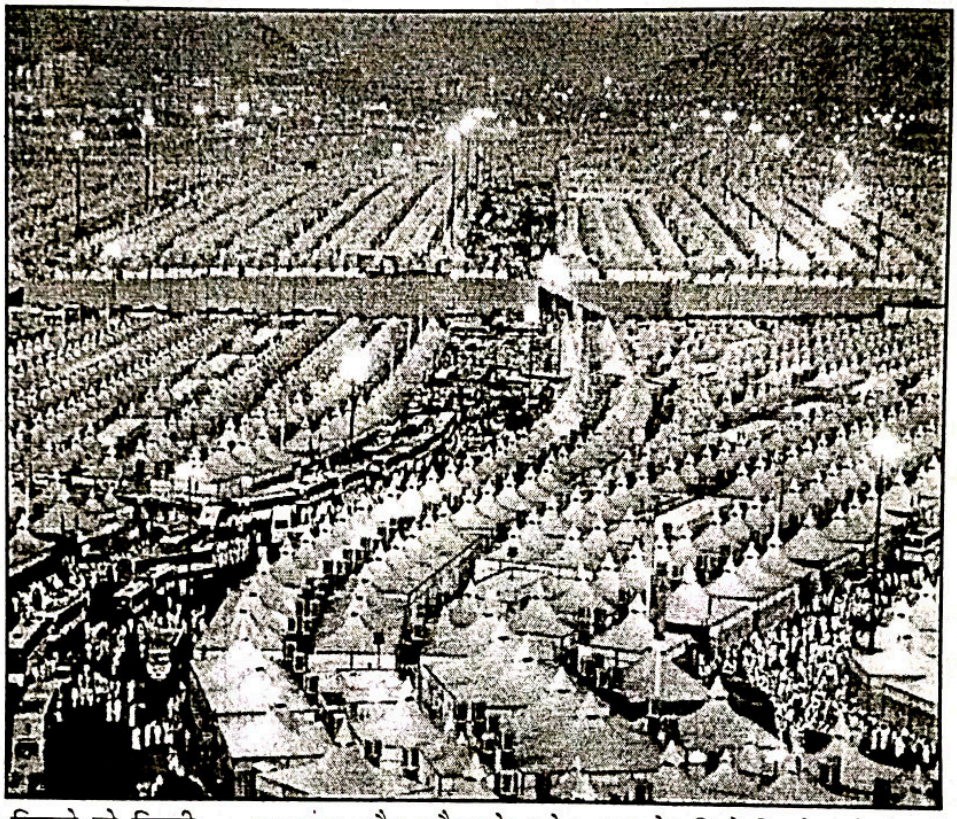

ईदुल अज़हा हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) की याद ताज़ा करती है । हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) की ज़िन्दगी के बहुत-से पहलू हैं और हर पहलू में हमारे लिए शिक्षा और नसीहत है । आपके जीवन का एक उभरा हुआ पहलू क़ुरबानी है । अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, उसके दीन (धर्म) की दावत और प्रचार के लिए जिस बड़े से बड़े त्याग व क़ुरबानी की कल्पना की जा सकती है, हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) ने वह क़ुरबानी पेश की ।

हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) इराक़ के एक शहर उर में पैदा हुए । वहां के लोग सितारों की पूजा करते थे । हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) ने उनसे कहा कि ये सितारे तो किसी महान हस्ती के आदेश का पालन करने वाले हैं । क्या तुम नहीं देख रहे हो कि सारे तारे-सितारे, चांद व सूरज उसी के आदेश से घूम रहे हैं । इनमें से कोई ख़ुदा कैसे हो सकता है ? ख़ुदा तो वह है जिसकी इन सब पर हुकूमत है । वह एकता है । मैं उसी एक ख़ुदा को मानता हूं । उसके अतिरिक्त किसी को ख़ुदा नहीं मानता ।

''मैंने तो एकाग्र होकर अपना रुख़ उस सत्ता की ओर कर लिया जिसने ज़मीन और आसमानों की रचना की है और मैं हरगिज़ मुशरिकों (बहुदेववादियों) में से नहीं हूं ।''

(क़ुरआन, 6:79)

हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) जिस शहर में पैदा हुए, उसकी पूरी आबादी सितारों की पूजा करने वाली थी । उसके बीच हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) अकेले एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने सितारों की पूजा की आलोचना की और एकेश्वरवाद का ध्वज लेकर खड़े हो गये । इस पर वहां का बादशाह और क़ौम के लोग आपके विरोधी हो गये, यहां तक़ कि आपके परिवार वाले भी । आपके पिता ने कहा कि अगर तुम अपनी इस दावत से बाज़ न आये, तो मैं तुम्हें पत्थर मार-मारकर मौत के घाट उतार दूंगा । इस पर भी हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) एकेश्वरवाद के आह्वान से बाज़ न आये तो क़ौम ने फ़ैसला किया कि इसे ऐसी भयानक सज़ा दो कि दुनिया याद रखे । उन्होंने कहा–

''उन्होंने आपस में कहा कि इसके लिए एक अलाव तयार करो और इसे दहकती हुई आग के ढेर में फेक दो ।''

(क़ुरआन, 37:97)

इस पर हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) ने कहा कि मैं अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान दे सकता हूं । मैं एक ख़ुदा को मानने वाला हूं । यह असंभव है कि मैं अपनी जान बचाने के लिए अल्लाह को छोड़ दूं और इन झूठे ख़ुदाओं की पूजा करने लगूं तुम लोग मेरी जान लेना चाहते हो ले लो । क़ौम के लोगों ने एक बड़ा अलाव तैयार किया । कहा

हज़रत इबराहीम (अलै॰) का अनुसरणीय जीवन

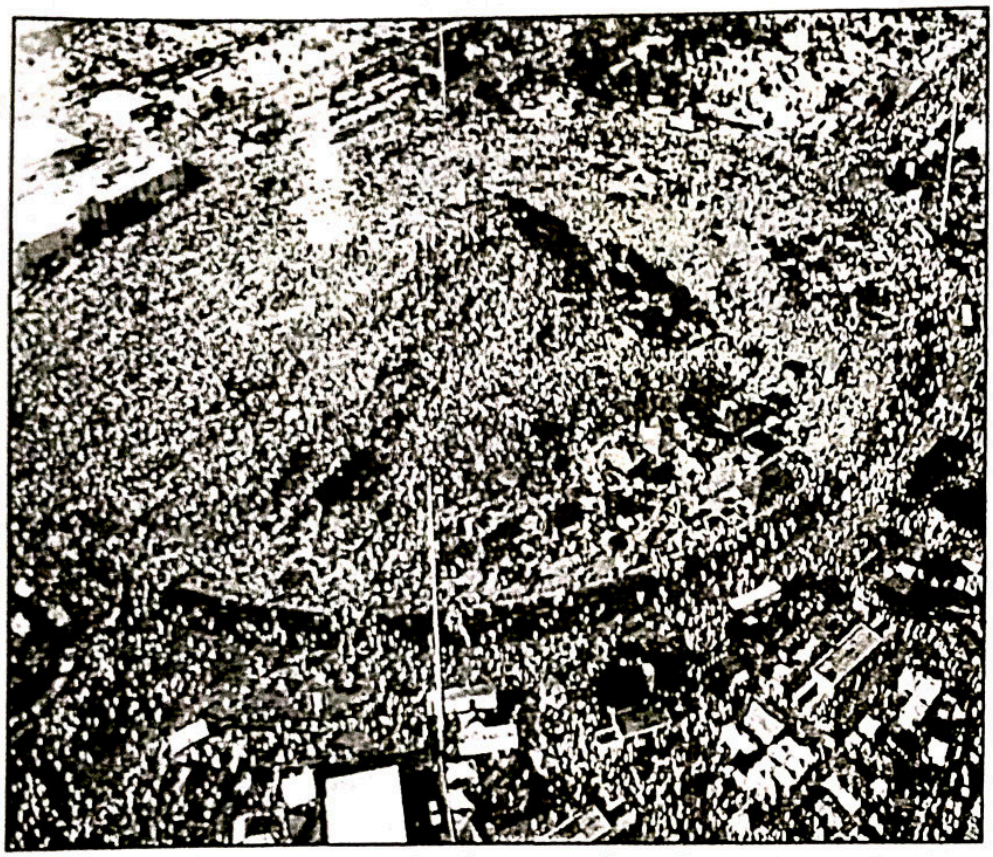

जाता है कि वह इतना बड़ा था कि वे खुद उसके क़रीब नहीं जा सकते थे । अत: हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) को गोफ़न (एक तरह की तोप) में बांध कर फेंका गया कि वे इस आग के शोलों में जलकर मर जाएंगे, मगर अल्लाह तआला को उनसे अपने दीन का काम लेना था । उसने आग से कहा–

"हमने (अल्लाह) ने कहा 'ऐ आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इबराहीम पर ।" (कुरआन, 21:69)

आग क्यों जलाती है ? विज्ञान इसके बहुत-से कारण बताएगा, लेकिन सही कारण यह है कि आग अल्लाह के आदेश से जलाती है । पानी क्यों प्यास बुझाता है ? इसके भी कई कारण बताए जाएंगे, लेकिन सही बात यह है कि पानी के द्वारा प्यास अल्लाह के आदेश से बुझती है । अगर अल्लाह न चाहे तो पानी प्यास नहीं बुझाएगा, आपके गले के नीचे पानी की एक बूंद भी न उतरेगी । इसी तरह आग भी अल्लाह के आदेश से जलाती है । अल्लाह ने आग से कहा कि तुम्हारी गर्मी ख़त्म हो जाए, इबराहीम को किसी तरह की हानि न पहुंचे और वे सही-सलामत निकल जाएं। अत: आग ने हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) को नहीं जलाया और वे सही-सलामत उससे बाहर निकल आये । कुरआन में है–

"वे चाहते थे कि इबराहीम के साथ बुराई करें । मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया ।" (21:70)

एक दूसरी जगह है, "उन्होंने उसके विरुद्ध एक कार्रवाई करनी चाही थी मगर हमने उन्हीं को नीचा दिखा दिया ।" (37:98)

हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) जब आग से बाहर निकल आये, तो कहा कि अब मैं यहां नहीं रह सकता । "मैं अपने रब की ओर जाता हूं, वही मेरा पथ-प्रदर्शन करेगा ।" (कुरआन, 37:99)

मैं यह बस्ती छोड़ रहा हूं । अब यह ज़मीन मेरे रहने योग्य नहीं रही । इन्सान को अपने देश से प्यार होता है, लेकिन हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) ने केवल अल्लाह के लिए इसे छोड़ दिया । वह ज़मीन छोड़ दी जिसमें पैदा हुए, जहां आपका लालन-पालन हुआ । जिस आबादी में आपने अपने नबी होने का ऐलान किया और एकेश्वरवाद की दावत देते रहे ।

देश छोड़ते हुए हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) ने दुआ की कि ऐ अल्लाह ! मुझे एक बेटा प्रदान कर जो नेकों में से हो । इस दुआ के उत्तर में अल्लाह तआला ने फ़रमाया, हमने उसको एक सहनशील लड़के की ख़ुशख़बरी दी । हज़रत इस्माईल (अलैहि॰) बुढ़ापे में पैदा हुए । अभी वे अपनी मां हाजरा की गोद ही में थे कि हज़रत इबराहीम (अलैहि॰) को एक और आज़माइश से गुज़रना पड़ा ।

आदेश हुआ कि अपनी बीवी और बच्चे को, बुढ़ापे की उस औलाद को, जिसके लिए अल्लाह तआला से दुआ की थी, मक्का की ज़मीन में, जहां इस वक़्त सफ़ा व मर्वा की पहाड़ियां हैं, छोड़ आओ । इस पर इबराहीम (अलैहि०) ने यह नहीं कहा कि ऐ अल्लाह ! वहां कैसे अपने बीवी-बच्चे को छोड़ दूं, जहां न कोई पेड़-पौधे हैं और न पानी और न रहने का कोई सामान । कुरआन में है–

"उसका हाल यह था कि जब उसके रब ने उससे कहा–"मुस्लिम (आज्ञाकारी) हो जा, "तो उसने तुरंत कहा–"मैं जगत के स्वामी का मुस्लिम (आज्ञाकारी) हो गया ।" (2:131)

रिवायत में आता है कि जब हज़रत इबराहीम (अलैहि०) अपनी बीवी हाजरा और बच्चे इस्माईल (अलैहि०) को अल्लाह के आदेश से निर्जन व मरुस्थल पहाड़ियों के बीच में छोड़कर वापस हुए, तो हाजरा ने पूछा कि आप हम दोनों को इस निर्जन, उद्भिज मरुस्थल में छोड़कर कहां जा रहे हैं ? इस पर हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने कुछ जवाब नहीं दिया ।

हज़रत हाजरा ने फिर कहा, आप अल्लाह के पैग़म्बर हैं, क्या यह अल्लाह का आदेश है ? तब हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने कहा कि हां, मैं अल्लाह के आदेश से तुम्हें यहां छोड़ रहा हूं । हज़रत हाजरा ने कहा, अगर यह अल्लाह का आदेश है, तो वह हमें विनष्ट नहीं करेगा । यह हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की ऐसी क़ुरबानी थी, जिसे दुनिया आज तक याद कर रही है ।

क़ुरआन में है कि जब हज़रत इस्माईल (अलैहि०) चलने-फिरने के योग्य हो गये, तो हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने स्वप्न में देखा कि वे अपने बेटे को ज़िब्ह कर रहे हैं । रिवायत में आता है कि एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा । उन्होंने सोचा कि स्वप्न झूठा नहीं हो सकता । अल्लाह की मर्ज़ी यही है कि मैं अल्लाह के नाम पर इस बच्चे को ज़िब्ह कर दूं । आप क़ुरबानी की जो भी कल्पना कर सकते हैं, इससे बड़ी क़ुरवानी की कल्पना नहीं कर सकते । क़ुरआन कहता है कि हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल (अलैहि०) से कहा–

"बेटा, मैं स्वप्न में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िब्ह कर रहा हूं, अब तू बता, तेरा क्या विचार है ।" (क़ुरआन, 37:102) इस पर हज़रत इस्माईल (अलैहि०) ने जवाब दिया, "अब्बा जान, जो कुछ आपको आदेश दिया जा रहा है उसे कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे ।" (37:102)

जब हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने बेटे को ज़िब्ह करने के लिए लिटाया तो आसमान से आवाज़ आयी, बस स्वप्न पूरा हो गया, तुम परीक्षा में सफल हो गये । फिर एक मेंढ़ा लाया गया और आदेश हुआ कि इस बच्चे की जगह इसको ज़िब्ह करो, यह इस जान की फ़िद्या है । यह है वह क़ुरबानी जिसको हम याद करते हैं । इस तरह हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने अपने कर्म से प्रमाणित कर दिया कि ऐ अल्लाह तेरा आदेश हो तो यह छुरी हर संबंध पर चल सकती है । अल्लाह ने इस अमल को क़यामत तक के लिए नमूना बना दिया ।

अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को हज़रत इबराहीम (अलैहि०) के दीन और उन्हीं के रास्ते पर चलने की हिदायत की गयी । क़ुरआन में है–"ऐ नबी कहो मेरे रब ने निश्चय ही मुझे सीधा मार्ग दिखा दिया है, बिल्कुल ठीक धर्म जिसमें कोई टेढ़ नहीं, इबराहीम का तरीक़ा जिसे एकाग्र होकर उसने अपनाया था और वह मुशरिकों (बहुदेववादियों) में से न था ।" (6:161) इसके बाद इरशाद हुआ, "कहो, मेरी नमाज़, मेरी इबादत संबंधी सारे तरीक़े, मेरा जीना और मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह, सारे संसार के रब के लिए है । जिसका कोई साझीदार नहीं । इसी का मुझे आदेश दिया गया है और सबसे पहले आज्ञाकारी होने वाला मैं हूं ।" (6:162-163)

आशय यह है कि यह कदापि न होगा कि मैं दुनिया वालों से तो कहूं कि अल्लाह की राह में अपनी ज़िन्दगी लगा दो और ख़ुद दूसरी ओर चल पड़ो । नहीं, बल्कि सबसे पहले मैं ख़ुद इस पर अमल करने वाला हूं । यह है वह रास्ता जो हज़रत इबराहीम (अलैहि०) और हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) के द्वारा इस उम्मत को दिखाया गया है । इसी पर चलकर हमें लोक व परलोक में सफलता प्राप्त होगी ।

क़ुरबानी की वास्तविकता

■ मौलाना सैयद सुलैमान नदवी

जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने स्वप्न देखा था कि वे अपने इकलौते बेटे को कुरबान कर रहे हैं । इस्लामी शरीअत में स्वप्न के दो प्रकार हैं एक सांकेतिक स्वप्न (रूयाये तमसीली) और दूसरा वास्तविक स्वप्न (रूयाये हक़ीक़ी) । रूयाये हक़ीक़ी में जो सच्चाई होती है वह उसी रूप में नज़र आती है । जैसे किसी व्यक्ति ने स्वप्न में देखा कि अमुक व्यक्ति मर गया है और वह वास्तव में मर गया था । रूयाये तमसीली में सच्चाई को सांकेतिक और प्रतीकात्मक रूप में दिखाया जाता है, जैसा कि हज़रत यूसुफ़ (अलैहि०) ने स्वप्न में देखा कि ।। तारे, चांद और सूर्य उन्हें सजदा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे उनके ।। भाई और माता-पिता थे ।

हज़रत इमाम ख़त्ताबी लिखते हैं कि कुछ स्वप्न सांकेतिक होते हैं, जिसे संकेत में इसलिए बयान किया जाता है कि इसी आधार पर उसका अर्थ बताया जाए । जिस प्रकार ऐसे स्वप्न का अर्थ बताया जाता है और कुछ स्वप्न अनुभव बनकर सामने आते हैं । इस आधार पर अब हमें विचार करना है कि हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने जो स्वप्न में अपने बेटे को कुरबान करते देखा था वह स्वप्न सांकेतिक था या वास्तविक ।

वास्तव में अल्लाह ने हज़रत इबराहीम (अलैहि०) को स्वप्न दिखाया था वह सांकेतिक था । स्वप्न में बेटे को कुरबान करने का अर्थ यह था कि वे उसे हमेशा के लिए ख़ाना-ए-काबा में दीन की ख़िदमत और तब्लीग़ के लिए लगा दें । हज़रत इबराहीम (अलैहि०) ने बन्दगी के जोश में इसे वास्तविक स्वप्न समझा और अपने बेटे को अल्लाह की राह में शारीरिक रूप में कुरबान करने के लिए ले गये । वे बेटे के गले पर छुरी फेरते इससे पहले ही उन्हें ग़ैब से आवाज़ आयी, "ऐ इबराहीम तू ने अपना स्वप्न सच कर दिखाया ।" फिर आपको वह्य के माध्यम से अवगत किया गया कि वह स्वप्न वास्तविक नहीं बल्कि सांकेतिक था और हज़रत इस्माईल की शारीरिक कुरबानी नहीं बल्कि रूहानी कुरबानी दरकार थी और इस जानवर (अल्लाह ने जन्नत से एक मेंढ़ा भेजा था) की शारीरिक कुरबानी इस रूहानी कुरबानी की प्रतीक है । अर्थात वह "ज़ब्हे अज़ीम" जिसे देकर हज़रत इस्माईल (अलैहि०) शारीरिक कुरबानी से बच जाते हैं वह उनकी रूहानी कुरबानी है ।

रूहानी कुरबानी शारीरिक कुरबानी की अपेक्षा निश्चित रूप से ज़ब्हे अज़ीम है । शारीरिक कुरबानी तो एक झटके की तकलीफ़ है मगर रूहानी कुरबानी तो अपने जीवन का एक-एक क्षण अल्लाह के लिए कुरबान कर देना है । दीन के मार्ग में आने वाली हर मुसीबत को बर्दाश्त करना और हर समय मौत के लिए तैयार रहना है ।

हज़रत इस्माईल (अलैहि०) ने इसके लिए शाम के हरे-भरे क्षेत्र को छोड़ा और सभी आराम का त्याग किया । अपने सारे सगे-संबंधियों को छोड़कर एक वीराने में रहना स्वीकार किया । वहां अल्लाह के नाम का एक घर बनाया और उसे वहां से गुज़रने वाले व्यापारियों के क़ाफ़िलों के लिए एक केन्द्र ठहराया । वहीं से दीने हक़ की तब्लीग़ की और काबा की पासबानी के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया ।

न केवल अपना जीवन लगा दिया, बल्कि अपनी नस्लों को ऐसा प्रशिक्षण दिया कि अल्लाह के आख़िरी रसूल के सामने आने तक उनकी नस्ल उस उजाड़ भूमि पर अल्लाह के घर की सेवा में लगी रही । यही थी वह अज़ीम कुरबानी जो हज़रत इस्माईल (अलैहि०) की शारीरिक कुरबानी के सांकेतिक रूप में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) को दिखायी गयी थी । आज तक वह रूहानी कुरबानी मिल्लते इबराहीम की हक़ीक़त और नस्ल इस्माईल की शरीअत है । जानवर की शारीरिक कुरबानी इस हक़ीक़त का मजाज़ है और इस्लाम में जिहाद इस मजाज़ की हक़ीक़त है ।

इस विवरण से यह मालूम हुआ कि वह ज़ब्हे अज़ीम जिसके बदले में हज़रत इस्माईल (अलैहि०) की कुरबानी माफ़ की गयी, उनकी वह रूहानी कुरबानी है जो उनके बाद की नस्लों पर फ़र्ज़ हुई और उसकी जिस्मानी मिसाल जानवर के रूप में सामने आयी, जो मुसलमानों पर वाजिब है ।

हज़रत इबराहीम की अनुकरणीय शिक्षा

■ विद्या प्रकाश

संसार निवासी विभिन्न मानव समुदायों में समय-समय पर वार्षिक काल क्रमानुसार विभिन्न प्रकार के पर्वों का हर्षोल्लासपूर्वक आयोजन किया जाता है और उनके आयोजन का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन है । अनेक पर्व सोद्देश्य हैं, मगर उनमें इतनी विकृतियां तथा दोष उत्पन्न हो गये हैं कि उनके आगे पर्व के वास्तविक मूलोद्देश्य को विस्मृत कर दिया गया है । त्योहारों की इस फ़ेहरिस्त में कुछ गिने गिनाये पर्व ही ऐसे हैं जिनमें न आत्म प्रदर्शन के लिए स्थान है तथा न वे मनोरंजन की कोटि में आते हैं । इन्हीं पर्वों में प्रमुख है ईदुल अज़हा (बक़रीद) जिसे ईदे क़ुरबां के नाम से भी जाना जाता है । शताब्दियों से यह दिग्भ्रमित मानव समुदाय को आत्म त्याग तथा बलिदान का सन्देश देता चला आ रहा है ।

इस पर्व में न मनोरंजन के लिए स्थान है और न किसी प्रकार के बाह्याडम्बर के लिए । इस त्योहार में अक़ीदतमंद नहा-धोकर शुद्ध होकर स्वच्छ परिधान में निर्धारित समय पर मस्जिदों में सामूहिक रूप से ईद की विशेष नमाज़ अदा करते हैं । इस दिन अपनी आर्थिक सामर्थ्य तथा परिस्थिति के अनुसार ऊंट, दुम्बे या बकरे की क़ुरबानी देकर प्राचीन काल में हज़रत इबराहीम (अलैहि०) तथा उनके अज़ीज़ बेटे हज़रत इस्माईल से जुड़ी महान घटना का कार्य रूप में स्मरण किया जाता है । हज़रत इबराहीम द्वारा अपने नूरे चश्म, लख़्ते जिगर तथा नूरे नज़र अज़ीज़तरीन बेटे हज़रत इस्माईल की

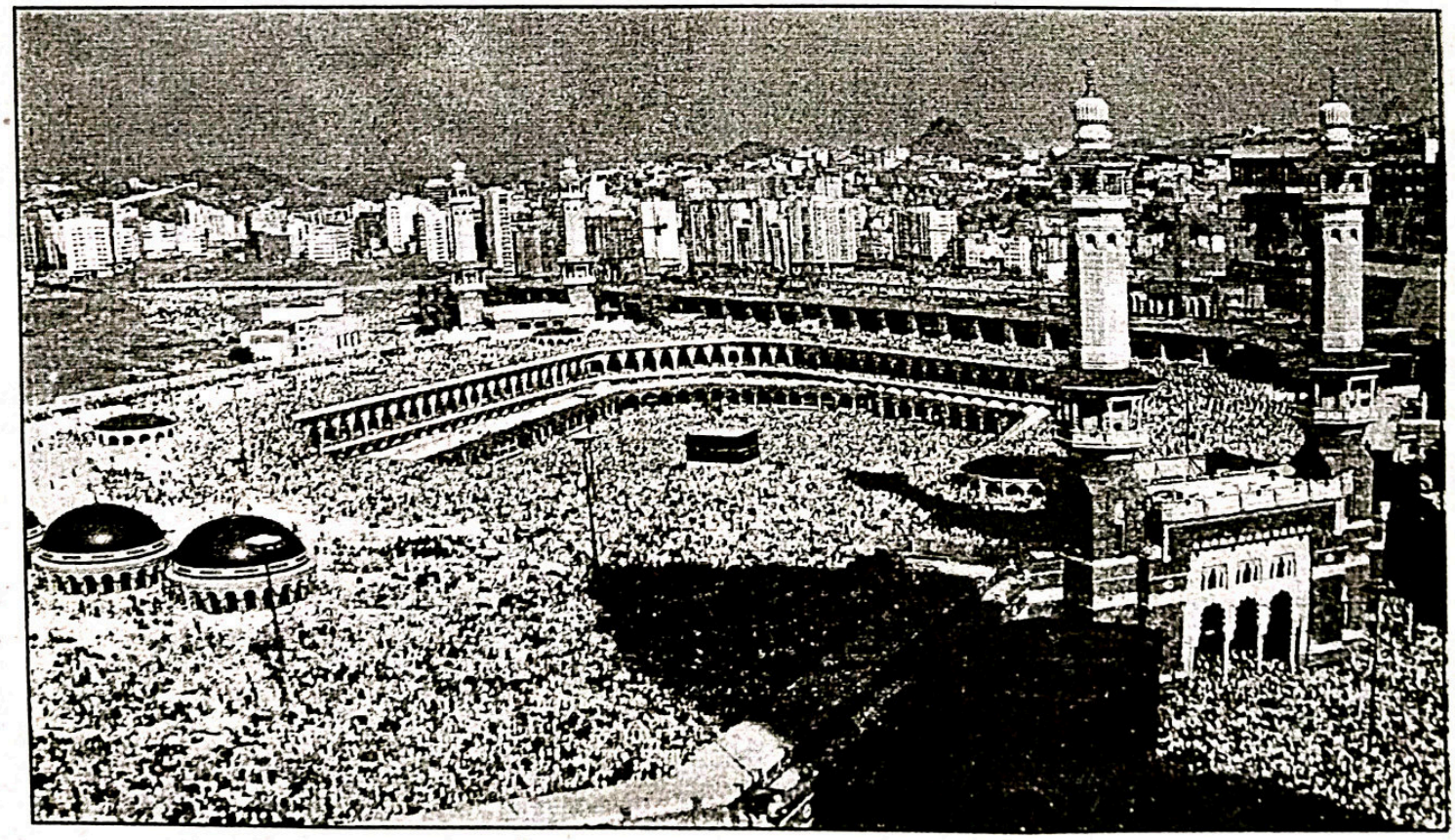

क़ुरबानी की यह बेमिसाल घटना ऐसी नहीं है, जिसे भुला दी जाए या जिसकी अनदेखी कर दी जाए ।

इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक, अनुकरणीय तथा आचरणीय है, जितना पूर्व सदियों में था । वर्तमान भौतिकवादी युग में जैसे-जैसे मानव जीवन भोग प्रधान तथा विलासितापिय होता जा रहा है, इस संदेश की आवश्यकता, उपयोगिता तथा महत्ता पूर्वाधिक तीव्रता से अनुभूत की जाने लगी है । वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता प्रभावित परिवेश में व्यक्ति की ऊपरी चमक-दमक, चकाचौंध तथा बाह्याडम्बर में जितना इज़ाफ़ा हो रहा है, उसके आंतरिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक गुणों का उतना ही ह्रास हो रहा है ।

बाह्य भौतिक और आर्थिक उपलब्धियों तथा संसाधनों को व्यक्ति की सफलता के मूल्यांकन का पैमाना माना जा रहा है । आज दौलत आदमी की ज़िन्दगी का वाहिद मक़सद हो गया है । दौलत और दुनियावी सुख-सुविधा के चक्कर में आदमी मज़हबी, अख़्लाक़ व इन्सानी क़द्रों की अनदेखी कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप आज गृह कलह, मुक़दमेबाज़ी, तनाव, हिंसा, प्रतिशोध, चिंता, अवसाद, अपराध, भ्रष्टाचार तथा आत्महत्या जैसी बातें सामान्य हो गयी हैं । ज़िन्दगी में जितना है, उतने में आदमी को तसल्ली व इत्मीनान नहीं है और उससे ज़्यादा अर्जित तथा संचित करने के व्यामोह में वह मानसिक अशांति, अवसाद, दुश्चिंताओं तथा तरह-तरह की मनोवैज्ञानिक बीमारियों का शिकार हो जा रहा है । बाह्य सांसारिक सुख की आत्मछलनामय मृग मरीचिका में उसे धोखा और अशांति के अतिरिक्त ऐसा कुछ भी नहीं हासिल होता जो उसकी ज़िन्दगी की अख़्लाक़ी बुनियाद को मुस्तक़िल तौर पर मज़बूत कर सके तथा और उसे दिली तथा रूहानी इत्मीनान बख़्श सके ।

इस अवस्था में प्रासंगिक, आचरणीय तथा अनुकरणीय है । उनके बताये तथा दिखाये रास्ते पर चलकर ही हम अपने जीवन तथा समाज को दुर्व्यसनों, दुश्चिंताओं, अशांति और नाना प्रकार की मानसिक बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं ।

हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की क़ुरबानी अंधकार में भ्रांत मानवता के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसकी रोशनी शताब्दियों से इन्सानियत की राह रोशन करती आ रही है तथा करती रहेगी । यह एक ऐसी नाक़ाबिलेफ़रामोश मिसाल है, जो शायद ही दुनिया के अन्य किसी मज़हबों मिल्लत में मिले । हज़रत इबराहीम (अलैहि०) के संदेश को अपने जीवन में उतारकर तथा उस पर अमल करके ही हम न केवल अपने जीवन, बल्कि मानव समाज को अख़्लाक़ी व रूहानी नज़रिये से ख़ुशहाल संतुष्ट व शांतिमय बना सकते हैं । जीवन में उच्च नैतिक गुणों के विकास तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमारे पास हज़रत इबराहीम (अलैहि०) की त्याग की शिक्षा पर अमल के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा यही वह एकमेव रास्ता है जिस पर चलकर हम ख़ुदा की इस कायनात को अपने नैतिक गुणों से ख़ूबसूरत और सज्जित बना सकते हैं ।

नाम

इतना बड़ा देश है हमारा
कुछ न कुछ होता ही रहता है यहां !
कुछ दिन पहले एक भूले-बिसरे हीरो ने
सवाल उठाया कि हर सड़क-बिल्डिंग
हवाई अड्डे आदि का नाम नेहरू गांधी
परिवार के नाम पर ही क्यों ?
कुछ समय पूर्व दिल्ली में औरंगज़ेब रोड
का नाम बदल दिया गया था !
अब मांग उठ रही है कि अकबर रोड
का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर हो !
देश में 6 लाख शहरों क़स्बों गांवों में से
704 के नाम मुग़लों के नाम पर हैं ।
अकेले अकबर के नाम पर 251 हैं !
उत्तर प्रदेश में ही 396 शहरों गांवों के नाम
मुग़लों के नाम पर हैं !
देश भर में 70 तो अकबरपुर ही हैं !
63 औरंगाबाद हैं !
क्या यह मुहिम चलाकर हम अपने
इतिहास को नकारने का काम नहीं कर रहे ?

ओमप्रकाश बजाज
पोस्ट बॉक्स नं० 595, जी०पी०ओ०,

क़ानूनों का मखौल उड़ाती बाल श्रमिकों की मौजूदगी

■ डॉ॰ अनामिका प्रकाश श्रीवास्तव
(झांसी, उ॰प्र॰)

बाल-श्रमिकों के नाम पर परिभाषित पांच से चौदह वर्ष की उम्र के ये बच्चे अपने अरमानों का गला घोंटकर, भविष्य दांव पर लगाकर पेट भरने के लिए मेहनत-मज़दूरी को मजबूर हैं। दिलचस्प यह कि जैसे-जैसे देश तरक़्क़ी की डगर पर बढ़ रहे हैं उसी गति से बाल-श्रमिकों की संख्या भी बढ़ रही है। आज दुनिया में बाल-श्रमिकों की अधिकतम दर अफ़्रीक़ा में है। इसके बाद एशिया और लातिनी अमेरिका की बारी आती है। मगर श्रम-शक्ति में बच्चों की अधिकतम संख्या भारत में है। स्थिति यह है कि यहां बाल-श्रमिकों की संख्या कई छोटे-छोटे देशों की जनसंख्या के बराबर है। दरअस्ल, भारत में बच्चों की जितनी उपेक्षा हुई है, उतनी किसी और वर्ग की नहीं हुई। विकास की राष्ट्रीय नीति तैयार करते समय मानव संसाधनों ख़ासतौर पर बच्चों के विकास के नाम पर मात्र खानापूरी ही की जाती है। समाज के एक तक़रीबन सभी बच्चे अमानवीय जीवन जीने को मजबूर है। जिस उम्र में उन्हें शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए, उस उम्र में वे खानों, कल-कारख़ानों, खेत-खलिहानों, ज़हरीले रसायनों और धुआं उगलती चिमनियों के बीच कड़ी मेहनत करते रहते हैं।

श्रम मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के अनुसार औसतन भारत के हर तीसरे परिवार में एक बाल-श्रमिक होता है। दूसरे शब्दों में पांच से चौदह वर्ष की आयु का हर चौथा बच्चा बाल-मज़दूर है। इसी तरह सेंटर फॉर कन्सर्न ऑफ़ चाइल्ड लेबर ने भारत में बाल-श्रमिकों की संख्या क़रीब दस करोड़ होने का अनुमान लगाया है। यूनीसेफ़ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अशिक्षितों और बाल-श्रमिकों का सबसे बड़ा देश भारत ही है। एक तथ्य यह भी क़ाबिलेग़ौर है कि जहां पश्चिम बंगाल में बाल-श्रमिकों की संख्या पांच लाख है, वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा एक करोड़ दस लाख से अधिक का है। उत्तर प्रदेश में कुल श्रमशक्ति का 45 फ़ीसदी बाल-श्रमिक है। वर्तमान में विभिन्न ख़तरनाक उद्योगों में काम करने वाले बाल-मज़दूरों की संख्या बीस लाख के क़रीब है। भारत में कुल 132 ज़िले ऐसे हैं, जिनमें ख़तरनाक उद्योगों में बाल-मज़दूर कार्यरत है। बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश वे दिल्ली में नब्बे प्रतिशत बाल-श्रमिक कार्य करते हैं।

बाल-मज़दूरों से संबंधित ये आंकड़े आधुनिक़ता, प्रगतिशीलता तथा विकास के बड़े-बड़े दावों पर प्रश्नचिन्ह लगा देते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस कड़वी सच्चाई से हमारे नीति-नियंता लगातार आंखें चुराते रहे हैं। यहां पर इस समस्या के समाधान के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएं तो बनायी जाती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस उपलब्धि हासिल नहीं हो पायी है ।ऐसा क्यों है कि सुबह-सुबह जब आधे बच्चे उज्ज्वल भविष्य की तलाश में स्कूल जा रहे होते हैं, उसी समय आधे बच्चे अपने और परिवार का पेट भरने के लिए विभिन्न स्थानों पर काम करने जा रहे होते हैं। चौंकाने वाले तथ्य तो यह है कि बालश्रम की समस्या पर विकसित देशों ने एक सीमा तक क़ाबू पा लिया है, लेकिन विकासशील राष्ट्र लगातार इससे जूझ रहे हैं। ओस्लो के अन्तर्राष्ट्रीय बालश्रम सम्मेलन में इंटरनेशनल कनफेडरेशन ऑफ़ फ्री ट्रेड यूनियन, यूनिवर्सल एलायंस ऑफ़ डायमंड वर्कर्स, इंटरनेशनल कनफेडरेशन ऑफ़ टेक्निकल इंप्लाइज तथा इंटरनेशनल कनफेड़रेशन ऑफ़ कार्सियल क्लरिकल ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों

से अपील की कि वे हीरा तथा जवाहरात उद्योग में जबरन बाल-मज़दूरी कराने की प्रथा को ख़त्म कराने में सहयोग करें । सम्मेलन में बताया गया है कि भारत के जवाहरात उद्योग में क़रीब डेढ़ लाख बाल-श्रमिक लगे हुए हैं । इस संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का कहना था कि बाल-श्रमिकों के पुनर्वास का दायित्व भारत सरकार का है । सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गयी थी, वह यह थी कि शिक्षा के बजट में कम धन ख़र्च करने के कारण ही बालश्रम की समस्या बढ़ी है । ग़ौरतलब है कि सरकारें शिक्षा की तुलना में रक्षा बजट पर बीस गुना अधिक ख़र्च कर रही है ।

लगातार सम्मेलनों और सेमिनारों में बाल-श्रमिकों का मुद्दा उठने के बावजूद भारतीय सरकारें इस तरफ़ से क्यों आंखें मूंदे रखती है ? बाल-श्रमिकों की तमाम समस्याओं और उनसे जुड़ी परिस्थितियों को जानते-बूझते हुए भी उन पर क़ाबू क्यों नहीं पा सकीं, ये कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो सरकारों की नेकनीयती पर संदेह पैदा करते हैं । भारत में बाल-श्रमिकों पर अभी तक जो शोध किये गये हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकला कि जिस प्रांत में साक्षरता दर जितनी अधिक थी, वहां पर बाल-श्रमिकों की संख्या उतनी ही कम थी । इसका उदाहरण केरल है, जहां साक्षरता की दर अधिक है, इसलिए कामकाजी बच्चों की संख्या सबसे कम 1.08 फ़ीसदी है । वहीं मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में बच्चों के विद्यालय व्यय की दर अधिक है, तो उनकी काम में भागीदारी का प्रतिशत 7.90 तथा 7.64 है ।

लेकिन, यहां तो तस्वीर ही उलटी है भारत में व्यवस्था कुछ इस तरह की बना दी गयी है कि कम से कम लोग शिक्षित हों, वहीं मां-बाप के शिक्षित न होने, उनके आर्थिक संसाधनों से कमज़ोर होने तथा संकुचित और लापरवाह होने के कारण यह समस्या बढ़ी है । इन कारणों के चलते वे बच्चों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं देते । फलस्वरूप बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं । माता-पिता भी परिस्थितियों के हाथों मजबूर हो शिक्षा के बदले उन्हें काम पर लगा देते हैं । वे सामझते हैं कि घर बैठाने या पुन:स्कूल भेजने से बेहतर है, आय का स्रोत बढ़ा दे । फिर यहीं ये शुरू होता है बच्चों का दमन, शोषण और उत्पीड़न । बाल-मज़दूरी के कारण बच्चों का नैसर्गिक शारीरिक व मानसिक विकास नहीं हो पाता ।

इससे उनकी मौजूदा क्षमता तो कम होती ही जाती है, उनकी भावी संतानों पर भी विपरीत असर पड़ता है । इसे इस तरह समझ सकते हैं–उद्योगों में काम करने वाले बाल-श्रमिक इतने थक जाते हैं कि वे कमाई के साथ पढ़ाई नहीं कर सकते । परिणामस्वरूप शिक्षा और प्रशिक्षण के अभाव में उनके मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है । बौद्धिक कमी के बने रहने के आगे चलकर उनकी आय की क्षमता कम हो जाती है । अशिक्षित रहने के कारण ये ज़िंदगी भर केवल मज़दूरी करते रहते हैं । इसके चलते इनका जीवन स्तर लगातार गिरता जाता है इसके अलावा कुपोषण, अधिक जनसंख्या जैसी समस्याएं जो केवल शिक्षा के द्वारा दूर हो सकती है, उन पर ये क़ाबू नहीं कर पाते । ख़तरनाक उद्योगों में काम करने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । अल्प वयस्क होने के कारण मालिकान तथा वरिष्ठ सहयोगी इनको प्रताड़ित भी करते हैं । बाल-श्रमिकों को रखने से नियोक्ताओं का भी फ़ायदा रहता है । वे मनमानी अवधि तक भय और प्रताड़ना के सहारे काम लेते हैं । उन्हें बाल-श्रमिकों से कोई भय भी नहीं होता ।

बाल-श्रमिकों को शोषण रोकने के लिए भारत में सरकारी स्तर पर क़ानून तो बनाए गये, किंतु उनके क्रियान्वयन में शिथिलता के चलते उद्देश्य पूरे नहीं हुए । बाल मज़दूरी के संबंध में सबसे पहले 1938 में ब्रिटिश सरकार ने बाल मज़दूरी अधिनियम बनाया । 1946 में अभ्रक खान क़ानून, 1951 में चाय, कॉफी, रबड़ के बगानों में कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण से जुड़ा अधिनियम 1952 में खान क़ानून 1959 में अश्र नियोजन अधिनियम, 1960 में बाल अधिनियम, 1976 में बंधुआ मुक्ति अधिनियम बनाए गये । इसके बाद भी कई क़ानून बनाए गये हैं, लेकिन इनके बारे में पूर्व मुख्य न्यायाधीश का यह कथन विचारणीय है–'बाल श्रमिकों से संबद्ध अधिकतर क़ानून काग़ज़ों तक सीमित है और उनका क्रियान्वयन लगभग शून्य हैं इन उद्योगों में बाल-श्रमिकों की मौजूदगी ही इन क़ानूनों का मखौल उड़ाती है ।'

ये क़ानून तब तक निरर्थक साबित होते रहेंगे, जब.तक कि सभी नागरिक बच्चों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे । मुनाफ़ाख़ोर और दिखावे के क़ानून बचपन नहीं लौटा सकते । इसके लिए अभिभावकों में चेतना जागृत करने की ज़रूरत तो है ही, साथ ही नियोजकों से भी सामान्य मानवीय कर्तव्यों की आशा की जानी चाहिए । बालकों को स्नेह, प्रेम, मनोरंजन, पोषण के अधिकार के साथ क्षमता के साथ आगे बढ़ने का अवसर दिये जाने की ज़रूरत है ।

"फ़ने तालीम व तर्बियत" भाग-1 का हिन्दी में पहला संस्करण

शिक्षण-प्रशिक्षण कला

(भाग-1)

अफ़ज़ल हुसैन
एम०ए०एल०टी

इस पुस्तक में बच्चों की मनोस्थिति, शिक्षा के नियम, शिक्षक के गुण, प्रधानाचार्य के दायित्व, शिक्षण के तरीक़े, प्रशिक्षण के दंग, पाठशाला की व्यवस्था, शिक्षा संस्थाओं की सफलता की शर्तें और सहयोग प्राप्त करने के स्वरूपों पर विचार से प्रकाश डाला गया है ।

इसमें माता-पिता और शिक्षकों के लिए सरल और सुगम भाषा में बच्चों के इस्लामी दृष्टिकोण से शिक्षण और प्रशिक्षण के नियम बयान किये गये हैं । आशा है कि उर्दू संस्करण ही की तरह इसे भी आसामान्य लोकप्रियता प्राप्त होगी ।

साइज : $\frac{23 \times 36}{16}$ कुल पृष्ठ : 552 मूल्य : 325-00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazl Enclave,Jamia Nagar
New Delhi-110025 • Phone: 26981652,26984347
• Fax: 26987858 • E-mail: mmipublishers@gmail.com
• website: www.mmipublishers.net

क्या अब कोई दूसरा मुहम्मद शाहिद नहीं आएगा ?

■ ए॰ एन॰ शिब्ली

एक ज़माना था जब हॉकी में भारत की तूती बोलती थी । भारत के हॉकी खिलाड़ी न सिर्फ़ भारत बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे । ध्यान चंद के बारे में कहा जाता है कि वह इतने महान खिलाड़ी थे कि बहुत से लोग भारत को उनकी वजह से जानते थे । ध्यान चंद के बाद भारत में जो बड़े हॉकी खिलाड़ी गुज़रे हैं उनमें से एक थे मुहम्मद शाहिद । मुहम्मद शाहिद का पिछले दिनों लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया । हॉकी के जानकार कहते हैं कि भारत में ध्यान चंद के बाद सबसे बड़े खिलाड़ी मुहम्मद शाहिद ही थे ।

हॉकी में उनकी ख़ास तकनीक की पूरी दुनिया क़ायल थी और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना फैन बना रखा था । अपने ड्रिबलिंग कौशल के लिये मशहूर रहे शाहिद भारत के महानतम हॉकी खिलाड़ियों में से थे । वह 1980 मास्को ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे । वह दिल्ली एशियाई खेल 1982 की रजत पदक विजेता और 1986 की सोल एशियाड की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य भी थे ।

अपनी आक्रामक हॉकी खेलने के लिए मशहूर शाहिद की हॉकी का हर कोई दीवाना था । शाहिद साहब ने मास्को ओलंपिक के दौरान भारत का प्रतिनिधित्व किया था । अपने बेहतरीन हॉकी से सबका दिल जीतने वाले शाहिद मैदान पर तो चमके ही मैदान के बाहर भी उन्हें ख़ूब सम्मान मिला । 1980 में मास्को ओलंपिक में आख़िरी बार गोल्ड मैडल जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी की थी । 1982 और 1986 में रजत और कांस्य पदक भी इन्हीं की कप्तानी में हासिल किये हमारी टीम ने । 1981 में मुहम्मद शाहिद को अर्जुन पुरस्कार तो 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाज़ा गया था ।

शाहिद साहब काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे । पीलिया और डेंगू की चपेट में आने के कारण उनकी तबीयत और भी ख़राब हो गयी थी । पेट दर्द की समस्या के कारण उन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में 29 जून को भर्ती कराया गया था । लेकिन स्थिती में सुधार न होने के कारण उन्हें इसी महीने के शुरू में वाराणसी से गुड़गांव के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था । शाहिद के परिवार में उनकी पत्नी प्रवीण शाहिद और दो बच्चे मुहम्मद सैफ़ और हीना शाहिद हैं ।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 14 अप्रैल, 1960 को जन्मे शाहिद को मलेशिया में हुए चार देशों के टूर्नामेंट के दौरान लोकप्रियता हासिल हुई । तीव्र गति से खेलने और गेंद को उतनी ही तेज़ी से ड्रिबल करने में माहिर शाहिद ने 80 के दशक में भी हॉकी को लोकप्रिय बनाए रखा, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा 1983 विश्व कप जीतने के बाद भारत में हॉकी की छवि धुंधली पड़ने लगी थी ।

लेफ़्ट मिडफील्ड क्षेत्र में एक अन्य दिग्गज ज़फ़र इक़बाल के साथ शाहिद की जोड़ी बेहतरीन थी और वह मास्को ओलंपिक-1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के नायकों में से एक थे । इस जोड़ी ने भारत को 1982 और 1986 एशियाई खेलों में पदक दिलाए थे ।

शाहिद ने 1985-86 सत्र में भारतीय हॉकी टीम की कमान भी संभाली और 1981 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा 1986 में पद्मश्री से नवाज़ा गया । शाहिद साहब ने अपनी शुरुआती हॉकी बनारस में ही खेली और बाद में कमाल का प्रदर्शन के बाद पूरी दुनिया में मशहूर हुए । यूं तो उन्होंने तीन

ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया लेकिन 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का शाहिद अहम हिस्सा थे । हॉकी के जादूगर ध्यान चंद के बाद अगर किसी को इस खेल का पर्याय कहा गया तो वह शाहिद ही थे ।

जिन्होंने हॉकी के जादूगर दादा ध्यान चंद को नहीं देखा, वे मुहम्मद शाहिद में उनका अक्स देखते थे । बनारस में कमिश्नरी मैदान पर वह अपने साथियों के साथ जब गेंद को स्टिक से ड्रिबल करता तो सभी हैरत में पड़ जाते । यही ख़ूबी रही कि जल्दी ही कमिश्नरी मैदान से निकलकर शाहिद महज 17 साल की उम्र में फ्रांस के दौरे पर जाने वाली भारतीय जूनियर हॉकी टीम का हिस्सा बन गये । फ्रांस में मैदान बिल्कुल दूसरी तरह का था । एकदम समतल । यह मैदान शायद शाहिद के लिए वरदान बनने वाला था । यहां उनकी कलाई का जादू पूरी दुनिया ने देखा । जिन्होंने हॉकी के जादूगर के रूप में दादा ध्यान चंद को खेलते देखा था, वे शाहिद का खेल देख हैरत में पड़ गये थे ।

फारवर्ड के रूप में खेलते हुए शाहिद ने फ्रांस में कई वार विपक्षी खिलाड़ियों को जिस तरह चकमा देकर हमला बोला, वह लोगों को दादा की याद दिला गया । शाहिद की स्टिक में जितना जादू था, उनके पैरों में भी उतनी ही चपलता थी ।

हालांकि उस दौर में उन्हें फॉलो करने वाले खिलाड़ियों की ख़ासा कमी रही, इसलिए भारतीय टीम कई सुनहरे मौक़ों को गोल में तब्दील करने में नाकाम हो जाती । फ्रांस में टीम तो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकी, पर चयनकर्ताओं को शाहिद के रूप में एक हीरा ज़रूर मिल गया था ।

शाहिद को उसी साल कुआलालम्पुर में चार देशों की हॉकी प्रतियोगिता के लिए भारतीय सीनियर टीम में चुन लिया गया । हालांकि भारतीय टीम उस समय अपने सबसे ख़राब दौर से गुज़र रही थी । शाहिद अपनी तेज़ी और ड्रिबलिंग की बदौलत गेंद को विपक्षी 'डी' में ले जाकर पेनाल्टी कार्नर तो हासिल करा देते थे, पर इसे गोल में तब्दील करने वाले विशेषज्ञ की कमी के कारण टीम असफल हो जाती । ख़ैर शाहिद को उनके गजब के प्रदर्शन के चलते प्रतिष्ठापरक आग़ा खां कप हॉकी प्रतियोगिता के लिए भी चुन लिया गया ।

1980 शाहिद साहब के लिए स्वर्णिम वर्ष था । इस साल कराची में हुई चैंपियंस ट्रॉफी में शाहिद और ज़फ़र इक़बाल की जोड़ी ने काफ़ी धूम मचाई । इस प्रतियोगिता में शाहिद को 'बेस्ट फारवर्ड प्लेयर' घोषित किया गया । इस प्रतियोगिता के बाद मॉस्को में हुए ओलंपिक खेलों के लिए शाहिद का चयन भारतीय टीम में हुआ तो पूरे शहर ही नहीं पूरे देश ने उन्हें दुआएं दी थीं । इस ओलंपिक में शाहिद की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था । भारतीय टीम ने यह करिश्मा 16 साल बाद किया था ।

शाहिद से एक बड़ी ख़ास बात जुड़ी हुई है । बात 1968 के अप्रैल की है । सुबह के सात बजे थे । कमिश्नरी मैदान पर सौ के क़रीब बच्चे हॉकी खेल रहे थे । सभी के हाथों में छोटी-छोटी हॉकी की स्टिक्स थीं । कुछ गेंद के साथ भाग रहे थे, तो कुछ पासिंग, स्कूप अथवा ड्रिब्लिंग का अभ्यास कर रहे थे । सीनियर खिलाड़ी गोपालजी रोज़ की तरह अभ्यास के लिए पहुंचे । रनिंग-वार्म अप के बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी ।

इसी दौरान देखा एक छोटा बच्चा गेंद के साथ बेहतरीन रनिंग कर रहा था । मानो गेंद उसके स्टिक पर चिपकी हुई थी । वो उसे देखते ही रह गये । उन्हें लगा कि लड़के में कुछ है । पास बुलाया तो उसने अपना नाम शाहिद बताया । मैदान में गोपाल की हर एक गतिविधि को शाहिद बारीकी से देखते थे । गोपाल कहते हैं, 'अन्य बच्चों की तुलना में शाहिद में बड़ी स्किल थी ।

बाउंड्री वाल पर कोयले से दो लकीर खींचकर उस पर गेंद से हिट करता था । मेरी ड्रिब्लिंग शैली को सीखने के लिए आठ साल के शाहिद ने एक दिन उसने मुझसे झिझकते हुए कहा–सर, मुझे आपका यह ढंग सीखना है ।' मैंने उसे कुछ टिप्स दी । लॉग टैपिंग भी बतायी । दूसरे दिन से उसका उसी पर अभ्यास शुरू हो गया । चूंकि उसके हाथ छोटे थे और ताक़त भी कमथी । अत: उसने शॉर्ट ड्रिबलिंग शुरू कर दी । नैसर्गिक प्रतिभा के धनी शाहिद की यही कला बाद में उसकी ताक़त बन गयी ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहिद के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि देश ने एक प्रतिभाशाली खेल हस्ती को खो दिया । सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले शाहिद को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी ने कहा कि सरकार ने उन्हें बचाने की काफ़ी कोशिश की थी । मोदी ने ट्वीट किया, "शाहिद के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन के

साथ ही भारत ने एक ऐसी प्रतिभाशाली खेल हस्ती खो दी, जो पूरे जोश और उत्साह के साथ खेलते थे ।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''हमने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दुखद है कि हमारी प्रार्थनाएं भी उन्हें बचाने में असफल रहीं । शाहिद को नमन ।''

हॉकी से संन्यास लेने के बाद शाहिद ने भारतीय रेलवे के साथ खेल अधिकारी के तौर पर काम किया और अपने गृहनगर वाराणसी में ही रहे । शाहिद के निधन पर हॉकी इंडिया (एच॰आई॰) ने भी ट्वीट कर शोक जताया है । एच॰आई॰ ने ट्वीट किया, ''भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मुहम्मद शाहिद के असामयिक निधन पर हॉकी इंडिया दुख प्रकट करती है ।''

ई॰एस॰पी॰एन॰ ने शाहिद के जोड़ीदार रहे इक़बाल के हवाले से कहा, ''हम सब जो एक ही पीढ़ी से आते हैं, आज काफ़ी दुखी हैं । हमने अपनी टीम का एक साथी खो दिया । मैं भारत के जितने खिलाड़ियों के साथ खेला हूं उनमें से वह सर्वश्रेष्ठ थे । सबसे प्रतिभाशाली और उदार खिलाड़ियों में से एक । लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं उन्हें अपना जोड़ीदार मानता था । शाहिद और मैंने सात साल साथ हॉकी खेली है ।''

उन्होंने कहा, ''जब मैं इसके बारे में सोचता हूं कि अगर शाहिद 1980 में जिस तरह खेले थे, उस तरह न खेलते तो हम काफ़ी मुसीबत में पड़ जाते । स्पेन और पोलैंड के ख़िलाफ़ (यह दोनों पूल मैच थे जोकि 2-2 से ड्रॉ रहे थे, जबकि भारत ने फाइनल में स्पेन को 4-3 से मात दी थी) उन्हें विपक्षी टीम की रक्षापंक्ति को कमज़ोर कर दिया था, वह उस समय शानदार खेल रहे थे । वह समझ नहीं पा रहे थे कि शाहिद क्या कर रहे हैं । वह जिस तरह से घूमते थे वह अद्वितीय था ।'' ''अलविदा पार्टनर, भगवान आपकी आत्मा को शांती दे ।''

मास्को ओलंपिक-1980 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान वासुदेवन भास्करन ने कहा, ''आज मैंने अपना दोस्त खो दिया । 1979 में कुआलालम्पुर में हुए चार राष्ट्रों के टूर्नामेंट के दौरान हम दोनों एक ही कमरे में रुके थे । वह उस समय सिर्फ़ 19 साल के थे, लेकिन काफ़ी प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे । वह विश्व के दिग्गज डिफेंडरों मुनव्वर उज जमन और अख़्तर रसूल के ख़िलाफ़ खेल रहे थे । मैं नहीं समझता की आज की हॉकी में कोई भी खिलाड़ी उनके मुक़ाबले का है ।''

खेल मंत्री विजय गोयल ने एक बयान में कहा, ''देश ने एक महान खेल हस्ती को खो दिया । मुहम्मद शाहिद का जीवन और करियर युवा पीढ़ी को हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने और देश को ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में ख्याति दिलाने के लिए प्रोत्साहित करेगा ।'' हाल ही में एशिया/पैसिफिक सुपर मिडिलवेट का ख़िताब जीतने वाले भारत के पेशेवर मुक्केबाज़ विजेंदर सिंह ने भी हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी के निधन पर दुख जताया ।

विजेंदर ने ट्वीट किया, ''जादूगर और सर्वश्रेष्ठ ड्रिबलरों में से एक मुहम्मद शाहिद की आत्मा को भगवान शांति दे और उनके परिवार को सांत्वना दे ।'' अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आर॰पी॰ सिंह ने कहा मुहम्मद शाहिद बड़े भाई की तरह थे । उनके निधन की ख़बर से हतप्रभ हूं । इन द फील्ड और ऑफ़ द फील्ड बड़े भाई की तरह थे । मुझे उनका स्नेह भी मिला । बहुत कुछ सीखा मैंने शाहिद भाई से । सबसे बड़ी बात तो यह कि वह मैच के दौरान बहुत कूल रहते थे ।

पूर्व ओलंपियन राहुल सिंह ने कहा शाहिद भाई, विवेक भइया जैसे खिलाड़ियों को यू॰पी॰ कालेज के मैदान पर अभ्यास क़रते देखकर हॉकी सीखी । कभी शाहिद सर, कभी कोच तो कभी बड़े भाई की भूमिका में रहते थे । उनकी ड्रिब्लिंग की तकनीक पर बहुत रियाज किया, लेकिन सफल नहीं हुआ ।

अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रवीण सिंह के अनुसार दिल्ली में लगे भारतीय टीम के कैंप के दौरान शाहिद भाई साहब भी पहुंचे थे । उन्होंने टीम को कुछ आवश्यक टिप्स दिये जिसका लाभ मैं हॉलैंड दौरे में मिला था । अपनी एक स्टिक उन्होंने मुझे दी थी, जो आज भी मेरे लिए किसी प्रसाद से कम नहीं । अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ललित उपाध्याय कहते हैं शाहिद सर को खेलते तो नहीं देखा, लेकिन उनके वीडियो फुटेज को देखकर उनकी ड्रिब्लिंग सीखने की कोशिश की । मैंने उनकी फ्लिक और हाफ हिट भी बेहतरीन थी । उनका जाना वाक़ई भारतीय हॉकी के लिए बड़ी क्षति है । वैसे तो दुनिया में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आते रहते हैं मगर दिग्गजों की मानें तो अब कोई दूसरा शाहिद नहीं आएगा ।

सॉफ़्ट ड्रिंक के ख़तरे

सॉफ़्ट ड्रिंक से जुड़ी एक ख़बर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है । ब्रिटेन के पूर्व फार्मासिस्ट नीरज नाइक ने 'दी रेनिगेड फार्मासिस्ट' नाम के अपने ब्लॉग में कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद शरीर के अंदर होने वाले प्रभावों को सबके सामने लाया है । इस ब्लॉग में उन्होंने दिखाया है



कि कोका कोला पीने के । घंटे के अंदर शरीर में क्या-क्या होता है । सोशल साइट्स पर भी यह जानकारी काफ़ी वायरल हो रही है । 'डेली मेल' के मुताबिक़, नीरज नाइक ने एक ग्राफिक के माध्यम से बताया कि कैसे ये ड्रिंक्स शरीर से ज़रूरी खनिज तत्व बाहर कर देते हैं और आदमी मानसिक व शारीरिक रूप से बदलने लगता है ।

पहले 10 मिनट : जब आप कोक का । कैन पीते हैं तो आपके शरीर में 10 चम्मच शुगर एकसाथ जाती है । ये मात्रा 24 घंटे में लिए गये शुगर के बराबर होती है । अचानक इतना मीठा खाने से आपको उलटी भी हो सकती है लेकिन इसमें मिले फॉस्फोरिक एसिड के कारण ऐसा नहीं होता ।

20 मिनट बाद : पीने के 20 मिनट बाद ही पीने वाले की ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाती है, जिसके कारण शरीर से इंसुलिन तेज़ी से निकलता है । शरीर का लिवर इस पर प्रतिक्रिया करता है और इसे फैट में बदलने लगता है ।

40 मिनट बाद : पीने वालों के शरीर में कैफ़ीन की काफ़ी मात्रा चली जाती है । दूसरी तरफ़ ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है । इसे देखते हुए आपका लिवर ख़ून में और शुगर भेजता है । मस्तिष्क में ख़ून जाना कम होता है ।

45 मिनट बाद : इतने समय बाद आपके शरीर को हेरोइन (मादक पदार्थ) लेने जैसा लगने लगता है । शरीर डोपामाइन का उत्पादन बढ़ा देता है, जिससे दिमाग़ का खुशी देने वाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है ।

60 मिनट बाद : पीने के । घंटे के बाद 3 प्रक्रियाएं होती हैं–

1. फॉस्फोरिक एसिड आपके शरीर के निचली आंत में कैल्शियम, मैग्निशियम और जिंक को इकट्ठा करता है । इससे मेटाबोलिज़्म बढ़ता है । शुगर और अन्य आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की बढ़ी मात्रा के कारण मेटाबोलिज्म और बढ़ता है । इसके बाद लोग पेशाब के लिए जाते हैं, जिसमें कैल्शियम बाहर निकलता है ।

2. कैफीन का तरल करने वाला गुण अपना असर दिखाना शुरू करता है और आप बार-बार पेशाब के लिए जाते हैं, जिससे शरीर से कैल्शियम, मैग्निशियम, जिंक, सोडियम और पानी बाहर चला जाता है जो वास्तव में आपकी हड्डियों में जाना था ।

3. जैसे ही यह प्रक्रिया होती है मीठेपन का एहसास बढ़ जाता है । आप चिड़चिड़े और आलसी हो जाते हैं । कोक में वास्तव में मौजूद पानी यूरिन के ज़रिए बाहर निकल जाता है । इस तरह कोक पीने से आपके शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक खनिज शरीर से बाहर निकल जाते हैं ।

For Information On
City Shops, Roads, Restaurants, Magazines, Schools and much more.
Syed Shahbaz Alam Barvi
Business Development Director (09049185093)
Visit us:
www.shoppinglanes.com

वेदों में एकेश्वरवाद

■ स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य

इस्लाम का प्रसिद्ध नारा 'अल्लाहु अक्बर !' (अर्थात अल्लाह ही बहुत बड़ा है) एक पूर्ण सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है । यह सत्य तब भी था जब दुनिया नहीं थी, आज भी है और तब भी रहेगा जब प्रलय (यानी क़यामत) के बाद यह दुनिया नहीं रहेगी । वेदों का भी मूल यही है । वेदों का कहना है–

'पूर्णस्य पूर्ण मादाय पूर्णमेवावशिष्यते'

(परमेश्वर बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि) उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण ही शेष बचता है । (अर्थात अल्लाह अनंत है, क्योंकि केवल अनंत में से ही अनंत को निकाल देने पर शेष अनंत ही बचता है ।)

वैदिक धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म-ग्रंथ ऋग्वेद में 'तौहीद' (यानी एकेश्वरवाद)–

सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे ।
जुहूमसि द्यविद्यवि ।।1।
(ऋग्वेद, मंडल 1, सूक्त 4, मंत्र 1)

भावार्थ : जैस दूध की इच्छा करने वाला मनुष्य दूध दोहने के लिए सुलभ दुहाने वाली गौओं को दोह के अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, वैसे हम लोग सब दिन, अपने निकट स्थित मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति के लिए परमेश्वर जो कि अपने प्रकाश से सब पदार्थों को उत्तम रूप युक्त करने वाला है उसकी स्तुति करते हैं ।।1।।

(हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

त्वां स्तोमा अवीवृधन् त्वामुक्था शतक्रतो ।
त्वां वर्धन्तु नो गिरः ।।8।।

भावार्थ : जो विश्व में पृथिवी सूर्य आदि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रचे हुए पदार्थ हैं, वे सब जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा धन्यवाद देने के योग्य परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जानते हैं कि जिससे न्याय और उपकार और ईश्वर के गुणों को अच्छी प्रकार जानके विद्वान भी वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हों ।।8।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे ।
युजं वृत्रेषु वज्रिणम् ।।5।।

(ऋग्वेद, मंडल 1, सूक्त 7, मंत्र 5)

भावार्थ : जो बड़े-बड़े भारी और छोटे-छोटे युद्धों में ईश्वर को सर्वव्यापक और रक्षा करने वाला मानके धर्म और उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करें तो मनुष्यों का अचल विजय होता है । तथा जैसे ईश्वर भी सूर्य और वायु के निमित्त से वर्षा आदि के द्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करता है, वैसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थों को निमित्त करके कार्य सिद्धि करनी चाहिए ।।5।।

(हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

य एकश्चर्षणीनां वसूनामिरज्यति ।
इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ।।9।।

(ऋग्वेद, मंडल 1, सूक्त 7, मंत्र 9)

भावार्थ : जो सबका स्वामी अंतर्यामी व्यापक और सब ऐश्वर्य का देने वाला, जिससे कोई दूसरा ईश्वर और जिसको किसी दूसरे सहाय की इच्छा नहीं है, वही सब मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है ।

जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़ के दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़े-बड़े घोर दुखों को सदा प्राप्त होता है ।।9।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः ।
अस्माक मस्तु केवलः ।।10।।

(ऋग्वेद, मंडल 1, सूक्त 7, मंत्र 10)

भावार्थ : हे मनुष्यो ! तुम को अत्यंत उचित है कि मुझको छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझ को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है ।।10।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

त्वं भुवः प्रतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः पतिर्भूः ।
विश्वमाप्रा अंतरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान् ।।13।। (ऋग्वेद, मंडल 1, सूक्त 52, मंत्र 13)

अर्थ : हे परमेश्वर ! जो आप विस्तृत आकाश भूमि के

परिणामकर्ता तथा महाबल युक्त बड़े गुणयुक्त जगत का महावीर मनुष्य के पालन करने वाले हैं तथा आप सब जगत अनेक लोकों के मध्य में अवकाशस्वरूप आकाश और कारण रूप से अविनाशी अच्छे प्रकार परीक्षा किये हुए वेदों को बड़ी व्याप्ति से व्याप्त होकर साक्षात्कार पूरण करते हो इससे आपके सदृश दूसरा विद्यमान कोई भी नहीं है । ।।3।।

भावार्थ : परमेश्वर ही सब जगत की रचना परिमाण व्यापक और सत्य का प्रकाश करने वाला है इससे ईश्वर के सदृश कोई पदार्थ न हुआ और न होगा ऐसा समझ के हम लोग उसी की उपासना करें ।।3।।

(हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

परि धामानि यानि ते त्वं सोमासि विश्वतः ।
पवमान ऋतुभिः कवे ।।3।।

(ऋग्वेद, मंडल 9, सूक्त 66, मंत्र 3)

भावार्थ : परमात्मा उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय (यानी क़यामत) तीनों प्रकार की क्रियाओं का हेतु है । अर्थात उसी से संसार की उत्पत्ति और उसी में स्थिति और उसी से प्रलय होता है ।।3।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

त्वं द्यां महिव्रत पृथिवीं चाति उभ्रिषे ।
प्रति द्राप्रिममुञ्चथाःपवमान महित्वना ।।9।।

(ऋग्वेद, मंडल 9, सूक्त 100, मंत्र 9)

भावार्थ : परमेश्वर ने द्युलोक, और पृथिवीलोक को ऐश्वर्यशाली बनाकर उसे अपने रक्षा रूप कवच से आक्षादिन किया ऐसी विचित्र रचना से इस अनंत ब्रह्माण्ड को रचा है कि उसके महत्व को कोई नहीं पा सकता ।।9।।

(हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

योः न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।
यो देवानां नामधा एक एव सम्प्रश्नं भुवना यंत्यन्या ।।3।।

(ऋग्वेद, मंडल 10, सूक्त 82, मंत्र 3)

भावार्थ : जो परमेश्वर हमारा पालक, हमारा उत्पन्न करने वाला जो समस्त जगत का निर्माता है और समस्त स्थानों और लोकों तथा पदार्थों को जानता है और जो समस्त पदार्थों का नाम रखने वाला है वही अद्वितीय (यानी उसके बराबर कोई दूसरा नहीं है)। समस्त समस्याओं का वही एकमात्र समाधान है ।।3।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

अथर्ववेद में 'तौहीद'

दिवि स्पृष्टो यज्ञतः सूर्यंत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य ।
मृडाद् गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्य सुशेवाः ।।2।। (अथर्ववेद, द्वितीय कांड, सूक्त 2, मंत्र 2)

भावार्थ : प्रत्येक व्यवहार में स्पर्श किये हुए, पूजनीय, सूर्य को रूप देने वाला हमारे कुक्रोध और अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश का नाश करने वाला जो गंधर्व (भूमि, सूर्य वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला) सब जगत का एक ही स्वामी नमस्कार योग्य और अत्यंत सेवा योग्य है ।।2।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

यजुर्वेद में 'तौहीद'

अपां पृष्ठमसि योनिरग्ने समुद्रमभितः पिन्वमानम् ।
वर्धमानो महांऽआ च पुष्करे दिवो मान्नया वरिम्णा प्रथस्व ।।2।।

(यजुर्वेद, तेरहवां अध्याय, मंत्र 2)

भावार्थ : मनुष्यों को जिस सत्, चित और आनंदस्वरूप, सब जगत का रचने हारा, सर्वत्र व्यापक, सबसे उत्तम और सर्वशक्तिमान ब्रह्म की उपासना से संपूर्ण विद्यादि अनंत गुण प्राप्त होते हैं उसका सेवन क्यों न करना चाहिए ।।2।।

(हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

हिरण्यगर्भः समवर्त्ततार्गे भूतस्य जातः पतिरेकऽआसीत ।
स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ।।4।।

(यजुर्वेद, तेरहवां अध्याय, मंत्र 4)

भावार्थ : हे मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि इस प्रसिद्ध सृष्टि के रचने से पहले परमेश्वर ही विद्यमान था, जीव गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में लीन और जगत् का कारण अत्यंत सूक्ष्मावस्था में आकाश के समान एक रस स्थिर था । जिसने सब जगत् को रच के धारण किया और जो अत्यंत कम समय में प्रलय (यानी क़यामत) करता है । उसी परमात्मा को उपासना के योग्य मानो ।।4।। (हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्नाः ।
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितम् यदायुः ।।21।। (यजुर्वेद, पच्चीसवां अध्याय, मंत्र 21)

भावार्थ : जो मनुष्य विद्वानों के साथ से विद्वान होकर सत्य सुनें, सत्य देखें और परमेश्वर की स्तुति करें तो वे बहुत अवस्था वाले हों । मनुष्यों को चाहिए कि असत्य का सुनना, खोटा देखना, झूठी स्तुति प्रार्थना प्रशंसा और व्यभिचार कभी न करें ।।21।।

(हिन्दी भाष्य महर्षि दयानंद)

दो गाड़ियों की कहानी, साध्वी की मोटरसाइकिल और रूबीना की कार

■ राम पुनियानी

क्या एक ही देश में दो अलग-अलग न्याय प्रणालियां हो सकती हैं ? यह प्रश्न मेरे मन में उन आतंकी हमलों, जिनमें आरोपी हिन्दू थे, से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन॰आई॰ए॰) के पलटी खा जाने से उपजा । एन॰आई॰ए॰ ने 13 मई 2016 को अदालत में एक नया आरोप पत्र दाख़िल कर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया और कर्नल पुरोहित व अन्यों पर लगे गंभीर आरोप हटा लिए । एन॰आई॰ए॰ का कहना है कि इन मामलों में हेमंत करकरे द्वारा की गयी जांच ग़लत थी और महाराष्ट्र ए॰टी॰एस॰ ने ही कर्नल पुरोहित को फंसाने के लिए उनके घर में आर॰डी॰एक्स॰ रखवाया था । स्पष्टत: एन॰आई॰ए॰ यह कहना चाहती है कि यह सब पूर्व यू॰पी॰ए॰ सरकार की शह पर किया गया था ।

इस मामले के तथ्यों पर एक नज़र डाल लेना ज़रूरी है । पिछले दशक के उत्तरार्द्ध में देश के अलग-अलग हिस्सों, विशेषकर महाराष्ट्र के एक के बाद एक कई आतंकी घटनाएं हुईं । इनकी ओर देश का ध्यान सबसे पहले तब आकर्षित हुआ जब मई 2006 में महाराष्ट्र के नांदेड़ में आर॰एस॰एस॰ के एक कार्यकर्ता राजकोंडवार के घर में बम बनाने के दौरान दो बजरंग दल कार्यकर्ता मारे गये । घर के ऊपर भगवा झंडा फहरा रहा था और उसके सामने बजरंग दल का बोर्ड लगा हुआ था ।

घटना स्थल पर नक़ली मूँछें, दाढ़ी और पजामा-कुर्ता भी मिला । इसके बाद परभनी, जालना, ठाणे, पनवेल इत्यादि में कई बम धमाके हुए । इनकी जांच पुलिस द्वारा यह मानते हुए की गयी कि इनके लिए मुसलमान ही ज़िम्मेदार हैं । हर धमाके के बाद कुछ मुस्लिम युवकों को गिरफ़्तार किया जाता था और वर्षों बाद, अदालतें, उन्हें सबूत के अभाव में रिहा कर देती थीं । ज़ाहिर है कि इस प्रक्रिया में उनका जीवन बर्बाद हो जाता था ।

अपने इक़बालिया बयान में स्वामी ने बड़े खुलासे किये । उन्होंने कहा कि 2002 में संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके के बाद उन्होंने यह तय किया कि बम का जवाब बम से दिया जाएगा । वे उस समय गुजरात के डांग ज़िले में विहिप के लिए काम कर रहे थे । असीमानंद ने विस्तार से पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया । इसके बाद कई अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया ।

मालेगांव धमाके, जिनमें पहली बार साध्वी की भूमिका सामने आयी, सन 2008 में हुए थे । इन धमाकों में नमाज़ पढ़कर लौट रहे अनेक मुसलमान मारे गये थे और कई घायल हुए थे । इसके बाद, हमेशा की तरह, कुछ मुसलमान युवकों को हिरासत में ले लिया गया । महाराष्ट्र के आतंकवाद निरोधक दस्ते (ए॰टी॰एस॰) के तत्कालीन प्रमुख हेमंत करकरे ने जब इस घटना की बारीकी से जांच की तो यह सामने आया कि धमाकों के लिए इस्तेमाल की गयी मोटरसाइकिल पूर्व ए॰बी॰वी॰पी॰ कार्यकर्ता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी । आगे की जांच में इन धमाकों में स्वामी दयानंद पांडे, सेवानिवृत्त मेजर उपाध्याय, रामजी कालसांगरा और स्वामी असीमानंद की संलिप्तता भी प्रकट हुई । ये सभी अतिवादी हिन्दू दक्षिणपंथी थे । पुलिस को ढेर सारे सबूत भी हाथ लगे । एक सबूत था स्वामी असीमानंद का इक़बालिया

बयान, जो जेल में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज किया गया था और क़ानूनी दृष्टि से पूरी तरह वैध था।

अपने इक़बालिया बयान में स्वामी ने बड़े खुलासे किये। उन्होंने कहा कि 2002 में संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके के बाद उन्होंने यह तय किया कि बम का जवाब बम से दिया जाएगा। वे उस समय गुजरात के डांग ज़िले में विहिप के लिए काम कर रहे थे। असीमानंद ने विस्तार से पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। इसके बाद कई अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया। जब करकरे इस मामले की जांच कर रहे थे और इसमें हिन्दुओं के शामिल होने की बात सामने आ रही थी तब बाल ठाकरे ने "सामना" में लिखा था कि "हम करकरे के मुंह पर थूकते हैं"।

गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें "देशद्रोही" बताया था। आडवाणी ने भी उन्हें फटकारा था। हिन्दुत्ववादी राजनैतिक संगठनों के इस कटु हमले से व्यथित करकरे ख्यात पुलिस अधिकारी जूलियो रिबेरो से मिले और उनसे अपनी पीड़ा बांटी। रिबेरो अपनी निष्पक्षता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने करकरे की सूक्ष्म जांच की सराहना की। करकरे ने रिबेरो से जानना चाहा कि राजनेताओं द्वारा उनका जो अपमान किया जा रहा है, उसका मुक़ाबला वे कैसे करें। रिबेरो ने उन्हें सलाह दी कि वे ईमानदारी से अपना काम जारी रखें और उन पर लगाए जा रहे आरोपों को नज़रअंदाज़ करें।

इसी बीच, मुंबई पर आतंकी हमला हुआ। सन 2008 के 26 नवम्बर को हथियारों से लैस दस आतंकवादी मुंबई में घुस आये। उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही के दौरान करकरे मारे गये। उनकी मौत की परिस्थितियां भी अत्यंत संदेहास्पद थीं। अल्पसंख्यक मामलों के तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री ए॰आर॰ अंतुले ने तब कहा था कि करकरे की हत्या के पीछे आतंकवाद के अलावा और कुछ भी है। नरेन्द्र मोदी, जिन्होंने करकरे को देशद्रोही बताया था, तत्काल मुंबई पहुंचे और उनकी पत्नी को एक करोड़ रुपये का चेक भेंट करने की पेशकश की।

करकरे की पत्नी ने इस राशि को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। करकरे की मौत के बाद प्रकरण की जांच जारी रही। आरोप पत्र तैयार कर लिया गया और सभी आरोपियों पर आतंकी हमले करने के आरोप में मामले की सुनवाई शुरू हो गयी। इस बीच केन्द्र में नयी सरकार सत्ता में आ गयी और इसके साथ ही एन॰आई॰ए॰ का रुख़ भी पलट गया। अब एन॰आई॰ए॰ हरचंद इस कोशिश में जुटी हुई है कि साध्वी की रिहाई हो जाए। एन॰आई॰ए॰ के रुख़ में परिवर्तन का एक प्रमाण था लोक अभियोजक रोहिणी सालियान का यह बयान कि उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रकरण में नरम रुख़ अपनाएं। चूंकि उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया इसलिए उन्हें हटा दिया गया।

हम सबको याद है कि सन 1992-93 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में 1000 से अधिक लोग मारे गये थे। इसके बाद हुए बम धमाकों में 200 लोगों की जानें गयीं थीं। जहां तक दंगों का सवाल है, उनके आरोपियों में से बहुत कम को सज़ा मिली है। एक को भी मौत की सज़ा या आजीवन कारावास नहीं मिला। बम धमाकों के मामले में कई लोगों को मौत की सज़ा सुनायी जा चुकी है और कई को आजीवन कारावास की। आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे लोगों में रूबीना मेमन शामिल हैं। उनका अपराध यह है कि उस कार की मालकिन थीं जिसका इस्तेमाल विस्फोटकों को ढोने के लिए किया गया था। ज्ञातव्य है कि रूबीना मेनन उस कार को चला नहीं रही थीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह मालेगांव धमाकों में इस्तेमाल की गयी मोटरसाइकिल की मालकिन थीं। रूबीना कार की मालकिन थीं। उनका जीवन जेल में कटेगा। मुंबई दंगों में कहीं बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे परंतु किसी को भी सख़्त सज़ा नहीं मिली। बम धमाकों के मामले में दर्जनों लोगों को सख़्त सज़ाएं सुनायी गयीं।

आख़िर हमारा प्रजातंत्र किस ओर जा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में दो समानांतर न्याय व्यवस्थाएं चल रही हैं। टी॰वी॰ पर होने वाली कटु बहसों में लोग साध्वी का बचाव करेंगे और करकरे को ग़लत जांच करने का दोषी बताएंगे। मालेगांव में लोग बहुत नाराज़ हैं और एन॰आई॰ए॰ के बदले हुए रुख़ के ख़िलाफ़ अदालत में जाने की योजना बना रहे हैं। दो राजनैतिक दल करकरे के सम्मान की रक्षा के लिए आगे आने को तत्पर हैं और वे इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि उनके द्वारा इकट्ठे किये गये सबूतों का ईमानदारी से परीक्षण किया जाए। हमें आशा है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी और निर्दोषों की रक्षा की जाएगी। परंतु वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा होना असंभव सा लग रहा है।

(विविधा फ़ीचर्स)

बच्चों को कैसे पढ़ाया-लिखाया जाए ?

● मुहम्मद इलियास हुसैन

महान इस्लामी शिक्षाशास्त्री और साहित्यकार दिवंगत अफ़ज़ल हुसैन की मशहूर किताब 'फ़न्ने तालीम व तरबियत' का चिरप्रतीक्षित हिन्दी अनुवाद 'शिक्षण-प्रशिक्षण-कला, भाग-1' के नाम से छप गया है । यह किताब शिक्षण-प्रशिक्षण-कला की दृष्टि से 'मील का पत्थर' है ।

बच्चों की समुचित शिक्षा-दीक्षा एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करने का पूरा प्रयास होना चाहिए, वरना कड़ी पूछगछ की आशंका है । इस ज़िम्मेदारी में मां-बाप और शिक्षकों के साथ यद्यपि पूरा समुदाय, समाज और सरकार भी शामिल हैं, परन्तु प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी मां-बाप और शिक्षकों पर ही आती है ।

इसलिए उन्हीं को इस बारे में सबसे अधिक चिन्तित और प्रयासरत होना चाहिए । विशेष रूप से आज की परिस्थितियों में तो इस तरफ़ अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूत है (क्योंकि थोड़ी-सी लापरवाही अत्यन्त घातक परिणामों से दो-चार कर सकती है)।

खुदा का शुक्र है कि परिस्थिति की गम्भीरता का अब किसी हद तक एहसास हो चला है और विभिन्न संस्थाओं और संगठनों (इदारों और जमाअतों) के निजी और सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप लोग इस तरफ़ ध्यान देने लगे हैं । जो इस्लामी शिक्षण-संस्थाएं कुंठित हो रही थीं, उन्हें शक्ति और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जो अपनों की लापरवाही, उपेक्षा और दूसरों की संकीर्ण-दृष्टि का शिकार हो चुकी थीं, उन्हें नए सिरे से ज़िन्दा किया जा रहा है । नई-नई शिक्षण-संस्थाएं खोली जा रही हैं । मुस्लिम समाज में हर तरह के स्कूल-मदरसे खोले जा रहे हैं । तात्पर्य यह कि जीवन के कुछ लक्षण उभरने लगे हैं । इस समुदाय की ज़रूरतों की दृष्टि से यद्यपि जो कुछ हो रहा है, वह बहुत ही थोड़ा और अपर्याप्त है (लेकिन जिन सीमित साधनों-संसाधनों के साथ और जिन बाधाओं और कठिनाइयों में घिर कर यह काम अंजाम पा रहा है, इसे सन्तोषजनक ही कहा जा सकता है ।

पुस्तक : शिक्षण-प्रशिक्षण-कला (भाग-1)
लेखक : अफ़ज़ल हुसैन (एम॰ ए॰ एल॰ टी॰)
पृष्ठ : 552
मूल्य : 325.00
प्रकाशक : एम॰ एम॰ आई॰ पब्लिशर्स, नई दिल्ली-25
फ़ोन : 011-26981652, 23987858

शिक्षण-प्रशिक्षण के मार्ग में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने और बच्चों की शिक्षा-दीक्षा को प्रभावकारी बनाने में सहयोग प्रदान करने के लिए यह किताब लिखी गई है । इसमें बच्चों के मनोविज्ञान, शिक्षण-सिद्धान्तों, शिक्षण-विधियों, प्रशिक्षण के तरीक़े, स्कूल-मदरसे के प्रबंधन, सहयोग प्राप्त करने के विभिन्न उपायों और तरीक़ों इत्यादि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और भाषा आसान और सहज, वर्णन-शैली सरस और आकर्षक है ।

यह किताब शिक्षक, मां-बाप और शिक्षा-दीक्षा से दिलचस्पी रखने वाले सारे लोगों के लिए समान रूप से रोचक और लाभप्रद है । इसमें शिक्षण-प्रशिक्षण से संबंधित समस्त महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर रौशनी डाली गई है । हर मामले में इस्लामी दृष्टिकोण से विवेचना और विश्लेषण किया गया है ।

यथासम्भव पारिभाषिक शब्दों, गूढ़ और कठिन वर्णन-शैली से बचने की कोशिश की गई है । जो दिशा-निर्देश और परामर्श दिए गए हैं, वे व्यावहारिक हैं । इसमें इस बात की भी कोशिश की गई है कि मुस्लिम समाज में समुचित शिक्षण-प्रशिक्षण का एहसास उभारा जाए और अपने दायित्वों और कर्तव्यों को पूरी तरह अंजाम देने की चिन्ता लगी रहे । मां-बाप और शिक्षकों के प्रयास फलदायक हों और बच्चों पर उनकी सहन-शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बोझ न पड़ने पाए और शिक्षा के प्रति उनमें अभिरुचि और ललक पैदा हो । समाज का हर बच्चा पढ़ने-लिखने की कोशिश ज़रूर करे और पढ़-लिखकर एक सफल इन्सान और आदर्श नागरिक बने ।

इस किताब में पढ़ने-पढ़ाने से संबंधित कुल 37 अध्याय हैं । कुछ प्रमुख ये हैं–शिक्षण-प्रशिक्षण, शिक्षा का अर्थ, शिक्षण-प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षा का उद्देश्य, विभिन्न शिक्षा-सिद्धान्त, शिक्षण-प्रशिक्षण-कला (कुरआन और हदीस की रौशनी में) शिक्षा की आधुनिक प्रवृत्तियां, बच्चा और उसकी प्रकृति, मूल प्रवृत्तयां और संवेग, बाल-विकास के विभिन्न चरण, कुछ महत्वपूर्ण मूल प्रवृतियां, बच्चों का व्यक्तित्व-निर्माण, माँ-बाप और प्रशिक्षण, शिक्षक और शिक्षण-प्रशिक्षण के सिद्धान्त, आदतें और व्यवहार, शिक्षण-संस्थाओं की कामयाबी की शर्तें, शिक्षक के गुण, प्रधानाध्यापक और उसकी ज़िम्मेदारियां, वर्ग-शिक्षक के कर्तव्य, विषय-शिक्षक के कर्तव्य, शारीरिक प्रशिक्षण, सीखना, ध्यान और अभिरुचि, स्मृति, शिक्षण (पढ़ाई-लिखाई), शिक्षण-प्रशिक्षण के सामान्य नियम, शिक्षण-सूत्र, शिक्षण सहायक सामग्री और प्रयोग-विधि व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा, विभिन्न विषयों की शिक्षण-विधि, शिक्षण-प्रशिक्षण और इस्लामी शिक्षाशास्त्री इत्यादि।

लेखक ने यह प्रयास किया है कि विषय से संबंधित सारी बातें आ जाए, गागर में सागर समा जाए । जहां ज़रूरत महसूस की गई है, वहां नई सामग्री जोड़कर पुस्तक को अपटूडेट किया गया है । वैसे शिक्षण-प्रशिक्षण के क्षेत्र में हुए नए शोधों और परिवर्तनों का मंथन करके डॉक्टर बदरुल-इस्लाम साहब ने नवीनतम शिक्षण-प्रणालियों और शिक्षण-सहायक सामग्रियों का परिचय कराने के लिए इस किताब की अगली कड़ी के रूप में 'शिक्षण-प्रशिक्षण-कला, भाग-2' का संकलन और सम्पादन किया है, जिसका हिन्दी अनुवाद, अगर अल्लाह ने चाहा तो निकट भविष्य में प्रकाशित होगा।

शिक्षण-प्रशिक्षण एक सतत् और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा इन्सान अपने परिवेश और वातावरण के विभिन्न घटकों–परिवार, सगे-सम्बन्धी, मित्र, पड़ोसी, शिक्षक, संचार के विभिन्न साधनों इत्यादि से ज़िन्दगी भर कुछ-न-कुछ सीखता रहता है । शिक्षण-प्रशिक्षण 'शिक्षार्थियों को समाजोपयोगी बनानेवाली एक अनुशासित और सामाजिक प्रक्रिया' है । इसलिए शिक्षण-प्रशिक्षण का उद्देश्य है–छात्रों में समाजोपयोगी व्यावहारिक बदलाव लाना, उनको उनकी सामाजिक मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना और उन्हें एक आदर्श सामाजिक नागरिक बनाना ।

शिक्षा लोगों को जगाती है, हर दृष्टि से योग्य और सफल इन्सान बनाती है और यह किताब शिक्षण-प्रशिक्षण का सफल और सुगम मार्ग दिखाती है । इसमें शिक्षण-प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर, विशेषकर इस्लामी शिक्षण-सिद्धान्तों और शिक्षण-विधियों पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विस्तार से प्रकाश डाला गया है और बड़ी रोचक और मन-लुभावन शैली में बताया गया है कि ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव के जीवन का परम लक्ष्य क्या है । आर्थिक-सांस्कृतिक विकास के इस दौर में इस्लामी शिक्षा की उपयोगिता क्या है? शिक्षा क्या है? आज दानवता की ओर लौटते समाज में इस्लामी शिक्षा कैसी और कितनी भूमिका निभा सकती है? शिक्षण-प्रशिक्षण की ज़रूरत क्या है? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? उत्तम शिक्षा-सिद्धान्त और आदर्श शिक्षण-प्रशिक्षण-विधि क्या हैं? शिक्षण-प्रशिक्षण द्वारा शिक्षार्थी के आचरण और व्यवहार में मनोवांछित तथा सुखद बदलाव लाकर उन्हें समाज के लिए उपयोगी और आदर्श नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? परिवेश में मौजूद बाधक तत्त्वों पर नियंत्रण करते और उनसे बचते हुए सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? इत्यादि। यह किताब मानव-जीवन के परम और चरम लक्ष्य की तरफ़ इशारा करती है और अत्यन्त स्पष्ट रूप से बताती है कि अपने बाल-बच्चों को इस्लामी शिक्षा प्रदान करके मानव-मूल्यविहीन वर्तमान उपभोक्तावादी दौर में शाश्वत मानव-मूल्यों की नींव पर एक कल्याणकारी आदर्श मानव- समाज का निर्माण कैसे किया जा सकता है । लोक-परलोक दोनों में मानव-जीवन को किस प्रकार सफल, सुखद और आनन्दमय बनाया जा सकता है इत्यादि। शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक व्यक्ति अर्थात् विभिन्न शिक्षण-संस्थानों के संचालकों, व्यवस्थापकों और अध्यापकों को इस किताब का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए । साथ ही इनसान की प्रथम पाठशाला–घर-परिवार के सदस्यों को भी इससे मार्गदर्शन प्राप्त करके अपने जिगर के टुकड़ों को 'ख़ानदान का रौशन चिराग़' बनाने में शिक्षण-संस्थानों का सहयोग करना चाहिए ।

कुल मिलाकर यह किताब हर शिक्षित व्यक्ति, हर पढ़े-लिखे मां-बाप, हर शिक्षक और शिक्षकेतर शिक्षा-प्रेमियों के लिए एक गाइड बुक का काम करेगी । इसका आवरण-पृष्ट नैन-लुभावन और विषय के अनुकूल है । काग़ज़ और छपाई भी अच्छी है ।

मिलावट करने वालों और नक़्क़ालों पर कार्रवाई करें

■ सी॰ के॰ रहमानी

आए दिन अख़बारों में विज्ञापन पढ़ने को मिलता है कि उपभोक्ता देखभाल कर सामान ख़रीदें । इन सरकारी विज्ञापनों का आशय उपभोक्ता को सावधान करना होता है । इस तरह के विज्ञापन राज्य सरकारों के अलावा केन्द्र सरकार की ओर से भी जारी किये जाते हैं । यह विज्ञापन उस देश में जारी होते हैं जिस देश की जनसंख्या बड़ी तादाद में अशिक्षित है । जहां आज भी बड़ी संख्या में लोग जागरूक नहीं है । आज भी लोग कंपनी से ज़्यादा दुकानदार की बात पर भरोसा करते हैं । उसके कहेनुसार या उसकी सलाह पर ही लोग सामान ख़रीदते हैं । यह भी देखा गया है कि ज़्यादातर लोग सामान ख़रीदने से पहले अपने परिचितों से उस सामान की फीड बैक लेते हैं या फिर दुकानदार की बात पर भरोसा करते हैं । बहुत कम ग्राहक हैं जो अपने विवेक से सामान ख़रीदते हैं । जिस देश में यह स्थिति हो उस देश में ऐसे सरकारी विज्ञापनों का क्या महत्व है ?

अमेरिका में जितनी कुल आबादी है उतना यहां युवा वर्ग है । यह युवावर्ग ही बाज़ार को चला रहा है । भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है । इसकी विशालता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया के तमाम देशों की निगाह भारत पर है । वह भारत के लिए माल बनाना चाहते हैं और यहीं बेचना चाहते हैं । दूसरे देश यहां लगातार अपना बाज़ार खड़ा कर रहे हैं । हाल यह है कि इतने बड़े बाज़ार का राजा यानी उपभोक्ता बाज़ार में लुट रहा है और बाज़ार उसे लूट रहा है । लेकिन लूटने वालों को रोकने वाला कोई नहीं है । जो क़ानून है या तो वह अपर्याप्त है या उसमें इतनी ख़ामियां या गुंजाइश है कि ठगने वाले दुकानदार/कंपनियों का कुछ ज़्यादा बिगड़ता नहीं है ।

सरकारी विज्ञापनों में लिखा होता है कि उपभोक्ता मिलावट करने वालों से सावधान रहें । मिलावटी सामान ने ख़रीदें । नक़्क़ालों से सावधान, नक़ली माल न ख़रीदें । घटिया सामान न ख़रीदें । धोखा देने वालों से सावधान रहें । धोखे से आवासीय भूखंड बेचने वालों से दूर रहे हैं । अवैध कालोनियों में प्लाट न ख़रीदें । रेल में यात्रा करने से पहले टिकट खिड़की से ही ख़रीदें, दलालों से न ख़रीदें नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी । जहर खुरानी गिरोह से बचकर रहे हैं । एक्सपायरी डेट की दवा न ख़रीदें, आदि-आदि । इस तरह के विज्ञापन अक्सर देखने पढ़ने को मिलते रहते हैं ।

सवाल यह है कि जो कुछ करे वह उपभोक्ता करे, देश पर शासन करने वाली सरकार और राज्य सरकारें कुछ न करें । क्या सरकार को अपने नागरिकों के हितों का ख़्याल नहीं ? क्या सरकार का काम सिर्फ़ अख़बारों में विज्ञापन देना भर ही है । क्या सरकार का काम उद्योगपतियों, दुकानदारों, उत्पादक और कंपनियों को संरक्षण देना ही है । ठगी करने वाले, मिलावट करने व नक़ली सामान बेचने वालों और धोखाधड़ी करने वालों को दंड कौन देगा ? क्या सरकार का काम 'चोर से कह चोरी कर और शाह कह जगता रह' करना है । वह भी खुश हम भी खुश ।

सवाल यह है कि जो चीज़ बाज़ार में बिक रही है लोग उसे ही तो ख़रीदेंगे । जनता के पास ऐसी क्या कौन-सी जांच मशीन है जो यह पता लगा सके कि चीज़ नक़ली या मिलावटी है । भागमभाग भरी इस ज़िन्दगी में इतना समय किसी के पास नहीं जो यह सब जांच करता रहे और दुकानदार के पास भी इतना समय नहीं है कि वह जांच कराता रहे । उसका सीधा-सा जवाब होता है जो बनकर आ रहा है हम उसे बेच रहे हैं, हम क्या घर में बना रहे हैं । क्या खाद्य विभाग और ऐसे ही अन्य विभागों की ड्यूटी नहीं कि

वह उत्पादक कंपनी में जाकर चेक करे । जब वहां से ही माल शुद्ध आएगा तो बाज़ार में भी अच्छा माल बिकेगा । क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों को पता नहीं होता कि कहां क्या बन और बिक रहा है । एक छोटा-सा ही उदाहरण ले लो । हलवाई हमेशा मिठाई के साथ डिब्बे का वज़न तोलता है । ऐसा आज से नहीं दशकों से ऐसा ही हो रहा है लेकिन किसी हलवाई के ख़िलाफ़ कितनी और क्या कार्रवाई हुई । बताया जाता है कि जो हलवाई महीना नहीं भेजता उसका ही चालान किया जाता है बाक़ी का नहीं । एक बात यह कि आप कहीं से भी मिठाई लेंगे सब जगह यही हाल है । सरकार या प्रशासन यह तर्क दे सकता है कि कोई हमारे पास शिकायत ही नहीं करता । अगर ऐसा है तो यह बात और साफ़ हो जाती है कि इस देश का उपभोक्ता अभी बहुत जागरूक नहीं है ।

सवाल यह है कि अगर सब कुछ उपभोक्ता करे तो इंस्पेक्टरों की इतनी बड़ी फौज क्या कर रही है । बताया जाता है कि हर विभाग में अधिकारी बैठे अपने 'महीना' 'हफ़्ता' का इन्तिज़ार करते रहते हैं । व्यवस्था ऐसी है कि दुकानदार/कंपनी या धंधा करने वाले अपने आप उनके पास 'दर्शन' करने नियत समय पर पहुंच जाते हैं । विज्ञापनों से माध्यम से दावा किया जाता है कि सिद्ध किये गये अमुक यंत्र से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा । अमुक बाबा/तांत्रिक के पास जाने पर या अमुक रत्न पहनने पर सब कष्ट दूर हो जाएंगे । ग़रीबी सबसे बड़ी समस्या है वह छू मंतर हो जाएगी । मुक़दमा जीत जाएंगे । प्रेमिका आपके आगे पीछे घूमेगी । पति आपकी हर बात मानेगा । सौतन से छुटकारा मिल जाएगा । दुश्मन की हार तय है । ऐसे तमाम तरह के वादे और दावे किये जाते हैं । इस तरह के लुभावने विज्ञापनों के चक्कर में फंसकर रोज़ाना हज़ारों लोग ठगे जाते हैं । कहीं कोई विरोध नहीं । क्या सरकार की यह ज़िम्मेदारी नहीं कि वह बाबा/तांत्रिकों/सिद्ध हुए रत्नों की जांच करे । अगर वह उत्पाद सही है तो उसका विज्ञापन जारी रखे नहीं तो जारी ही न होने दे ।

सभी जानते हैं कि दवा या तेल से शरीर कोई भी विशेष अंग बढ़ता नहीं है । यह बात किसी से छिपी नहीं है कि डायबिटीज का कोई पक्का या स्थायी इलाज नहीं है इसके बाद भी लोगों को डराया और बहकाया जाता है कि अमुक दवा से मरीज़ शर्तिया ठीक हो जाएगा । ड्रग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है जो इस यंत्र या इस दवा की जांच नहीं कर रहा । घुटने के दर्द की दवा का टी०वी० और अख़बारों के माध्यम से प्रचार किया जाता है कि मरीज़ ठीक हो जाएगा जबकि स्थिति यह है कि घुटने का दर्द जाता नहीं है । उसका ऑपरेशन कर परिया बदलवाना ही एक इलाज है और उसकी भी सौ प्रतिशत गारंटी नहीं होती । कुछ शर्तों के साथ उसमें भी जीना पड़ता है लेकिन यह दवा और तेल बेचने वाले पूरी गारंटी देते हैं ।

सरकार आंखें मूंदी बैठी है और कंपनियां और दुकानदार ग्राहक को लूट रहे हैं । दूसरी तरफ़ का आलम देखिए ! अगर आपने हिम्मत कर किसी ख़राब माल बेचने के ख़िलाफ़ उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया तो वहां भी आपको जल्दी न्याय नहीं मिल पाता है । वहां आपको तारीख़ पर तारीख़ मिलती रहती है । वहां भी उपभोक्ता से ज़्यादा कंपनी/दुकानदार का हित ज़्यादा देखने को मिलता है । अगर आप कोर्ट में पेश नहीं हो पाते तो केस रिजेक्ट हो जाता है और अगर दूसरी पार्टी तीन तारीख़ों पर भी नहीं आती तो कोई बात नहीं । यह उपभोक्ता के साथ अन्याय नहीं तो क्या है ।

इसके बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि उसे केस करने के बदले पर्याप्त मुआवज़ा मिल जाए । चूंकि कंपनी और दुकानदार का लक्ष्य आपको परेशान करना है इसलिए वह उपभोक्ता के फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टेट कमीशन में चला जाता है । यहां आपको सालों लड़ना पड़ता है । इससे उपभोक्ता में निराश जन्म लेती है ।

हमारे देश में उपभोक्ता के हितों के लिए ऐसा कोई क़ानून नहीं जो उसे दुकानदार/कंपनी या उत्पाद निर्माता उसे ठग न सके । अगर ठगता है तो उसे कठोर दंड मिले । किसी मिलावट करने वाले, नक़ली खाद्य पदार्थ बेचने वाले या धोखा देकर उपभोक्ता की जेब काटने वाले मात्र चार लोगों को फांसी दे दो । साथ ही यह ऐलान कर दो हर बेईमान कंपनी के मालिक और मिलावटख़ोर को यही सज़ा मिलेगी । इसके बाद देखो 80 प्रतिशत मिलावट ख़त्म हो जाएगी । यहां आपको मानवीय आधार या भावुकता से दूर रहकर निर्णय लेना होगा । बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवा भी पिलाई जाती है । लोगों और मिलावटख़ोरों में यह संदेश जाना चाहिए कि सरकार उपभोक्ता के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी ।

इसलिए होती है गैस की चोरी और कालाबाज़ारी

■ शबाना अली

रसोई गैस कम मिलने और उसकी कालाबाज़ारी से पूरे देश की जनता त्रस्त है, लेकिन आज तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सका है । आमतौर पर उपभोक्ता गुस्से में गैस एजेंसी वालों को उनकी पीठ पीछे या कभी-कभार उसके सामने खरी-खोटी सुनाकर मन शांत कर लेते हैं या फिर वेंडर को गाली-गलौज सुनाकर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं । आम उपभोक्ता के बस में इतना ही सो कर लेता है इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं ।

रसोई गैस की चोरी और कालाबाज़ारी हमारे देश में राष्ट्रीय समस्या है जो हर जगह पायी जाती है । कई बार उपभोक्ता और एजेंसी मालिक के बीच इतनी तनातनी हो जाती है कि गोलियां तक चल जाती हैं और मौतें भी हो जाती हैं । लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात । आमतौर पर उपभोक्ताओं की दो शिकायतें होती हैं । एक, नियमित समय से गैस न मिलना और जब मिलती है दो-चार किलो कम मिलती है । दिल्ली में इस समय उपभोक्ताओं को 29 रुपये किलो गैस मिल रही है । देश के दूसरे हिस्सों में इससे भी महंगी मिलती है । यानी दो किलो गैस भी कम मिले तो उपभोक्ता को 60 रुपये की चपत लगती है । दो-तीन किलो गैस कम होना नार्मल बात मानी जाती है, तब इसके लिए क़ौन ज़िम्मेदार हैं ? ज़्यादातर लोगों को यह शिकायत रहती है कि गैस सिलेंडर नियमानुसार 21 दिन बाद मिल जाना चाहिए सो नहीं मिलता है । लोगों का यह आरोप बेवजह भी नहीं है । हर प्रदेश और हर गैस एजेंसी पर उपभोक्ता को इस तरह शिकायत रहती है कि उसे एक महीने बाद तो कहीं दो महीने बाद तो कहीं तीन-तीन महीने बाद गैस मिल पाती है । आरोप है कि गैस एजेंसियां उपभोक्ता के हिस्से के गैस सिलेंडर ब्लैक में बेच देती हैं । यह आरोप भी निराधार नहीं हो सकता ।

सूत्रों के अनुसार गैस सिलेंडर वितरण में भारी धांधली होती है । वेंडरों को सिलेंडर घर तक पहुंचाने के लिए दस रुपये प्रति सिलेंडर गैस कंपनियां देती हैं । यह रुपया गैस एजेंसी के माध्यम से वेंडरों को मिलता है । गैस एजेंसी को 17 रुपया गैस कंपनियां एजेंसियों को कमीशन के रूप में देती हैं । बस यहीं से खेल शुरू हो जाता है । सूत्रों के अनुसार गैस एजेंसियां सिलेंडर घर-घर पहुंचाने के लिए ठेकेदारों को रखती हैं । ये ठेकेदार सिलेंडर सप्लाई करने के लिए अपने यहां वेंडरों को रखते हैं । सूत्रों के अनुसार ज़्यादातर एजेंसियां वेंडरों को सिलेंडर घर पहुंचाने के 10 रुपये नहीं देती हैं उल्टे प्रति सिलेंडर 10 रुपया वेंडरों से लेती हैं । अब सवाल यह आया कि गैस एजेंसियां उल्टे वेंडरों से पैसे लेती हैं तो वेंडर और ठेकेदार क्या खाते हैं इनका घर कैसे चलता है ?

विश्वसनीय वेंडर बताते हैं कि एक वेंडर को 25 से 30 रुपये सिलेंडर सप्लाई करने के लिए मिलते हैं । इन सिलेंडरों में से गैस चोरीकर वेंडर तीन सिलेंडर अलग से बनाते हैं । इन तीन सिलेंडरों को 1500 से लेकर 1800 रुपये तक में ब्लैक में बेच देते हैं । इन रुपयों में से प्रत्येक वेंडर से 500 रुपये ठेकेदार ले लेता है । 300 रुपये गैस एजेंसी लेती है । लगभग 1000 रुपये वेंडर को बचते हैं । इनमें से कुछ रुपये पुलिस को भी जाते हैं । यानी एक वेंडर बिना तनख़्वाह के 400-500 रुपया रोज़ कमा लेता है । इसके अलावा वेंडर पर यह जोखिम हमेशा बना रहता है कि अगर किसी ने उसकी शिकायत कर दी गैस एजेंसी उससे चार सौ रुपया काट लेती है । इन सबके बावजूद मुफ़्त में काम करने वाला वेंडर रोज़ाना पांच सौ रुपये या इससे अधिक कमाई कर लेता है । ठेकेदार को तीन से चार हज़ार रुपये रोज़ मिलते हैं ।

गैस एजेंसी को 17 रुपये कमीशन के रूप में कंपनियों से मिलते हैं इसके अलावा 10 रुपया प्रति सिलेंडर वेंडर से लेंती है और दस रुपये वेंडर को मिलने वाले रुपये भी उसी के पास रह जाते हैं । इस तरह गैस एजेंसी को प्रति सिलेंडर 37 रुपया बचता है । सूत्रों के अनुसार इसके अलावा गैस एजेंसियां अपने गोदाम से प्रति सिलेंडर 800 रुपये बलैक में बेचती है । इस तरह भ्रष्टाचार का पानी ऊपर से नीचे बहता है और मार पड़ती है उपभोक्ता पर । कहने का सारांश यह है कि गैस एजेंसियां ही ब्लैक कराती है । इस तरह की व्यवस्था बनायी गयी है कि वेंडर को चोरी करनी ही पड़े और गैस एजेंसियां लाखों कमाएं ।

बाल कविताएं

(1)

किसे सुनाएं लोरी ?

भौतिकता की चकाचौंध में
उजड़ रहा है अपना गांव,
घर आंगन अब छोटा लगता
ड्योढ़ी पर रुक जाते पांव ।
इक आंगन में सारा घर था
सदा गूंजती किलकारी,
अब इक घर के इक आंगन में
बिलख रही है महतारी ।
बेटे तो परदेश गये
उजड़ा ममता का आंगन,
किसे निहारे मां की ममता
चिढ़ा रहा गगनांगन ।
थपकी दे दे किसे सुलाए
किसे सुनाए लोरी,
किस मुन्ने की ख़ातिर मांगे
मां अब चांद कटोरी ।

(2)

भूल न करना

भूल हुई तो क्षमा मांग लो
फिर तुम भूल न करना,
अगर चाहते भेले मांग लो
चोरी कभी न करना ।
सदा बड़ों की सीख सीखकर
हरदम बढ़ते रहना,
सत्य, न्याय के लिए सदा
तुम कष्टों को भी सहना ।
सदा सत्य की जीत हुई है
सत्य नहीं है हारा,
तभी झूठ का हम जीवन में
लेते नहीं सहारा ।

डॉ० राम दुलार सिंह 'पराया'
('आगे बढ़ना सीखो' बाल कविता संग्रह से)

प्रेरक

शत्रुता का विनाश

एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से कुछ लोगों ने कहा–आपके हाथ में पूरी सत्ता है, आप इसका उपयोग अपने शत्रुओं को समाप्त करने में क्यों नहीं करते हैं, अपने विरोधियों को समाप्त करने का स्वर्णिम अवसर है, आप उन्हें कुचल डालिये । राजनीति कहती है कि समझदार नेता वही होता है जो विरोधियों के अस्तित्व को उखाड़ देता है । अब्राहम लिंकन बोले जो आप कहते हैं वह तो मैं कर रहा हूं । मैं अपने शत्रुओं को मार रहा हूं, अपने विरोधियों को समाप्त कर रहा हूं आप चौके नहीं ! जितने मेरे शत्रु हैं, उन सबको मैं अपना मित्र बना रहा हूं ।

कुछ समय बाद वह सब मेरे मित्र हो जाएंगे । क्या यह शत्रुओं व विरोधियों को समाप्त करना नहीं है ।

मसऊद आलम लारी
लार, देवरिया (उ०प्र०)

मंगली बहू

(पृष्ठ 22 का शेष)

लड़का पक्ष वाले हतप्रभ । मध्यवर्गीय परिवार वालों के लिए मौके पर दो-चार लाख रुपया का बन्दोबस्त कर पाना मुश्किल साबित हो जाता है । 20 लाख रुपये कहां से लाकर बला से छुटकारा पाएं । वे सिर-पीटते हुए घर लौट आये ।

विनोद के परिवार की दशा आज 'भई गति सांप छछूंदर केरी । उगलत-निगलत पीर घनेरी' जैसी थी । न कुछ कहते बन पा रहा है, न सुनते । न सहते बन रहा है, न छोड़ते । किसी से कहने सुनने का क्या प्रयोजन । इन्हीं परिस्थतियों में विनोद ने प्रातःकालीन भ्रमण पर निकलना पहले से काफ़ी कम कर दिया था । एक दिन वह सुबह की सैर के दौरान सेतु के पास मिला । आंख में आंसू छलछला आये । बोल उठा, 'भइया । आप सारी बात जानते-समझते हो । आपसे घर की कोई बात छिपी नहीं है । आपकी मंगला-मंगली की बात मान ली होती, तो आज यह दिन न देखना पड़ता । इसी के चक्कर में पड़कर एक से एक उत्तम रिश्ते को मैं इन्कारता चला गया और अपनी करनी का दंड आज भोग रहा हूं । वह छाती पर मूंग दल रही है और मैं मजबूरन झेल रहा हूं । जीवन नरक हो गया है ।'

सामान्य रूप से पाया जाने वाला पक्षी

दुनिया में पक्षी तो अनगिनत प्रकार के हैं, उनमें कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो शहरों में स्वतंत्रता से उड़ते फिरते हैं जैसे तोते, चिड़िया, कबूतर और चील, कौवे आदि, इन सभी

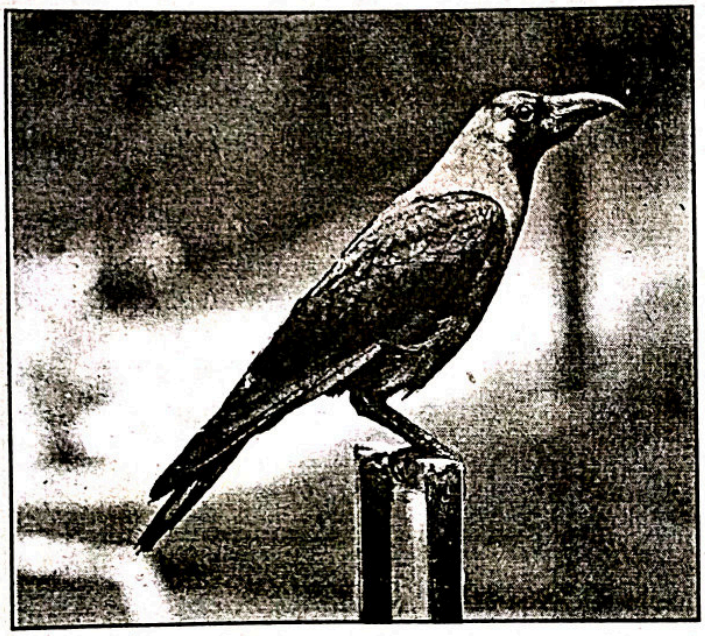

पक्षियों में कौआ एकमात्र पक्षी है जो लगभग हर देश और हर जगह मौजूद है, इसके अलावा कौवों की संख्या भी अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक होती है । इसीलिए ये आम तौर पर हर समय और हर जगह दिखाई देते है । कौवों की कई क़िस्में हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से बेहद मिलती-जुलती होती हैं । हमारे देश में जो कौवे पाए जाते हैं वह JACKDAW प्रकार के हैं । यह कौवों की एक विशेष प्रकार है । ये कौवे गहरे भूरे या स्याही लिए भूरे रंग के होते है । जिसकी गर्दन के पंख हल्के भूरे होते हैं । कौवों की एक जंगली प्रजाति भी होती है । जंगली कौवा आम कौवे से बड़ा होता है ।

कौवा बहुत बुद्धिमान पक्षी है। कहानी ''प्यासा कौवा'' आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है, इसके अलावा यह तोते की आवाज़ की नक़ल भी कर सकता है । पूर्वी एशिया में इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और घर में पाला जाता है । भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मुंडेर पर बैठे कौवे की 'काएं-काएं' को अतिथि के आगमन का प्रतीक माना जाता है ।

कौवा मांस, अनाज, मनुष्य का बच भोजन और अन्य छोटे पक्षियों के अंडे खाकर गुज़ारा करता है । यह फ़सलों विशेषकर चावल की फ़सल को ख़ासा नुकसान पहुंचाता है । इसलिए किसान कौवों आदि को डराने के लिए खेतों में एक पुतला खड़ा कर देते हैं जिसे 'भच काग' या " SCARE CROW " कहते हैं।

क्या भालू ख़तरनाक होते हैं ?

बच्चो! आपने अक्सर सड़क पर भालू का तमाशा होते हुए देखा होगा। देखने में तो यह बड़ा मासूम सा नज़र आता है लेकिन यह वास्तव में बेहद ख़तरनाक भी होता है। अगर उसे तंग किया जाए या वह ख़तरा महसूस करे तो बड़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है। भालू पेड़ पर चढ़ने में दक्ष होता है। भालू एक मांसाहारी स्तनधारी है यानी यह अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला जानवर है। आमतौर पर इसका आहार बकरी, छोटे जानवर और मछलियां होती हैं। अगर भालू इनका शिकार न कर सके तो पौधे और घास फूस खाकर भी गुज़ार कर लेता है। पेड़ों पर लगे शहद के छत्ते से शहद चुराना उसका पसंदीदा काम है। दुनिया भर में भालू की

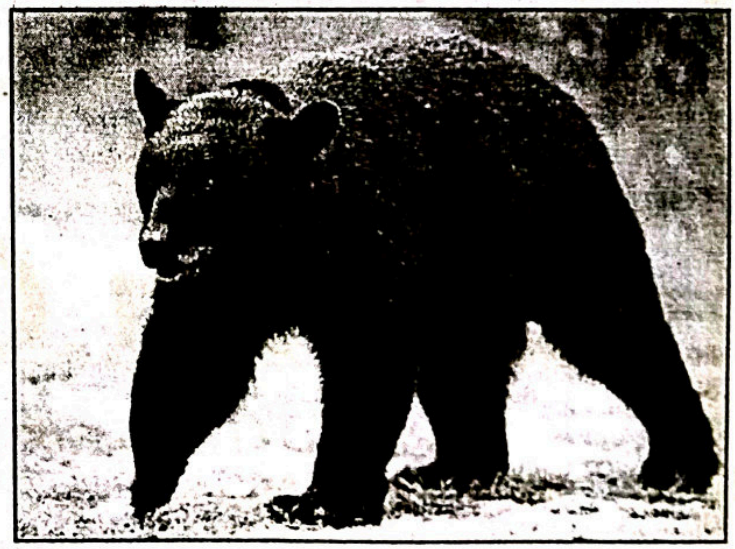

न्यूनाधिक चौंतीस प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें पांडा, हिमालियाई, ईभोरा भालू और बर्फीला भालू दुर्लभ प्रकार के हैं। भालू का उसके मांस और खाल के लिए शिकार किया जाता है।

उत्तरी क्षेत्रों में हिमालियाई काला भालू और दुर्लभ भूरा भालू पाया जाता है। काला भालू पेड़ पर चढ़ने में दक्ष होता है, उसकी छाती पर सफ़ेद रंग का V का निशान होता है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर में रखे जाने वाले भालू इन्सानों से घुल-मिल जाते हैं, फिर भी किसी अचानक दुर्घटना से बचने के लिए उनके चंगुल से दूर रहना चाहिए, इस जानवर की बाहें बेहद मज़बूत होती हैं।

मेंढक सर्दियों में क्यों नहीं आते ?

मेंढक की कई प्रजातियां पाई जाती हैं । इन प्रजातियों ही से मेंढक अपने परिमाण, रंग, आकार और स्थिति के आधार पर भिन्न होते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ

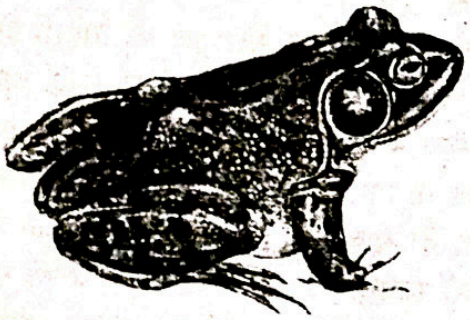

मेंढक Tree Forg लंबाई में एक इंच से अधिक नहीं होते। मेंढ़कों की एक और प्रजाति Leopard Frog लंबाई में दो से चार इंच लंबे होते हैं । साथ ही बुल फरॉग आठ इंच लंबे जबकि उनके पैरों की लंबाई दस इंच तक हो सकती है। सवाल यह है कि सभी मेंढक सर्दियों में कहा चले जाते हैं? उत्तरी देशों में सर्दियों के आरंभ में कुछ प्रकार के मेंढक तालाब में डुबकी लगाकर अपने आपको तल में मौजूद गारे और कीचड़ में छुपा लेते हैं । पूरी सर्दियों ये वहां सोए रहते हैं। इस प्रक्रिया को शीत निद्रा कहते हैं। कड़ाके की ठंड में भी तालाबों और जोहड़ों का पानी पूरी तरह से नहीं जमता बल्कि स्तर के नीचे अपनी अस्ली हालत में ही रहता है, इसलिए मेंढ़कों को ठंड में जम जाने की आशंका नहीं होती। मेंढ़कों की आंखें उनके सिर के ठीक ऊपर होती हैं। यही कारण है कि ये पानी में छिपे रहने के बावजूद स्तर से ऊपर देख सकते हैं । इसी विशेषता के आधार पर मेंढक अपने शिकारियों के ख़तरे से अवगत रहते हैं।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि०), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223
संपादक : डॉ० मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



Asian Optics
a multibrand showroom
SNP Area, Sakchi ,Jsr.
2221184
Main Road, Golmuri ,Jsr.
2341175

Sajid Anwar

9372478173, 9422828136

SAJID CARPETS

We Sale All Kinds of JA - NAMAZ

SPECIALIST IN MASJID JA-NAMAZ

WHOLE SALER & RETAILER

We also Import & Export

Mohammad Ali Road, Mominpura, NAGPUR - 440 018. INDIA

E-mail : carpetjanamaz@gmail.com

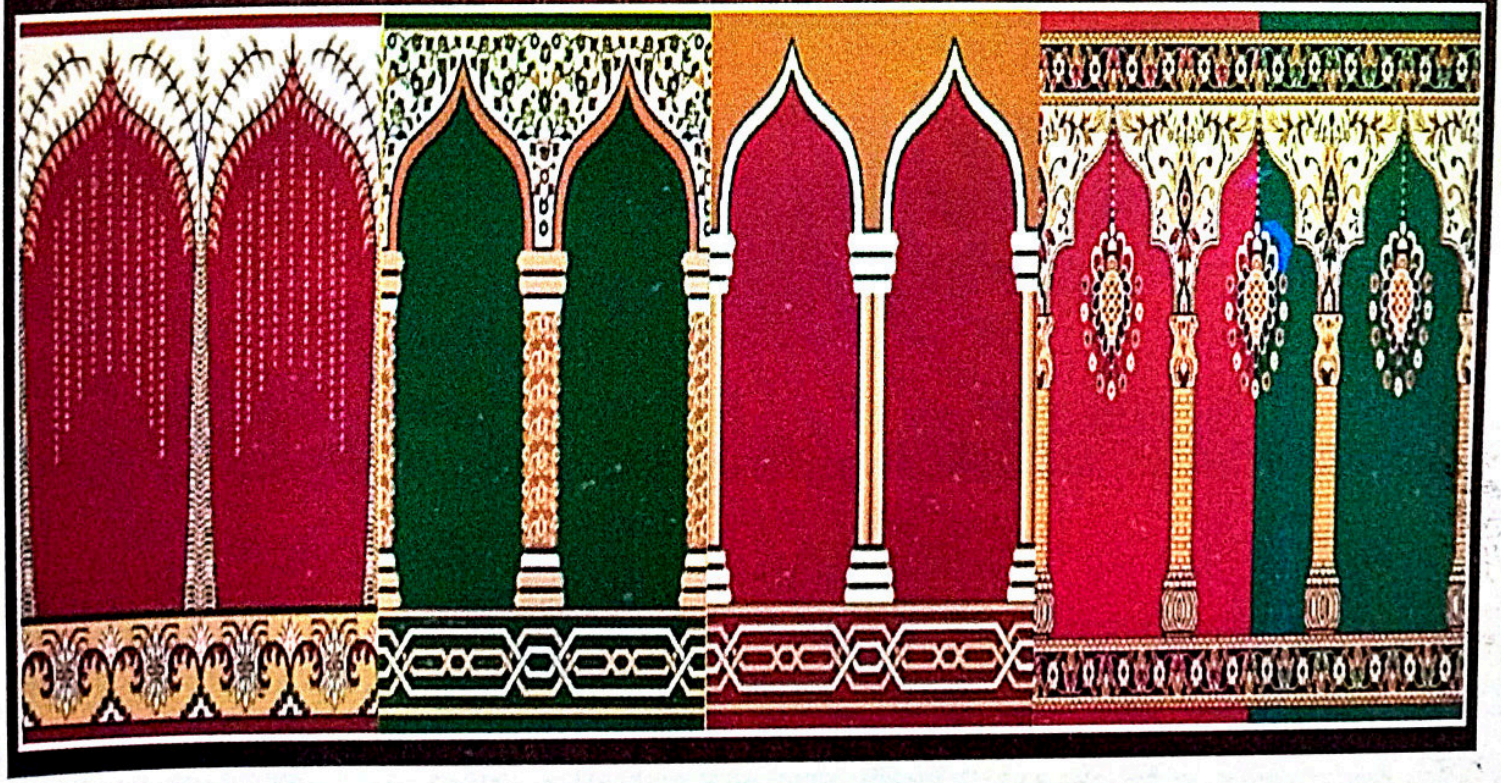

Posted on 20-21 August 2016
September 2016
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.08.2016
Total Pages-52 (With Covers)

कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

कान्ति

स्वस्थ चेतना का वाहक हिन्दी साप्ताहिक अख़बार

पढ़िए और पढ़ाइए

जो केवल समाचार ही न दे

- बल्कि बताए समाचारों का मर्म और आगे-पीछे का हाल
- देश व समाज की उन्नति के लिए प्रस्तुत करे ठोस उपाय
- प्रस्तुत करे इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले दुष्प्रचार का तोड़
- सामने लाए सही स्थिति और अवगत कराये वास्तविकताओं से
- रखे ध्यान नैतिक मूल्यों का और मार्गदर्शन करे भलाई व कल्याण की ओर

सहयोग राशि :-

✧ प्रति कॉपी 5 /= ✧ छहमाही 125/= ✧ वार्षिक 250/=

एजेंसी और ग्राहक बनने के लिए सम्पर्क करें ।

KANTI WEEKLY

D-314, Dawat Nagar, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, New Delhi-25
Phone : 09818799223, 011-26949430
E-mail : kantiweekly@hotmail.com